चौथी पंचवर्षीय योजना

वार्षिक योजना (1969-70)

उत्तर प्रदेश सरकार

नियोजन विभाग

अक्तूबर, 1969।

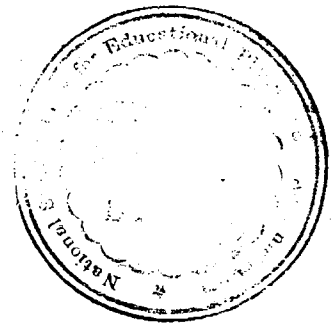

अध्याय 2

कृषि एवं समवर्गी कार्यक्रम

1—कृषि उत्पादन

कृषि उत्तर प्रदेश की जनता की जीविका का प्रमुख आधार है। वर्ष 1965–66 में इस राज्य में देश भर में उत्पादित कुल खाद्यान्नों का 18.48 प्रतिशत खाद्यान्न, 33.05 प्रतिशत आलू और 47.35 प्रतिशत गन्ना पैदा किया गया। कृषि, राज्य के अधिकतर उद्योगों को कच्चा माल उपलब्ध करने का प्रमुख साधन भी है। विविध कारणों, खासकर छोटी जोतें, विनयोग का निम्नांस्तर, अधिक भागों में सुनिश्चित सिंचाई की अपर्याप्तता और मौसम की अनिश्चितता आदि से यह की बहुत सी फसलों की प्रति हेक्टर उपज देश की औसत उपज से कम है।

2—राज्य में खाद्यान्नों का उत्पादन जो वर्ष 1960–61 में 144.86 लाख मीट्रिक टन के स्तर तक पहुंच चुका था, वर्ष 1963–64 में घटकर 117.95 लाख मीट्रिक टन पर आ गया। वर्ष 1964 65 में यह पुनः बढ़कर 152.47 लाख मीट्रिक टन हो गया। अगले 2 वर्ष अर्थात् 1965–66 तथा 1966–67 सूखे के वर्ष थे। 1966–67 में उत्पादन 117.71 लाख मीट्रिक टन था। वर्ष 1967–68 में अनुकूल मौसम तथा अधिक उपज वाली किस्मों के कार्यक्रम के प्रचलन के फलस्वरूप उत्पादन 166.27 लाख मीट्रिक टन के नये उच्च स्तर पर पहुंचा। अनुमान है कि वर्ष 1968–69 में उत्पादन 176 लाख मीट्रिक टन होगा। चौथी योजन में 69.90 लाख मीट्रिक टन के अतिरिक्त उत्पादन क्षमता का लक्ष्य है, जिसमें 12.17 लाख मीट्रिक टन की अतिरिक्त क्षमता 1969–70 में सृजित की जायगी। जिन स्रोतों से यह अतिरिक्त उत्पादन क्षमता बनाई जायगी उनका विवरण इस प्रकार है :—

(लाख मीट्रिक टन)

मद	1969–70	1973–74
1—बड़ी तथा मध्यम सिंचाई	0.140	3.159
2—राज्य लघु सिंचाई	0.424	1.866
3—निजी लघु सिंचाई	2.315	11.573
4—भूमि संरक्षण	0.243	1.418
5—भूमि सुधार	0.002	0.003
6—गलीदार भूमि का सुधार	0.021	0.125
7—अधिक उत्पादन वाली किस्मों का कार्यक्रम—		
(क) गेहूं	4.500	26.250
(ख) धान	2.345	14.405
( ) मक्का	0.750	3.250
(घ) ज्वार	0.025	0.125
(ङ) बाजारा	0.025	0.125
8—मिश्रित फसलें उगाना	1.380	7.600
योग ..	12.170	69.899

3—उन्नत बीज तथा अधिक उत्पादन वाली किस्मों का कार्यक्रम—वर्ष 1968–69 में उन्नत बीजों के अन्तर्गत लगभग 131.05 लाख हेक्टर क्षेत्र लाया गया जिसमें से 30.75 लाख हेक्टर क्षेत्र अधिक उपज वाली और स्थानीय उन्नतशील किस्मों के अन्तर्गत था। वर्ष 1969–70 के अंत तक 135.62 लाख हेक्टर क्षेत्र को उन्नत बीजों के अन्तर्गत लाने का लक्ष्य है, जिसमें से 38.12 लाख हेक्टर क्षेत्र अधिक उपजवाली एवं स्थानीय उन्नतशील किस्मों के अन्तर्गत होगा। चौथी योजना के अन्त तक 153.91 लाख हेक्टर क्षेत्र को उन्नत बीजों के अन्तर्गत लाने का लक्ष्य है, जिसमें से 71.61 लाख हेक्टर क्षेत्र अधिक उत्पादन वाली तथा स्थानीय उन्नतिशील किस्मों के अन्तर्गत होगा।

4—रासायनिक उर्वरक—अधिक उत्पादन वाली किस्मों के कार्यक्रम के प्रचलन, रिजर्वबैंक द्वारा अधिक ऋण सुविधायें देने तथा कृषि संम्पूर्ति संगठन के तीव्रतर प्रयत्नों के फलस्वरूप राज्य में रासायनिक उर्वरकों की खपत में काफी बढ़ोत्तरी हुई है। 1968–69 में रासायनिक उर्वरकों के खपत का स्तर 2 लाख मीट्रिक टन नाइट्रोजन (N), 0.50 लाख मीट्रिक टन फास्फेटिक (P_2O_5) तथा 0.36 लाख मीट्रिक टन पोटाशिक (K_2O) था। वर्ष 1969–70 तथा चौथी योजनावधि के लिये उर्वरकों की आवश्यकता का अनुमान निम्न प्रकार है :—

(लाख मीट्रिक टन)

कार्य-क्रम	1969–70			1973–74		
	N	P_2O_5	K_2O	N	P_2O_5	K_2O
1—अधिक उत्पादन वाली किस्मों का कार्यक्रम	1.90	0.95	0.95	3.84	1.92	1.92
2—स्थानीय उन्नतिशील किस्मों का कार्यक्रम	0.72	0.36	0.36	1.26	0.63	0.63
3—निर्यात आधारित फसलें ..	0.25	0.27	0.02	0.65	0.71	0.02
4—आलू ..	0.22	0.11	0.11	0.25	0.13	0.13
5—गन्ना	0.54	0.17	..	1.03	0.28	..
6—अन्य	0.23	0.12	..	0.47	0.23	..
योग ..	3.86	1.98	1.44	7.50	3.90	2.70

5—वर्ष 1969–70 के लिये 103.45 लाख रुपये का परिव्यय उर्वरकों के लिये गोदाम निर्माण हेतु रखा गया है। अगम्य क्षेत्रों में उर्वरकों के यातायात व्यय पर राज सहायता देने के निमित्त 3.00 लाख रुपये का भी प्राविधान है।

6—पौध सुरक्षा—1968–69 तक पौध सुरक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत 40.47 लाख हेक्टर क्षेत्र का जाने का अनुमान है। वर्ष 1973–74 तक 91.05 लाख हेक्टर क्षेत्र प्रतिवर्ष पौध

सुरक्षा कार्यक्रमों के अन्तर्गत लाने का प्रस्ताव है। वर्ष 1969–70 में 50.59 लाख हेक्टर क्षेत्र इस कार्यक्रम के अन्तर्गत लाया जायगा जिसका विवरण निम्नलिखित है :—

	(लाख हेक्टर)
(1) बीजोपचार	20.24
(2) चूहा नियंत्रण	12.14
(3) सामान्य कीटाणु नियंत्रण	3.24
(4) सधन ट्रीटमेन्ट	14.16
(5) घास पात नियंत्रण	0.81
योग ..	50.59

7—वाणिज्यिक फसलें—पिछले तीन वर्षों (1966–67 से 1968–69) में गन्ने का क्षेत्रफल उत्तरोत्तर घटता गया। इसका कारण एक तो यह रहा कि मौसम प्रतिकूल था और दूसरे यह कि खाद्यान्नों का उत्पादन गन्ने की अपेक्षा अधिक लाभप्रद था। यह स्थिति अब बदल गई है और और 1968–69 में गन्ने का क्षेत्रफल 8.09 लाख हेक्टर हो गया है और 1969–70 में 9.72 लाख हेक्टर होने की आशा है। पिछले कई वर्षों से कपास का उत्पादन लगभग स्थिर सा रहा यद्यपि कपास का क्षेत्रफल बढ़ाने और प्रति एकड़ कपास की उपज बढ़ाने के अनेक प्रयत्न किये गये। तिलहन तथा जूट के उत्पादन में बढ़ोत्तरी हुई है। नीचे की तालिका में विगत तीन वर्षों में हुई प्रमुख वाणिज्यिक फसलों की उपलब्धियां तथा चौथी योजना और 1969–70 के लिये निर्धारित लक्ष्यों का विवरण दिया गया है :—

मद	इकाई	उपलब्धियां 1966–67	1967–68	1968–69 (अनुमानित)	लक्ष्य 1969–70	1973–74
1—गन्ना (गुड़)	लाख मीट्रिक टन	39.37	40.00	50.00	52.00	67.50
2—तिलहन	,,	12.95	15.84	17.68	18.83	22.00
3—कपास	लाख गांठ	0.51	0.31	0.60	0.65	1.00
4—जूट	,,	1.53	1.85	2.04	2.07	2.20

8—गन्ना विकास—वर्ष 1966–67 में गन्ने का कुल उत्पादन 300.88 लाख मीट्रिक टन था जो 1967–68 में घटकर 260.14 लख मीट्रिक टन रह गया। चीनी मिल क्षेत्रों में गन्ने का क्षेत्रफल तेजी से घटा और यह 1965–66 के 10.31 लाख हेक्टर की अपेक्षा 1967–68 में केवल 6.56 लाख हेक्टर रह गया। वर्ष 1966–67 में सूखा के कारण गन्ने के उत्पादन पर बड़ा बुरा प्रभाव पड़ा, जो कुछ हद तक इन दो वर्षों में गन्ने के क्षेत्रफल को घटाने के लिये भी उत्तरदायी था। चीनी पर से आंशिक रूप से नियंत्रण हटाने तथा गन्ने का लाभप्रद मूल्य दिलाये जाने की वर्तमान नीति के फलस्वरूप न केवल क्षेत्रफल की कमी की दिशा में परिवर्तन हुआ है अपितु किसानों को भी अपेक्षित मात्रा में साधनों का प्रयोग करके उत्पादन बढ़ानें की प्रेरणा मिली है। वर्ष 1968–69 में गन्ने के अन्तर्गत 8.09 लाख हेक्टर क्षेत्र था और गन्ने का उत्पादन 384.68 लाख मीट्रिक टन हुआ। वर्ष 1969–70 में 9.72 लाख हेक्टर क्षेत्र में गन्ने की खेती का प्रस्ताव है ताकि उत्पादन 396 लाख मीट्रिक टन हो जाय। गन्ना उत्पादन बढ़ाने की मुख्य नीति यह होगी कि गन्ने के ऐसे क्षेत्रों के लिये सब आवश्यक साधनों की व्यवस्था की जाय जहां उत्पादकों के निजी

साधनों द्वारा और, यदि आवश्यक हो तो, अन्य साधनों द्वारा अपेक्षित संख्या (6–8) में सिंचाई सुनिश्चित की जा सके। तदनुसार सुनिश्चित सिंचाई वाले क्षेत्रों में गन्ना उत्पादन को तेजी से बढ़ाने के लिये एक कार्यक्रम अधिक उत्पादन वाली किस्मों के कार्यक्रम के आधार पर तैयार किया गया है। यह प्रस्ताव है कि लघु सिंचाई साधनों द्वारा 1969–70 में 0.64 लाख हेक्टर की अतिरिक्त सिंचन क्षमता सृजित की जाय। रासायनिक उर्वरकों की खपत वर्तमान 1.50 लाख मीट्रिक टन से बढ़ाकर 1969–70 में 2.60 लाख मीट्रिक टन के स्तर पर लाने का लक्ष्य है। 1969–70 में उन्नतशील गन्ने के बीज वितरण का लक्ष्य 2.96 लाख मीट्रिक टन रखा गया है। इन प्रयत्नों के फलस्वरूप आशा है कि गन्ने का प्रति एकड़ उपज वर्तमान 16.20 मीट्रिक टन से बढ़कर 1969–70 में 16.50 मीट्रिक टन तक हो जायगा।

9—फलोपयोग—फलोपयोग के लिये चौथी योजना में एक करोड़ रु० का परिव्यय है जिसमें से 0.20 करोड़ रु० 1969–70 के लिये है। वर्ष 1969–70 में लिये जाने वाले प्रमुख कार्यक्रमों में निम्नलिखित विशेष रूप से उल्लेखनीय है :—

(1) बागवानी के अन्तर्गत लाया जाने वाला अतिरिक्त क्षेत्र	(हेक्टर)	3200
(2) प्राजनी आर्चड एवं नर्सरी	(संख्या)	5
(3) फलोत्पादकों का प्रशिक्षण	(संख्या)	200
(4) सब्जी के अन्तर्गत लाया जाने वाला अतिरिक्त क्षेत्र	(हेक्टर)	200

10—मलोपयोग (सीवेज)—वर्ष 1968–69 के अन्त तक 20 नगरों में सीवेज फार्मों की स्थापना करली गयी और 6656 हेक्टर भूमि में सीवेज से सिंचाई होने लगी। चौथी योजना में सीवेज स्कीमों के लिये 3 करोड़ रुपये का परिव्यय है जिसमें 0.30 करोड़ रुपया 1969–70 के लिए है।

11—कृषि शिक्षा—वर्ष 1966–67 व 1967–68 में कृषि शिक्षा पर क्रमशः 19.38 लाख रुपये और 62.78 लाख रुपये व्यय हुए। 1968–69 में 71.82 लाख रुपये के व्यय का अनुमान है। चौथी योजना के लिये कृषि शिक्षा पर 279.17 लाख रुपये का परिव्यय रखा गया है जिसमें से 50.37 लाख रुपया 1969–70 के लिये है।

विभिन्न अनुसंधान इकाइयों को शिक्षा और प्रसार से संबंद्ध करके राजकीय कृषि कालेज कानपुर को राज्य कृषि विज्ञान संस्थान के रूप में प्रोन्नत किया जा रहा है। ऐसे पुनर्गठन से न केवल अनुसंधान तथा शिक्षा के स्तर में सुधार होगा वरन यह उस तकनीकी आधार को भी पुष्ट करेगा जिसकी वैज्ञानिक कृषि के लिये बड़ी अवश्यकता है।

12—कृषि शोध—वर्ष 1967–68 में कृषि कार्यों पर 15.49 लाख रुपये का व्यय हुआ। वर्ष 1968–69 में 28.44 लाख रुपये के प्राविधान के समक्ष 16.92 लाख रु० व्यय हुआ। 1969–70 में 13.86 लाख रुपये का प्राविधान है। यह प्रस्ताव है कि जौ, चावल, गेहूं, मक्का, दालों तथा पटसन पर समन्वित अनुसंधान कार्यक्रम प्रारम्भ किये जाय और मोटे अनाजों पर अनुसंधान तेज किया जाय तथा अधिक उपज वाली और रोग निरोधक शाक की किस्मों और रोगमुक्त आलू के बीजों की किस्में निकाली जांय।

13—चकबन्दी—प्रदेश में चकबन्दी लायक कुल 125.04 लाख हेक्टर क्षेत्र है। आशा है 1968–69 तक 89.08 लाख हेक्टर क्षेत्र में चकबन्दी हो चुकेगी। चौथी योजना में 20 लाख रुपये की लागत से 26.30 लाख हेक्टर भूमि म चकबन्दी करने का लक्ष्य ह जिसमें से 1969–70 में 4.41 लाख हेक्टर भूमि में चकबन्दी की जायगी। 1969–70 का परिव्यय 4.10 करोड़ रुपया है।

14—वर्ष 1969–70 में कृषि उत्पादन क्षेत्र के लिये 9.38 करोड़ रुपये का परिव्यय रखा गया है। विभिन्न कार्यक्रमों के अन्तर्गत प्रस्तावित परिव्यय का विवरण इस प्रकार है :

	(करोड़ रुपयों में)
1—कृषि विभाग की स्कीमें	3.80
2—मलोपयोग (सीवेज)	0.30
3—फल–उपयोग	0.20
4—गन्ना विकास	0.60
5—चकबन्दी	4.10
6—अन्य (प्रशिक्षण, विकास अन्वेषणालय आदि)	0.38
योग ..	9.38

15—भूमिहीन मजदूरों की समस्या को हल करने एवं उनको रोजगार के साधन उपलब्ध कराने, उन्हें समर्थ नागरिक बनाने तथा मजदूरी पर आश्रय कम करने के लिये योजनायें बनाने एवं कार्यान्वित करने का प्रस्ताव है। इन योजनाओं के लिये चौथी पंचवर्षीय योजना अवधि में 5 करोड़ रुपये का परिव्यय प्रस्तावित है परन्तु इस धनराशि से संबंधित परियोजनाओं और कार्यक्रमों को तभी कार्यान्वित किया जायगा जब अतिरिक्त संसाधन उपलब्ध हो सकेंगे। इस बीच, एक कार्यकारी मंडल द्वारा भूमिहीन मजदूरों की समस्या के सभी पहलुओं पर विचार करके ऐसा कार्यक्रम निश्चित किया जायगा जिससे भूमिहीन मजदूरों को रोजगार मिल सके।

2—भूमि संरक्षण

16—राज्य में कृषि की कम उपज के कारणों में से एक कारण कटाव के फलस्वरूप भूमि का उत्तरोत्तर ह्रास है। यह अनुमान लगाया गया है कि देश में भूमि के कटाव से क्षतिग्रस्त 8.094 करोड़ हेक्टेयर के कुल क्षेत्र के समक्ष लगभग 52.61 लाख हेक्टेयर क्षेत्र उत्तर प्रदेश में है। यदि भूमि का इसी प्रकार ह्रास होता रहा तो प्रति हेक्टेयर होने वाली वर्तमान पैदावार को बढ़ाना तो दूर रहा उसको बनाये रखना भी संभव न होगा। अतः राज्य में एक बड़े पैमाने पर भूमि और जल के संरक्षण के लिए प्रभावशाली कदम उठाये जाने की आवश्यकता है।

17—भूमि संरक्षण योजनाओं के लिये चौथी योजना काल के प्रस्तावित 2,140 लाख रु० के परिव्यय के समक्ष वर्ष 1969–70 का निर्धारित परिव्यय 324 लाख रु० है जिसमें कृषि विभाग, वन विभाग तथा विकास अन्वेषणालय के भाग क्रमशः 295 लाख, 25 लाख और 4 लाख रु० है।

18—कृषि विभाग की योजनायें—इन योजनाओं के अन्तर्गत चौथी योजना के दौरान यत्र-तत्र बिखरे क्षेत्रों में भूमि संरक्षण कार्य करने के बजाय राज्य के चुने हुये कृषि-जलवायु मण्डलों (Agro-Climatic Regions) में विशेष ध्यान देकर क्षेत्र को परिपूर्ण (Saturate) करने का प्रयास किया जायेगा। इस कार्यक्रम को जलछादक (watershed) आधार पर पर्ववद्ध किया जायेगा। तंग घाटियों को कृषि योग्य बनाने की योजना के अन्तर्गत कृषि योग्य उत्पादक भूमि को सुधारने तथा उसका बचाव करने और सीमान्त भूमि (marginal land) तथा खड्ड भूलों (गली हेड्स) के स्थिरीकरण पर जोर दिया जायेगा। कृषि विभाग द्वारा यह कार्य तंग घाटियों तक ही सीमित रहेगा। कृषि विभाग की विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत चौथी योजना काल में 10.59 लाख हेक्टेयर भूमि, भूमि संरक्षण कार्यक्रम के अन्तर्गत लाने का लक्ष्य है।

19—कृषि विभाग की कुछ मुख्य योजनाओं के अन्तर्गत वर्ष 1969–70 के प्रस्तावित लक्ष्य इस प्रकार है :—

20—अत्यन्त सूखाग्रस्त क्षेत्रों के लिये भूमि संरक्षण की योजना—यह एक नयी योजना है जिसके अन्तर्गत वर्ष 1969–70 में 4 भूमि संरक्षण इकाइयां स्थापित की जायेंगी तथा 3,300 हेक्टर भूमि में भूमि संरक्षण कार्य किया जायेगा।

21—मुख्यतया कृषि जल विभाजित क्षेत्र में भूमि तथा जल संरक्षण— यह एक महत्वपूर्ण योजना है। इसके अन्तर्गत वर्ष 1969–70 में 2 इकाइयां स्थापित की जायेंगी तथा 1,80,000 हेक्टर पर भूमि संरक्षण कार्य करने का प्रस्ताव है।

22—खालों का पुनर्वापण–सीमान्त भूमि का संरक्षण—इस योजना के अन्तर्गत 1969–70 में 11,200 हेक्टर भूमि में संरक्षण कार्य करने का लक्ष्य निर्धारित है।

23—पर्वतीय क्षेत्रों में भूमि तथा जल संरक्षण (कुमायूं प्रभाग) की योजना—इस योजना के अन्तर्गत 1969–70 में भूमि तथा जल संरक्षण कार्य 2,100 हेक्टर भूमि पर किया जायेगा।

24—मिट्टी तथा भूमि प्रयोग के सर्वेक्षण की योजना—इस योजना के अन्तर्गत 1969–70 में 1,80,000 हेक्टर भूमि का सर्वेक्षण करने का लक्ष्य प्रस्तावित है।

25—शोध, प्रदर्शन एवं प्रशिक्षण केन्द्रों को स्थापित करने की योजना—इस योजना के अन्तर्गत 1969–70 में 60 सहायकों, 25 कृषि ओवरसियरों तथा 260 उप-सहायकों को प्रशिक्षित करने का लक्ष्य निर्धारित है।

26—वन विभाग की योजनाएं—खालों का पुनर्वापण एवं वनीकरण की योजना के अन्तर्गत चौथी योजना काल में पुनर्वापण तथा वनीकरण का कार्य 25,000 हेक्टर भूमि पर प्रस्तावित है। इसके समक्ष वर्ष 1969–70 में 5,000 हेक्टर भूमि पर यह कार्य किया जायगा। इस योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित कार्यक्रम से कृषि उत्पादन बढ़ाने, मवेशियों के लिये चारा उपलब्ध कराने तथा वहां के निवासियों के लिये लकड़ी एवं ईंधन की व्यवस्था करने में सहायता मिलेगी। इसके अतिरिक्त इन वनों की लकड़ी काटने पर उससे अच्छी आय भी होगी।

27—विकास अन्वेषणालय की योजनायें—चौथी योजना काल में पहले से चालू मुजफ्फराबाद में भूमि संरक्षण प्रशिक्षण केन्द्र की योजना तथा फूलपुर (इलाहाबाद) में भमि तथा जल संरक्षण की योजना की जारी रखने का प्रस्ताव है।

3—पशुपालन

28—चौथी योजना के अन्तर्गत पशुपालन कार्यक्रम हेतु निर्धारित 550.00 लाख रुपयों के कुल परिव्यय के समक्ष वार्षिक योजना 1969–70 के लिये 100.00 लाख रु० का परिव्यय निर्धारित किया गया है, जिसमें से कुक्कुट प्रयोजना फूलपुर के निमित्त 1.90 लाख रु० की राशि भी सम्मिलित है।

चौथी योजना तथा वार्षिक योजना 1969–70 के लिये प्रत्येक वर्ग के अन्तर्गत निर्धारित परिव्यय निम्न प्रकार है :—

(लाख रुपये में)

वर्ग	परिव्यय	
	चौथी योजना	1969–70
1—पशु अभिजनन	247.33	49.69
2—चारा एवं दाना विकास	15.00	3.00
3—भेड़ तथा ऊन विकास	49.45	4.41
4—कुक्कुट विकास	29.44	6.09
5—पशु चिकित्सा एवं रोग नियंत्रण ..	87.66	10.77
6—पशु पालन शोध, प्रशिक्षण एवं सांख्यिकी ..	39.55	9.97
7—सूकर विकास	6.16	0.84
8—अन्य योजनायें	75.41	15.23
योग ..	550.00	100.00

29—वर्ष 1969–70 के लिये प्रस्तावित भौतिक कार्य-क्रमों का संक्षिप्त विवरण नीचे दिया गया है।

30—पशु अभिजनन—चौथी योजना काल के अन्तर्गत कुल 73 कृत्रिम गर्भाधान केन्द्रों को स्थापित करने के लक्ष्य (सघन पशु विकास खण्डों को सम्मिलित करते हुए) के विरुद्ध वर्ष 1969–70 में 18 कृत्रिम गर्भाधान केन्द्र महत्वपूर्ण पशु चिकित्सालयों में स्थापित किये जायेंगे जिनको जोड़कर प्रदेश में कृत्रिम गर्भाधान केन्द्रों की कुल संख्या वर्ष 1969–70 के अन्त तक 634 हो जायगी। एक शुक्राणु संग्रह केन्द्र की स्थापना की जायेगी जिसको मिला कर वर्ष 1969–70 में अन्त तक 15 शुक्राणु संग्रह केन्द्र हो जायेंगे। वर्तमान कृत्रिम गर्भाधान केन्द्रों की कार्य-क्षमता बढ़ाने के लिये वहां पर भवन तथा साज-सज्जा के रूप में अतिरिक्त सुविधायें बढ़ाई जायेंगी। सघन पशु विकास खण्ड लखनऊ, कानपुर, मेरठ और मुरादाबाद में अतिरिक्त सुविधायें दी जायेंगी। चौथी योजनाके अन्तर्गत 2 सघन पशु विकास खण्ड स्थापित करने के लक्ष्य के विरुद्ध एक सघन पशु विकास खण्ड की स्थापना वर्ष 1969–70 में अलीगढ़ में की जायेगी।

चारे के उत्पादन में वृद्धि करने के उद्देश्य से उन्नत किस्म के चारे के बीज तथा जड़ें 11,320 हेक्टर भूमि के लिये वितरित की जायेंगी और कृषकों के खेतों में 6,760 प्रदर्शन आयोजित किये जायेंगे।

भेड़ तथा ऊन विकास—चौथी योजना काल के लिये 10 भेड़ तथा ऊन प्रसार केन्द्रों की स्थापना का लक्ष्य है जिसमें से वर्ष 1969–70 में दो केन्द्र स्थापित किये जायेंगे। भेड़ों को सामूहिक रूप से दवा पिलाने का कार्यक्रम भेड़ प्रक्षेत्रों, भेड़ तथा ऊन प्रसार केन्द्रों। भेड़ा केन्द्रों के चहुं ओर यथावत चलाया जायेगा। बकरियों की अभिजनन में वृद्धि करने के लिये 70 पशु चिकित्सालयों में, 2 बकरे प्रति चिकित्सालय की दर से रखे जायेंगे, जब कि चतुर्थ योजना काल में इसी प्रकार 400 पशु चिकित्सालयों में २ बकरे रखने का लक्ष्य है।

कुक्कुट विकास—कुक्कुट कार्यक्रम के अन्तर्गत पर्वतीय क्षेत्र तथा इलाहाबाद नगर के कुक्कुट पालकों की बढ़ती हुई मांग की पूर्ति के लिये क्षेत्रीय कुक्कुट प्रक्षेत्र हवालबाग, जिला अल्मोड़ा का विस्तार तथा इलाहाबाद में एक कुक्कुट प्रसार केन्द्र, कुलभास्कर आश्रममें खोलने का लक्ष्य है। कुछ विद्यमान

कुक्कुट प्रक्षेत्रों तथा कुक्कुट प्रसार केन्द्रों में भवनादि तथा साज सज्जा के रूप में अतिरिक्त सुविधायें बढ़ाई जायेंगी। व्यवहारिक कुक्कुट पुष्टाहार कार्यक्रम विद्यमान 106 सामुदायिक विकास खण्डों म चालू रहेगा और 23 नये विकास खण्डों में कार्यक्रम का विस्तार किया जायगा।

पशु चिकित्सा एवं रोग नियंत्रण—चौथी योजना के अन्तर्गत 35 पशु चिकित्सालय तथा 492 पशुपाल केन्द्र (सघन पशु विकास खण्डों को सम्मिलित करते हुये) स्थापित करने का लक्ष्य है जिसमें से 8 पशु चिकित्सालय तथा 140 पशुपालन केन्द्र (सघन पशु विकास खण्डों को सम्मिलित करते हुये) वर्ष 1969–70 में स्थापित किये जायेंगे। साथ ही इस वर्ष 6 पशु चिकित्सालयों का प्रान्तीयकरण तथा प्रदेश के 5 चुने हुये पशु चिकित्सालयों में एक ज्येष्ठ पशु चिकित्सक की नियुक्ति और जैविक उत्पादन शाखा का विस्तार किया जायेगा।

सूकर विकास—इस कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्तमान सूकर विकास खण्डों में 475 नर सूकर तथा उतनी ही मादा सूकर रियायती दरों पर वितरित की जायेंगी। सूअर पालकों के लिये विक्रय सुविधाओं का भी प्राविधान योजना में निहित है।

अन्य योजनायें—इस वर्ग के अन्तर्गत देहरादून तथा झांसी में स्थापित नगरीय चर्म शोधन तथा शव उपयोग केन्द्रों में भवनादि व साज सज्जा की वृद्धि, एक दिवसीय पशु प्रदर्शनियों का आयोजन, सरकारी कुक्कुट क्रय विक्रय समितियों का गठन एवं एक मेढ़ों के ऊन के अल्पन, वर्गीकरण तथा क्रय-विक्रय केन्द्र की सहकारिता के आधार पर स्थापना हेतु व्यवस्था प्रस्तावित है। बधशालाओं के आधुनिकीकरण के लिये भी 2 लाख रु० की एकमुश्त राशि योजना में है।

4—दुग्धशाला तथा दूध का वितरण

31—इस क्षेत्र से सम्बन्धित योजनाओं के चौथी योजना के 400 लाख रु० के स्वीकृत परिव्यय के समक्ष वर्ष 1969–70 का प्रस्तावित परिव्यय 70 लाख रु० है जिसमें पूंजी का अंश 50.56 लाख रु० है। 70 लाख रु० के प्रस्तावित परिव्यय में से 41.78 लाख रु० स्पिलओवर योजनाओं के लिये है और बाकी 28.22 लाख रु० की धनराशि नई योजनाओं के लिये है।

32—इस क्षेत्र के चौथी योजना के प्रस्तावों में इस बात पर बल दिया गया है कि तीसरी योजना में लिये गये प्रोजेक्टों को पूरा किया जाय तथा जहां आवश्यक हो वर्तमान दुग्ध योजनाओं के कार्य क्षेत्र को बढ़ाने के लिए उनका संगठन एवं प्रसार किया जाय। इसी बात को ध्यान में रखकर वर्ष 1969–70 के प्रस्तावित 70 लाख रु० के परिव्यय में से स्पिलओवर योजनाओं के लिये निर्धारित 41.78 लाख रु० की धनराशि कानपुर दुग्ध प्रायोजना, वेवी फूड फैक्टरी, मुरादाबाद तथा गोरखपुर दुग्ध प्रायोजना की पूर्ति तथा चालू करने में लगाई जायेगी।

33—इस क्षेत्र के प्रस्तावित नये कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्ष 1969–70 में पिथौरागढ़ में एक ग्रामीण दुग्धशाला केन्द्र स्थापित करने का प्रस्ताव है जब कि चौथी योजना में ऐसे 3 केन्द्र प्रस्तावित हैं। उत्पादन ऋण की योजना के अन्तर्गत वर्ष 1969–70 में दुग्ध समितियों को 8.50 लाख रु० का ऋण देने का प्रस्ताव है जब कि चौथी योजना में प्रस्तावित ऐसे ऋण की धनराशि 70 लाख रु० है। इस क्षेत्र के अन्य महत्वपूर्ण लक्ष्यों में 1969–70 में 326 प्राथमिक दुग्ध समितियों को संगठित करने का प्रस्ताव है जब कि चौथी योजना में ऐसी 4,660 समितियां संगठित की जायेंगी।

34—यह आशा की जाती है कि सहकारी दुग्ध समितियों द्वारा दुग्ध का दैनिक लेनदेन वर्ष 1969–70 के अन्त तक 98,000 लीटर से बढ़ कर 1.29 लाख लीटर हो जायेगा और चौथी योजना के अन्त तक दुग्ध का यह दैनिक लेनदेन 4 लाख लीटर हो जायेगा। दूग्धशाला सर्वेक्षण तथा मूल्यांकन की योजना के अन्तर्गत वर्ष 1969–70 में एक सीनियर मिल्क इन्सपेक्टर, 6 सुपरवाइजर तथा एक अर्दली की एक टीम नियुक्त की जायेगी जो इस आशय से सर्वेक्षण करेगी कि चौथी योजना काल

में ली जाने वाली नई योजनाएं कहां स्थापित की जायें। नगर दुग्ध सम्पूर्ति योजना के अन्तर्गत 1969–70 की वार्षिक योजना में 5 लाख रु० की व्यवस्था इसलिये की गई है कि अलीगढ़ को पाश्चराइजेशन मशीनरी मिल जाये और मेरठ तथा हरिद्वार के नगरों में पाश्चराइज्ड दूध का वितरण हो सके।

5—वन

35—उत्तर प्रदेश की अर्थ-व्यवस्था में वनों का महत्वपूर्ण योगदान है। ये न केवल लकड़ी, ईंधन तथा अन्य प्रकार के उत्पादनों की पूर्ति करते हैं वरन् बाढ़ और भूक्षरण को रोकने में भी सहायक होते हैं और मिट्टी की उत्पादन-क्षमता को सुरक्षित रखते हैं। अनेक उद्योग जैसे फ़र्नीचर, कागज, रेशम, प्लाईवुड, दियासलाई, रेजिन तथा रंगाई कच्चे माल की पूर्ति के लिये वनों पर निर्भर रहते हैं। प्रदेश के पर्वतीय जिलों के लिये तो वनों का महत्व और भी अधिक है।

36—चौथी योजना में वानिकी परियोजनाओं के लिए 1300 लाख रु० का परिव्यय निर्धारित है जिसमें से वर्ष 1969–70 के लिये 198 लाख रुपये का परिव्यय रखा गया है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत विशेष बल उन योजनाओं पर दिया जायगा जिनसे वर्तमान वनों की उत्पादन क्षमता बढ़ाने में सहायता मिल सके। वानिकी योजनाओं के मुख्य उद्देश्य हैं, कम मूल्य और निम्नकोटि की वन फ़सल के स्थान पर औद्योगिक और आर्थिक महत्व के शीघ्र बढ़ने वाले वृक्षों का लगाना, वर्तमान सड़कों में सुधार करके, तथा पुलों और नई सड़कों का जाल बिछा कर संचार साधनों का विकास करना, लकड़ी के लट्ठे तैयार करने के आधुनिक ढंगों का प्रयोग करना तथा शीघ्र उगने वाली प्रजातियों पर शोध कार्य करना, इत्यादि।

37—वर्ष 1969–70 के लिये प्रस्तावित कुछ महत्वपूर्ण लक्ष्य निम्नलिखित हैं—

38—आर्थिक एवं औद्योगिक महत्व के वृक्षों का रोपण—यह एक महत्वपूर्ण योजना है जिसके अन्तर्गत वर्ष 1969–70 में 8,800 हेक्टर पर तथा चौथी योजना काल में 44,400 हेक्टर पर वृक्षारोपण करने का प्रस्ताव है।

39—निम्नवर्गीय वनों का पुनः स्थापन—इस योजना के अन्तर्गत चौथी योजना काल में 27,000 हेक्टर पर कल्चरल कार्यक्रम किया जायगा। वर्ष 1969–70 में इस कार्यक्रम को 3,300 हेक्टर पर करने का प्रस्ताव है।

40—प्रकाष्ठ के उन्नत लट्ठे तैयार करने की प्रायोजना—राजकीय वनों में विशेषकर पहाड़ी इलाकों में अभी भी लट्ठे तैयार करने के ढंग बहुत पुराने और खर्चीले हैं। लकड़ी की कमी को देखते हुए इस स्थिति को कायम रखना उचित न होगा। अतः चौथी योजना काल में 20,000 घन मीटर लकड़ी के लट्ठे की लागिंग का लक्ष्य रखा गया है जिसमें से वर्ष 1969–70 में 3,300 घन मीटर लट्ठे तैयार करने का लक्ष्य है।

41—संचार साधन—चौथी योजना काल में 1,410 कि० मी० नई सड़कें बनाने, 3,030 कि० मी० पुरानी सड़कों का सुधार करने, 200 पुल तथा पुलियां बनाने, 2,022 कि० मि० पर टेलीफ़ोन लाइनें बिछाने तथा 57 जीपों के क्रय के लक्ष्य प्रस्तावित हैं। इनके समक्ष वर्ष 1969–70 में 67 कि० मि० नई सड़कें बनाने 56 कि० मि० पुरानी सड़कों का सुधार करने, 5 पुल तथा पुलियां बनाने, 66 कि० मि० पर टेलीफ़ोन लाइनें बिछाने तथा 6 जीपों के खरीदने का प्रस्ताव है।

42—कर्मचारियों का प्रशिक्षण—आधुनिक वानिकी एक प्राविधिक कार्यक्रम है अतः यह आवश्यक हो गया है कि हर श्रेणी के प्राविधिक कर्मचारियों को उचित प्रशिक्षण दिया जाये ताकि उनकी दक्षता बनी रहे। इसी बात को ध्यान में रखते हुये चौथी योजना काल में 5 सी० एफ़० ए० सी० एफ़०, 5 आई० एफ़० एस०/पी० एफ़० एस०, 20 फ़ौरेस्ट रेन्जर्स, 275 डिप्टी रेन्जर्स/फ़ौरेस्टर्स तथा 600

फ़ौरेस्ट गार्ड्स को प्रशिक्षित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसके समक्ष वर्ष 1969–70 में एक सी० एफ़०/ए० सी० एफ़० एक/आई० एफ़० एस०/पी० एफ़० एस०, 4 फ़ौरेस्ट रेन्जर्स, 55 डिप्टी रेन्जर्स/फौरेस्टर्स तथा 120 फौरेस्ट गार्ड्स को प्रशिक्षत करने का प्रस्ताव है।

43—वन विभाग द्वारा सार्वजनिक निर्माण विभाग की सड़कों के किनारे के पेड़ों का प्रबन्ध—इस योजना के अन्तर्गत चौथी योजना काल में सार्वजनिक निर्माण विभाग की 7,200 कि० मि० सड़क को अधिकार में लेने तथा 4,000 कि० मि० सड़क पर वृक्षारोपण करने का लक्ष्य है। वर्ष 1969–70 में सार्वजनिक निर्माण विभाग की 220 कि० मि० सड़क अधिकार में ली जायगी तथा 650 कि० मि० सड़क पर वृक्षारोपण किया जायगा।

44—'वर्किंग प्लान्स' का बनाना और उनका पुनरीक्षण—इस योजना के अन्तर्गत चौथी योजना काल में 8 वर्किंग प्लान्स बनाये जायेंगे जिसमें 3 वर्किंग प्लान्स का कुछ अंश भी सम्मिलित है। वर्ष 1969–70 में 2 वर्किंग प्लान्स बनाये जायंगे। इसमें एक आयोजना का कुछ अंश भी सम्मिलित है।

45—ईंधन और कृषि वानिकी—गंगा के विस्तृत मैदान में वनों के अभाव के कारण वहां के निवासियों को ईंधन के लिये गोबर का प्रयोग करना पड़ता है। इस योजना का उद्देश्य यह है कि जिन जिलों में वन उपलब्ध नहीं हैं वहां की ग्रामीण जनता को, ईंधन के लिये लकड़ी उपलब्ध कराई जाये। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत चौथी योजना काल में 6,500 हेक्टर क्षेत्र में तथा वर्ष 1969–70 में 1,300 हेक्टर में वृक्षारोपण करने का प्रस्ताव है।

46—शीघ्र उगने वाले प्रजातियों के वृक्षों का वृक्षारोपण—यह योजना सर्व प्रथम 1962–63 में केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना के रूप में चलाई गई थी। चौथी योजना में यह राज्य योजना में सम्मिलित कर ली गई है। इस योजना के अन्तर्गत 70,000 क्षेत्र में इकल्युप्टस, बांस, शहतूत इत्यादि के वृक्षों का रोपण किया जायगा और वर्ष 1969–70 में 14,000 हेक्टर पर वृक्षारोपण करने का प्रस्ताव है।

47—भवन निर्माण—इस योजना के अन्तर्गत चौथी योजना काल में तथा वर्ष 1969–70 में क्रमशः 240 और 41 भवनों के निर्माण करने के लक्ष्य प्रस्तावित हैं।

वर्ष 1969–70 के वानिकी कार्यक्रम में वन्य पशुओं के संरक्षण में तथा "सैन्क्चुअरीज" के रख-रखाव तथा सुधार का भी कार्यक्रम सम्मिलित है।

6—मत्स्य विकास

48—चौथी पंचवर्षीय योजना काल में मत्स्य विकास योजनाओं के निमित्त 90 लाख रु० के परिव्यय की व्यवस्था की गई है और इसमें से 1969–70 के लिये 20 लाख रु० का परिव्यय रखा गया है। इसमें वार्षिक योजनाओं में चलनेवाले अधिनीत निर्माण कार्यक्रम तथा नये निर्माण कार्य भी सम्मिलित हैं। वृहद तथा मध्यमाकार जलाशयों के विकास एवं उपयोग पर विशेष बल दिया जायगा जिससे मत्स्योत्पादन में वृद्धि हो और साथ-साथ आय भी बढ़े। व्यावहारिक पुष्टाहार कार्यक्रम के अन्तर्गत विकास खण्डों के तलाबों में मत्स्य पालन की व्यवस्था की जायेगी। तृतीय योजना के अन्त तक 16 वृहद जलाशयों तथा 12 मध्यमाकार जलाशयों में मत्स्य पालन का नियोजित कार्यक्रम चलाया गया। वार्षिक योजनाओं में 12 वृहद जलाशय तथा 15 मध्यमाकार जलाशयों में मत्स्य विकास कार्यक्रम सम्पादित किया गया। इस प्रकार तदर्थ आयोजना काल के अन्त तक 28 वृहद जलाशय 27 मध्यमाकार जलाशय तथा 389 विभागीय जलाशय मत्स्य विभाग के प्रबन्ध में आ चुके हैं। इसके अतिरिक्त 17 टी० ई० पी० केन्द्रों के चारों ओर तथा 32 विकास खंडों में भी मत्स्य पालन का कार्य किया जा रहा है। इन जलाशयों में वर्ष 1968–69 में 134.38 लाख मछली के बच्चों को

पूर्ति एवं संचय किया गया तथा 10,721 क्वींटल मछली का उत्पादन वृहद तथा मध्यमाकार जलाशयों से हुआ जिससे 28.77 लाख रु० की आय हुई।

49—वर्ष 1969–70 में रिहन्द जलाशय पर मत्स्य विकास कार्यक्रम के विस्तार के अतिरिक्त चार और वृहत जलाशयों ओबरा (मिर्जापुर), पहारी, लचूरा और परिचा (झांसी) जिनका क्षेत्रफल 4,195 हेक्टर है मत्स्य विकास हेतु लिये जायेंगे। इन जलाशयों से मत्स्योत्पादन की उपलब्धि 7–10 वर्ष में हो सकेगी। परन्तु प्रयोगात्मक रूप में मछली पकड़ने का कार्यक्रम चलता रहेगा। साथ ही साथ 4 उत्प्रेरित प्रक्षेत्र तथा 6 बन्धियों के निर्माण तथा व्यवहारिक पुष्टाहार कार्यक्रम के अन्तर्गत 6 अतिरिक्त विकास खण्डों के लिये जाने का प्रस्ताव है।

50—मत्स्य बीज की बढ़ती हुई मांग की पूर्ति हेतु बृहद जलाशयों के निकट नर्सरी मत्स्य प्रक्षेत्रों के निर्माण की व्यवस्था 1970–71 में की जायेगी जिसके लिये भूमि की प्राप्ति इत्यादि इसी वर्ष 1969–70 में कर ली जायेगी। 3 श्रमिक मछुआ सहकारी समितियों का संगठन किया जायेगा जिनको विभागीय जलाशयों से मछली निकालने हेतु प्रत्येक समिति को 10,000 रुपये तक ऋण साज-सज्जा व सामान (जाल व नावें आदि) के रूप में दिया जायेगा। प्रत्येक श्रमिक मछुआ सहकारी समिति में कम से कम 100 सदस्य होंगे। शिक्षा और प्रशिक्षण कार्यक्रम के अन्तर्गत विभागीय कार्यकर्ताओं को मत्स्य विज्ञान तथा गियर टेक्नालाजी में विशिष्ट पाठ्यक्रमों में प्रशिक्षण दिलाने हेतु भारत सरकार द्वारा स्थापित बम्बई, आगरा, बैरकपुर तथा इरनाक्यूलम आदि संस्थानों पर भेजा जाना प्रस्तावित है।

7—सहकारिता

51—सहकारिता को देश के नियोजित आर्थिक विकास में एक महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। चौथी योजना में इस बात पर बल दिया गया है कि अभी तक जो कार्य किया गया है उसको पक्का किया जाये और राज्य में कार्यान्वित किये जा रहे महत्वाकांक्षी कृषि विकास कार्यक्रम, विशेषकर अधिक उपज देने वाली किस्मों के कार्यक्रम को पर्याप्त बल देने के लिये वर्तमान ऋण व्यवस्था में समुचित सुधार किया जाये।

52—इस क्षेत्र के चौथी योजना के लिये प्रस्तावित 900 लाख रुपये के परिव्यय के समक्ष वर्ष 1969–70 का निर्धारित परिव्यय 57 लाख रुपया है। इसमें सहकारिता, उद्योग तथा वित्त विभाग की योजनाओं का हिस्सा क्रमशः 43, 10 और 4 लाख रुपया है।

53—सहकारिता विभाग की योजनाओं के अन्तर्गत वर्ष 1969–70 के प्रस्तावित महत्वपूर्ण लक्ष्य निम्नलिखित हैं:—

54—सहकारी ऋण तथा बैंकिंग की योजना— वर्ष 1969–70 में इस योजना के महत्वपूर्ण लक्ष्य हैं, 1,500 जीवनक्षम समितियों को संगठित करना और वर्ष 1968–69 के अन्त तक की सदस्यों की 58 लाख की संख्या में 3 लाख की वृद्धि करके वर्ष 1969–70 के अन्त तक सदस्यों की संख्या 61 लाख कर देना। इस तरह चौथी योजना के 75 प्रतिशत कृषि परिवारों को सहकारिता क्षेत्र के अन्तर्गत लाने के लक्ष्य के समक्ष वर्ष 1969–70 के अन्त तक 61 प्रतिशत कृषि परिवार सहकारिता क्षेत्र के अन्तर्गत आजायेंगे। ऋण कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्ष 1969–70 में 50 करोड़ रुपये का अल्पकालीन ऋण 6 करोड़ रुपये का मध्यकालीन ऋण तथा 27 करोड़ रुपये का दीर्घकालीन ऋण देने का प्रस्ताव है। इस योजना के अन्तर्गत वर्ष 1969–70 में 14 जिला केन्द्रीय सहकारी बैंकों की शाखायें तथा 17 भूमि विकास बैंकों की शाखायें खोलने का प्रस्ताव है। इसी वर्ष उत्तर प्रदेश भूमि विकास बैंक के 4 करोड़ रुपये की लागत के डिबेंचर्स खरीदने का भी प्रस्ताव है।

55—सहकारी क्रय-विक्रय, विधायक तथा संग्रहण की योजना—इस योजना के अन्तर्गत वर्ष 1969–70 में 4 ट्रेड सेन्टर्स गोदाम तथा एक हाइड्रोजनेशन फ़ैक्टरी खोलने का प्रस्ताव किया गया है।

56—सहकारी प्रशिक्षण तथा योजनाओं का प्रसार—वर्ष 1968–69 में इस योजना के अन्तर्गत 4.00 कनिष्ठ कर्मचारियों तथा 0.59 लाख गैर सरकारी व्यक्तियों को प्रशिक्षित किया जायेगा। साथ में 4 जूनियर प्रशिक्षण केन्द्र (प्रोग्रेसिव) तथा स्त्रियों और पुरुषों की 56 पेरीपेटेटिक इकाइयों (प्रोग्रेसिव) की भी खोलने का प्रस्ताव है।

57—सहकारी कृषि योजना—इस योजना के अन्तर्गत वर्ष 1969–70 में 7 कृषि समितियों को बलिष्ट करने का प्रस्ताव किया गया है।

58—उद्योग विभाग की योजना—उद्योग विभाग की सहकारिता क्षेत्र में सम्मिलित सहकारी चीनी मिलों की योजना के अन्तर्गत चौथी योजना काल में सहकारी चीनी मिल, हरदुआगंज (अलीगढ़) कायमगंज (फ़र्रुखाबाद) तथा रसड़ा (बलिया) में स्थापित करने का प्रस्ताव है। इस योजना के 1969–70 के प्रस्तावित 10 लाख रुपये के परिव्यय को उसी मिल के सम्बन्ध में उपयोग किया जायेगा जिसके स्थापित करने के लिये भारत सरकार से लाइसेन्स प्राप्त हो जायेगा।

59—वित्त विभाग की योजना—वित्त विभाग की सहकारिता क्षेत्र में सम्मिलित विभिन्न स्तरों पर सहकारी लेखा परीक्षा संगठन के कर्मचारियों की संख्या में वृद्धि की योजना के अन्तर्गत वर्ष 1969–70 में केवल 51 जिला सम्प्रेक्षाधिकारियों को नियुक्त करने का लक्ष्य प्रस्तावित है। इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण केन्द्र के लिये भी कुछ कर्मचारियों को नियुक्त करने का प्रस्ताव है।

8—सामुदायिक विकास

60—सामुदायिक विकास और राष्ट्रीय प्रसार सेवा कार्यक्रम 2 अक्तूबर, 1952 को आरम्भ किया गया था जिससे कि ग्रामीण क्षेत्रों के समन्वित विकास की प्रक्रिया का श्रीगणेश किया जा सके। यह अनुभव किया गया कि उन ग्रामीण समस्याओं को जो परस्पर सम्बन्धित हैं और जिनका पृथक रूप से सुलझाना दुसाध्य है हल करने के लिये समन्वित दृष्टिकोण अपनाना जरूरी है। लाभप्रद परिणाम प्राप्त करने के लिये जानकारी, ऋण और सप्लाई को जाने वाली सामग्री के ताल मेल बैठाना है। इस संगठन का उद्देश्य यह था कि यह शोध केन्द्रों और प्रयोगशाला के संदेश को किसानों के खेत तक पहुंचाये। इसका उद्देश्य यह भी था कि ग्रामीण जनता में सामुदायिक जागृति पैदा की जाय जिससे कि उनकी शक्ति समन्वित प्रकार से सर्वसाधारण के लाभ के लिये उपयोग में लायी जा सके। प्रसार सेवा एक ऐसे समान सेवा केन्द्र के रूप में है जहां विकास विभाग के क्षेत्रीय कार्यकर्ता एक टोली के रूप में कार्य करते हैं। यह शीघ्र ही अनुभव किया गया कि जनता के सक्रिय सहयोग तथा उनके पहल के बिना ग्रामीण विकास कार्यक्रम का कोई वास्तविक प्रभाव नहीं पड़ेगा। सम्पूर्ण राज्य अक्तूबर, 1963 तक 875 विकास खण्डों के अन्तर्गत आ गया था। इससे समूचे राज्य में, जिसमें उत्तराखण्ड भी सम्मिलित है, राष्ट्रीय प्रसार सेवा खण्ड कायम करने की प्रक्रिया पूरी हो गई। वर्ष 1968–69 के अन्त तक राज्य में प्रथम क्रम के खण्ड नहीं होंगे और चौथी योजना के अन्त तक द्वितीय क्रम के खण्ड भी केवल 91 रह जायंगे।

61—चौथी योजना के लिये 1000.00 लाख रु० का परिव्यय निर्धारित किया गया है जिसमें से वर्ष 1969–70 की वार्षिक योजना के लिये 280.00 लाख रु० सम्मिलित है। इस क्षेत्र के अन्तर्गत योजनागत व्यय, द्वितीय प्रक्रम खण्डों के उत्तरोत्तर द्वितीय प्रक्रमोत्तर खण्डों में परिवर्तित होने के कारण क्रमशः घटता जायगा। वर्ष 1969–70 के कृषि उत्पादन कार्यक्रमों, लघु सिंचाई, पशुपालन, मत्स्य पालन और संबंधित विषयों पर बल दिया जाना जारी रहेगा। कतिपय सुख-सुविधा सम्बन्धी कार्यक्रम जैसे सामाजिक शिक्षा, ग्रामीण शिल्प, दस्तकारी आदि कम कर दिये गये हैं।

62—प्रशिक्षण 1969–70—विकास कार्यक्रमों में, विशेष रूप से ऐसे कार्यक्रमों में प्रशिक्षण का महत्व जिसमें जनता के अधिकांश वर्ग सक्रिय रूप से सम्मिलित हों, प्रशिक्षण का महत्व इतना स्पष्ट है कि उस पर अधिक बल देने की आवश्यकता नहीं है। जब तक प्रसार कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण नहीं

दिया जाता, जिससे कि वे सम्बद्ध लोगों को नये विचारों एवं कार्यक्रमों से अवगत करा सकें, तब तक कार्यक्रमों के निष्पादन में कोई प्रगति नहीं हो सकती। विभिन्न योजनाओं के मध्य इस राज्य के प्रसार प्रशिक्षण कार्यक्रम को उचित प्राथमिकता दी गई है। गैर सरकारी व्यक्तियों, विशेषतः युवक नेताओं और नवयुवक किसानों की कार्य कुशलता के उद्देश्य से बढ़ती हुई संख्या में पाठ्यक्रमों का आयोजन किया गया है। इस समय राज्य में 2(प्रशिक्षण केन्द्र निम्नलिखित पाठ्यक्रमों का प्रशिक्षण दे रहे हैं —

1—ग्राम सेवकों के लिये सेवापूर्ण प्रशिक्षण।

2—सहायक विकास अधिकारियों तथा खण्ड विकास अधिकारियों के लिये सेवारत प्रशिक्षण।

3—शिल्पियों का प्रशिक्षण।

4—ग्राम सहायकों तथा प्रगतिशील किसानों का प्रशिक्षण।

5—प्रशासनिक अधिकारियों के लिये अधिष्ठापन तथा नवीकरण प्रशिक्षण।

6—प्रकीर्ण पाठ्यक्रम जैसे व्यावहारिक पुष्टाहार कार्यक्रम तथा युवक नेताओं का प्रशिक्षण।

63—चौथी योजना में कृषि संबंधी क्षेत्रों में प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिये 200.00 लाख रु० और सामुदायिक विकास सम्बन्धी क्षेत्र में बी० डी० ओ० और ए० डी० ओ० के निमित्त प्रशिक्षण आरक्षण के लिये 15 लाख रु० की व्यवस्था की गई है। इसमें से 35.00 लाख रु० और 3.00 लाख रु० वर्ष 1969–70 के वार्षिक योजना के लिये प्रस्तावित है। अन्य कार्यक्रमों के साथ-साथ किसानों को पैकेज आफ़ प्रैक्टिस और विशिष्ट क्षेत्र दोनों में प्रगाढ़ प्रशिक्षण देना आरम्भ किया जायगा। सज्जा प्रशिक्षकों, भवनों और सहायक कार्यक्रमों की कमियों को दूर किया जायेगा।

किसानों के प्रशिक्षण और शिक्षा के लिये केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनाओं के अधीन 29.20 लाख रु० की धनराशि की व्यवस्था की गई है जिसमें 4.42 लाख रु० वर्ष 1969–70 के लिये सम्मिलित है।

64—वर्ष 1969–70 के लिये कुछ मुख्य भौतिक लक्ष्य निम्न प्रकार हैं :

1—ग्राम सहायक प्रशिक्षण	4,000
2—ग्रामीण शिल्पियों का प्रशिक्षण	300
3—ग्राम सेवक, बी० डी० ओ० एवं ए० डी० ओ० ..	1,500
4—ग्राम सेवक का उच्चतर प्रशिक्षण	400
5—किसानों का प्रशिक्षण	2,520

9—पंचायती राज

65—उत्तर प्रदेश भर में 1949 में गांव पंचायतें स्थापित की गई थीं। 250 या अधिक जनसंख्या वाले प्रत्यक गांव या गांवों के समूह के लिय एक गांव पंचायत स्थापित की गई है। क्षेत्र समितियां मई, 1962 में स्थापित की गई थी। प्रारम्भ में उनकी संख्या 854 थी। विकास खंडों के पुनर्गठन के फलस्वरूप उनकी संख्या घटा कर अब 657 कर दी गई है। जिला परिषदें जून, 1963 में स्थापित की गई। चमोली, उत्तरकाशी और पिठौरागढ़ के तीन सीमान्त जिलों में अभी जिला परिषद् स्थापित नहीं हुई है, वहां गांव स्तर ग्राम पंचायतें हैं और जिला स्तर पर अन्तरिम जिला परिषद् है, अन्तरिम जिला परिषद् के अधिकार सम्बद्ध जिलों के कलेक्टर द्वारा प्रयोग किये जाते हैं। इन जिलों में कोई क्षेत्र समितियां नहीं है और खंड स्तर पर विकास संबंधी निर्माण-कार्यों की देख-रेख सामुदायिक विकास एजेन्सी द्वारा की जाती है।

66—राज्य के लगभग सभी पंचायत मंत्रियों को पंचायती राज के आधुनिक विकास एवं विचार-धारा के विषय में तीन महीने में प्रशिक्षित किया जाता है। राजस्व प्राप्त होने वाली प्रायोजनाओं के लिये गांव सभाओं को ऋण देने की योजना है।

67—चौथी योजना अवधि के दौरान तीन स्तर की पंचायती राज संस्थाओं को सुदृढ़ बनाने का प्रयास जारी रहेगा जिससे कि वे क्षेत्र के सर्वांगीण विकास के लिय उत्तरदायी अभिकरण के रूप में अपनी अधिक प्रभावशाली भूमिका अदा कर सके। चौथी योजना के लिए इस कार्यक्रम में 100.00 लाख रु० की व्यवस्था की गई है जिसमें 20.00 लाख रु० वर्ष 1969–70 के लिये है, जिसका योजनावार परिव्यय निम्न प्रकार है :—

(लाख रुपये में)

योजना	परिव्यय
1—गांव सभाओं की उत्पादक परिसम्पत्ति के विकास एवं सृजन के लिये ऋण ..	14.23
2—पंचायत मंत्रियों का प्रशिक्षण	1.07
3—जिला स्तर पर पंचायती राज प्रशासन को सुदृढ़ बनाना	1.58
4—पंचायत संस्थाओं की सुदृढ़ बनाना	3.12
5—पंचायत संस्थाओं को इन्सेंटिव देना*	..
6—पंचायती राज वित्त निगम की स्थापना*	..
योग ..	20.00

* इसके लिये चौथी योजना में 1,000 तथा 100 रु० का टोकन परिव्यय रक्खा गया है।

अध्याय 3

सिंचाई तथा विद्युत्

1—सिंचाई

चौथी योजना में कृषि विकास को सर्वप्रथम स्थान दिया गया है और किसानों की उपज बढ़ाने के लिये अधिक मात्रा में सिंचाई साधन उपलब्ध किये जायेंगे। चौथी योजना के आरम्भ में 95.30 लाख हेक्टेयर सिंचन क्षमता उपलब्ध होगी। इनका विवरण इस प्रकार है :—

	(लाख हेक्टेयर)
वृहत् एवं मध्यम सिंचाई	36.09
राज्य लघु सिंचाई	18.37
निजी लघु सिंचाई	40.84
योग ..	95.30

2—वृहत् एवं मध्यम सिंचाई—चौथी योजना में वृहत् एवं मध्यम सिंचाई के लिये 90.00 करोड़ रु० का परिव्यय स्वीकृत किया गया है जिसमें से 75.48 करोड़ रु० चालू योजनाओं के लिये है और 14.52 करोड़ रु० नई योजनाओं के लिये। नई योजनाओं में बड़ी सिंचाई योजनाओं के लिये केवल 0.99 करोड़ रु० रखा गया है और बाकी मध्यम सिंचाई योजनाओं के लिये है। चौथी योजना के अवधि के लिये एक अनुपूरक योजना 127.50 करोड़ रु० की बनाई गई है जिसमें 35.50 करोड़ रु० का परिव्यय सिंचाई योजनाओं के लिये है परन्तु इस सहायक योजना को तभी कार्यान्वित किया जायगा जब इसके लिये समुचित संसाधनों की व्यवस्था हो जायेगी। चौथी योजना की अवधि में बड़ी तथा मध्यम सिंचाई योजनाओं द्वारा 12.82 लाख हेक्टेयर सिंचन क्षमता सृजित करने का प्रस्ताव है।

3—वर्ष 1969–70 में वृहत् तथा मध्यम सिंचाई योजनाओं के लिये 17.00 करोड़ रु० का परिव्यय रखा गया है जो चौथी योजना का 18.9 प्रतिशत है। 17.00 करोड़ रु० में से 13.00 करोड़ रु० चालू बड़ी योजनाओं के लिये है। इसमें से 6.00 करोड़ रु० रामगंगा पर, 4 करोड़ रु० गंडक पर तथा 3 करोड़ रु० सहायक योजना पर व्यय करने का प्रस्ताव है। इस वर्ष किसी नई बड़ी योजना पर कार्य आरम्भ करने का विचार नहीं है।

4—मध्यम सिंचाई योजनाओं के लिये 4 करोड़ रु० का परिव्यय है जिसमें से 3.25 करोड़ रु० चालू योजनाओं के लिये है और शेष रुपया नई योजनाओं पर व्यय किया जायेगा।

5—वर्ष 1969–70 में निम्नलिखित योजनाओं द्वारा अतिरिक्त सिंचन क्षमता सृजित करने का प्रस्ताव है :

	(हेक्टेयर)
1—बरवा बांध	130
2—पूर्वी बैगुल जलाशय	4,320
3—डलमऊ पम्प नहर	48,550
4—भौपाली पम्प नहर	16,190
5—जमनिया पम्प नहर	16,190
योग ..	85,380

6—वर्ष 1969–70 के अन्त में वृहत् एवं मध्यम सिंचाई योजनाओं द्वारा 36.94 लाख हेक्टेयर सिंचन क्षमता उपलब्ध होगी जिसके समक्ष उपयोग 35.84 लाख हेक्टेयर होने की संभावना है। इसके अतिरिक्त यह भी आशा की जाती है कि वर्ष 1969–70 में गडक नहर से सिंचाई के लिये पानी उपलब्ध हो जायेगा।

7—राज्य लघु सिंचाई—अधिक पैदावार वाली किस्मों द्वारा खाद्यान्न को बढ़ाने में राज्य नलकूपों से सृजित सिंचन क्षमता का प्रमुख स्थान है। चौथी योजना में राज्य लघु सिंचाई के लिये 40 करोड़ रु० का परिव्यय निर्धारित किया गया है जिसमें से पहले वर्ष (1969–70) में 7.60 करोड़ रु० व्यय करने का प्रस्ताव है। परिव्यय का मदवार विभाजन इस प्रकार है :—

(लाख रुपयों में)

मद	चौथी योजना परिव्यय	1969–70 परिव्यय
नलकूप कार्यक्रम	2378.00	487.00
डाल सिंचाई योजनायें ..	1325.50	240.00
जलोत्सरण प्रसारण ..	56.64	17.48
अन्य	239.86	15.52
योग ..	4000.00	760.00

8—वर्ष 1969–70 में 405 नलकूपों का निर्माण किया जायेगा और उतने ही नलकूपों का विद्युतीकरण भी होगा। वर्ष के अन्त में कुल नलकूपों की संख्या बढ़कर 9,765 हो जायगी, इसके अतिरिक्त 200 नलकूपों का नवीनीकरण और 400 मील लम्बी नालियों के निर्माण का लक्ष्य भी है।

वर्ष 1969–70 में 2.35 लाख एकड़ सिंचन क्षमता सृजित की जायेगी। इसमें से 0.53 लाख हेक्टेयर नलकूपों द्वारा होगी और शेष 0.42 लाख हेक्टेयर डाल सिंचाई योजनाओं द्वारा।

9— निजी लघु सिंचाई—चौथी योजना में निजी लघु सिंचाई कार्यों को एक महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। इन कार्यों के लिये चौथी योजना में 56 करोड़ रु० का परिव्यय है जिसमें से 20 करोड़ रु० ऋण, 21.75 करोड़ रु० भूमि विकास बैंक, कृषि पुनर्वित निगम तथा कृषि उद्योग निगम के पूंजी विनियोजन के लिये, 7.50 करोड़ रु० अनुदान के लिये और शेष धनराशि अन्य मदों जैसे कि अधिष्ठान, उपकरण, संयंत्र तथा उपस्कर, गोदाम भवन और जल उपयोग तथा लघु सिंचाई के परीक्षण के लिये है।

10— वर्ष 1969–70 के लिये 10.50 करोड़ रु० का परिव्यय है जिसका विवरण इस प्रकार है:—

(करोड़ रुपयों में)

ऋण	2.75
अनुदान	2.00
भूमि विकास बैंक, कृषि पुनर्वित निगम तथा कृषि उद्योग निगम में पूंजी विनियोजन	4.31
अन्य	1.44
योग ..	10.50

वर्ष 1969–70 में सार्वजनिक क्षेत्र में ऋण की मात्रा कम रखी गई है क्योंकि इस वर्ष कारपोरेट तथा निजी क्षेत्र के वित्तीय संस्थाओं द्वारा इस कार्यक्रम को बड़े पैमाने पर कार्यान्वित करने का विचार है। पिछले वर्षों के अनुभव से यह भी आशा की जाती है कि वे काश्तकार जिनकी विनियोजित क्षमता हाल में बढ़ी है, वे इन कार्यों पर ज्यादा धन लगायेंगे। अनुमान किया जाता है कि वर्ष 1969–70 में कुल 37.95 करोड़ रु० का ऋण निम्नलिखित संस्थाओं द्वारा दिया जायेगा:

संस्था	ऋण (करोड़ रुपयों में)
सरकार	2.75
भूमि विकास बैंक	20.00
कृषि पुर्नवित निगम	6.70
कृषि उद्योग निगम	6.00
केन्द्रीय सहकारी बैंक	2.50
योग ..	37.95

11––यह भी आशा की जाती है कि इतनी ही रकम काश्तकार भी लगायेगा। इन कार्यों के लिये वाणिज्यिक बैंकों के सहयोग की भी आशा की जाती है।

12––वर्ष 1969–70 में निम्नलिखित कार्यों के निर्माण का लक्ष्य है :

1––पक्के कुएं	(संख्या)	70,000
2––कुओं में बोरिंग	(संख्या)	70.000
3––कुओं को गहरा करना	(संख्या)	800
4––रहट	(संख्या)	35,000
5––पम्प सेट	(संख्या)	30,000
6––निजी नलकूप	(संख्या)	38,000
7––निजी एवं गांव सभा बंधीज ..	(हेक्टेयर)	17,401
8––पर्वतीय क्षेत्रों में गूलों तथा तालाबों का निर्माण	(हेक्टयर)	1,619

इन कार्यों से 4.8 लाख हेक्टेयर सिंचन क्षमता सृजित होगी जबकि चौथी योजना का लक्ष्य 30.29 लाख हेक्टेयर है।

2—बाढ़ नियन्त्रण

13—चौथी योजना में बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं के लिये 800 लाख रुपये का परिव्यय निर्धारित है जिसमें से वर्ष 1979–70 के लिये 130 लाख रुपये हैं। वर्ष 1969–70 के परिव्यय में से 109.94 लाख रुपया चालू योजनाओं पर व्यय करने का प्रस्ताव है और शेष 20.06 लाख रुपया नई योजनाओं पर। इनके मदवार विवरण इस प्रकार है:—

(लाख रुपयों में)

मद	चौथी योजना का परिव्यय	1969–70 का परिव्यय		
		चालू योजनायें	नई योजनायें	योग
सीमान्त बांध ..	107.24	41.30	1.00	42.30
नगरों की सुरक्षा	205.28	38.59	..	38.59
जल मार्गों का प्रसार ..	71.27	3.00	3.00	6.00
सर्वेक्षण, जांच-पड़ताल एवं बाढ़ भविष्य वाणी	72.46	5.46	..	5.46
जलोत्सारण सुधार ..	302.66	20.50	9.80	30.30
नदी में सुधार तथा भूमि कटाव के रोकने के लिये निर्माण-कार्य ..	1.09	1.09	..	1.09
अनपेक्षित आपातिक नई योजनायें	40.00	..	6.26	6.26
योग ..	800.00	109.94	20.06	130.00

14—वर्ष 1969–70 में 33.12 किलोमीटर लम्बे बांध के निर्माण का प्रस्ताव है और 41 हजार एकड़ क्षेत्र को लाभ होगा। वार्षिक योजना में सम्मिलित कुछ मुख्य योजनायें इस प्रकार हैं:—

1—लखनौती बांध का प्रसार

2—चित्तौनी बांध का रिटायरमेंट

3—गोरखपुर के मलोनी एवं हार्बर्ट बांध का संरक्षण

4—लखनऊ नगर का संरक्षण

5—अपसरा नदी पर पुलों का निर्माण

6—चार पूर्वी जिलों में जलोत्सारण सुधार

7—हरनाद ड्रेन पर पक्का निर्माण।

3—विद्युत्

15—प्रदेश के कृषि उत्पादन तथा उद्योग की उन्नति के लिये विद्युत् का विकास अति आवश्यक है। चौथी योजना के 951 करोड़ रु० के परिव्यय में से 375 करोड़ रु० विद्युत के लिये है। 375 करोड़ रु० में से 210.91 करोड़ रु० चालू योजनाओं के लिये है और 164.09 करोड़ रु० नयी योजनाओं के लिये। संसाधनों की कमी के कारण नयी योजनाओं के अन्तर्गत इस समय जेनरेशन की केवल एक योजना—ओबरा थरमल प्रसार, द्वितीय चरण—चौथी योजना में शामिल की गई है। चौथी योजना की अवधि के लिये एक सहायक योजना 127.50 करोड़ रु० की बनाई गई है जिसमें से 33.50 करोड़ रु० का परिव्यय विद्युत योजनाओं के लिये है। इस सहायक योजना को तभी कार्यान्वित करना संभव होगा जबकि इसके लिये समुचित संसाधनों की व्यवस्था हो जाय।

16--वर्ष 1969-70 में 160 करोड़ रु० की राज्य योजना में विद्युत के लिये 68 करोड़ रु० का परिव्यय रखा गया है। चौथी योजना और वर्ष 1969-70 के परिव्यय का विभाजन इस प्रकार है:--

(लाख रुपयों में)

क्र० संख्या	योजना का नाम	परिव्यय	
		1969-70	चौथी योजना
(1)	विद्युत उत्पादन योजनायें--		
	पिछली आयोजना से लाई गई योजनायें--		
	1--यमुना जल विद्युत--प्रक्रम 1 ..	6.00	6.00
	2--यमुना जल विद्युत--प्रक्रम 2 ..	800.00	4404.00
	3--माताटीला जल विद्युत योजना ..	2.00	2.00
	4--ओबरा जल विद्युत योजना ..	350.00	596.00
	5--रामगंगा जल विद्युत योजना ..	500.00	2040.00
	6--मनेरी भाली जल विद्युत योजना भाग 1 ..	20.00	1700.00
	7--हरदुआगंज ताप विद्युत--प्रक्रम 2 ..	35.00	87.00
	8--हरदुआगंज ताप विद्युत--प्रक्रम 3 ..	100.00	106.00
	9--हरदुआगंज ताप विद्युत--प्रक्रम 4 ..	500.00	931.00
	10-ओबरा ताप विद्युत योजना ..	20.00	(-)52.00
	11--ओबरा ताप विद्युत विस्तार--प्रक्रम 1 ..	1117.00	4414.00
	12--यमुना जल विद्युत योजना--प्रक्रम 4, भाग 1	40.00	592.00
	13--धुकवान जल विद्युत् योजना ..	..	390.00
	14--रिहन्द में छठवीं मशीन ..	..	6.00
	15--पंकी ताप विद्युत योजना ..	..	(-)154.00
	योग ..	3490.00	15068.00
	नई योजनायें--		
	ओबरा ताप विद्युत विस्तार प्रक्रम 2	..	2705.00
(2)	पारेषण तथा वितरण--		
	1--पिछली आयोजना से लाई गई योजनायें ..	1,675.00	5923.00
	2--नई योजनायें	300.00	6604.00
	योग ..	1,975.00	12527.00
(3)	ग्रामों में बिजली व्यवस्था	1300.00	6800.00
(4)	अनुसंधान तथा प्रकीर्ण--		
	1--पर्वतीय योजनायें	20.00	200.00
	2--सर्वेक्षण तथा अनुसंधान	15.00	200.00
	योग ..	6800.00	37500.00

17--वर्ष 1968-69 के अन्त में विद्युत की अधिकतम मांग 990 मेगावाट की थी जबकि 1967-68 में 772 मेगावाट, 1966-67 में 663 मेगावाट और 1965-66 में 490 मेगावाट

थी। 1965–66 से इसमें 30 प्रतिशत से अधिक की प्रगति होती रही है। 1968–69 के अन्त में स्थित क्षमता 870 मेगावाट थी जिसके परिणाम स्वरूप चौथी योजना के प्रथम वर्ष में 120 मेगावाट की कमी प्रतीत होती है। वर्ष 1968–69 के अन्त में 1,310.04 मेगावाट की अधिष्ठापित क्षमता उपलब्ध थी जो चौथी योजना के अन्त में 2,480 मेगावाट हो जायगी। वर्ष 1969–70 में 197.08 मेगावाट से अधिष्ठापित क्षमता बढ़कर 1,507.12 मेगावाट हो जायेगी। वास्तव में 1968–69 में 227.25 मेगावाट अधिष्ठापित क्षमता उपलब्ध होगी किन्तु पुराने सेटों के हटाने के कारण यह क्षमता 30.17 मेगावाट से कम हो कर 197.08 मेगावाट रह जायेगी। जिन परियोजनाओं द्वारा 227.25 मेगावाट क्षमता उत्पन्न होगी उनके नाम इस प्रकार हैं:—

	मेगावाट
1—यमुना जल विद्युत प्रथम चरण	28.5
2—ओबरा जल विद्युत	99.00
3—ओबरा थरमल	100.00
योग ..	227.25

18—वर्ष 1969–70 के अन्त में स्थित क्षमता 980 मेगावाट हो जायेगी जबकि प्रदेश की अधिकतम मांग 1297 मेगावाट तक पहुंच जायेगी। इस तरह वर्ष 1969–70 के अन्त में 317 मेगावाट की कमी रह जायेगी।

19—प्रेषण तथा वितरण—राज्य में दीर्घकालीन विद्युत न्यूनता के कारण तीसरी योजना तक विद्युत उत्पादन योजनाओं को महत्व दिया जा रहा था जिसके फलस्वरूप जो परिव्यय था वह मुख्यतः उन्हीं योजनाओं पर व्यय किया गया और आवश्यकतानुसार प्रेषण एवं वितरण लाइनों पर रुपया नहीं लगाया जा सका। इस कारण लाइनों पर भार बढ़ता गया और उससे भारी क्षति उठानी पड़ रही है। इससे बचने के लिये यह आवश्यक है कि प्रेषण तथा वितरण पर आवश्यकतानुसार लागत लगाई जाय। अतः चौथी योजना में इस कार्य के लिये 125.27 करोड़ रु० का परिव्यय है जो विद्युत चौथी योजना के परिव्यय का 33.4 प्रतिशत है। वर्ष 1969–70 में निर्धारित परिव्यय 19.75 करोड़ रु० है।

20—ग्रामीण विद्युतीकरण—चौथी योजना में ग्रामीण विद्युतीकरण के लिये 68 करोड़ रु० का परिव्यय है जिसमें से 13 करोड़ रु० पहले वर्ष में व्यय करने का प्रस्ताव है। इस से वर्ष 1969–70 में 16,000 नलकूपों/पम्प सेटों का विद्युतीकरण होगा। इसके अतिरिक्त जमा योजना के अन्तर्गत 14,000 नलकूपों/पम्प सेटों के विद्युतीकरण की आशा है। पहले यह लक्ष्य 8,000 था परन्तु विद्युत परिषद ने इस कार्य के लिये वित्तीय संस्थाओं से भी धनराशि जुटाने का प्रयत्न किया है। इसलिये अगर यह रुपया मिल जाता है तो 8,000 विद्युतीकरण के लक्ष्य को बढ़ा कर 14,000 कर दिया जायेगा। इसी वर्ष 420 गांवों में बिजली पहुंचाने का लक्ष्य भी है।

21—अनुसंधान तथा विविध—इसके अन्तर्गत वर्ष 1969–70 में 20 लाख रु० छोटी पहाड़ी योजनाओं पर और 15 लाख रु० सर्वेक्षण तथा अनुसंधान पर व्यय करने का प्रस्ताव है।

———

अध्याय 4

उद्योग एवं खनिज विकास

1—वृहत एवं मध्यम उद्योग

इस क्षेत्र की योजनाओं हेतु 2,372.50 लाख रु० के चौथी योजना परिव्यय में से 1969–70 हेतु 460.20 लाख रु० की राशि स्वीकृत की गई है । डल्ला में नई सीमेन्ट फैक्टरी की स्थापना तीसरी योजना की एक प्रायोजना के रूप में कुल 11.40 करोड़ रु० की लागत पर स्वीकृत हुई थी 205 लाख रु० के मूल्य की मशीनरी फ्रांस से आयात की गई है । लगभग यह सभी मशीनरी प्रायोजना स्थल पर आ गई है । फैक्टरी भवनों, मशीनरी एवं सज्जा की नीवें आदि तथा उनसे संबद्ध सभी निर्माण कार्यों का 135.69 लाख रु० का ठेका सर्वश्री नेशनल प्रोजेक्ट्स कंस्ट्रक्शन कम्पनी को दे दिया गया है । उनके द्वारा शीघ्र ही कार्य पूर्ण किये जाने की आशा है । क्रेशर व मशीन की नींव से संबंधित निर्माण-कार्य एक अन्य ठेकेदार के द्वारा पूरा किया जा चुका है । वर्ष 1968–69 के अन्त तक 789.183 लाख रु० का कुल व्यय हुआ है । इसके अतिरिक्त 1969-74 में 200 लाख रु० का और व्यय किया जायगा जिसमें से 1969-70 के लिये 100 लाख रु० का प्राविधान प्रस्तावित किया गया है । पहला भट्ठा जुलाई, 1969 व दूसरा सितम्बर, 1969 में परीक्षण हेतु चालू हो जाने की संभावना है तथा आशा है कि 1969–70 में 1,50,000 टनीस सीमेन्ट का उत्पादन होगा ।

2—600 लाख रु० की लागत से नई सीमेंन्ट फैक्टरी, डल्ला के विस्तार का भी प्रस्ताव है । विस्तार योजना चौथी योजना के अन्त तक पूर्ण हो जाने की संभावना है तथा तत्पश्चात यह फैक्टरी 4 लाख टनीस सीमेन्ट प्रतिवर्ष उत्पादन करना शुरू कर देगी ।

3—"पावर टिलर" प्रायोजना का कार्यान्वियन उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक निगम द्वारा प्रस्तावित है तथा निगम ने 15,000 पावर टिलर प्रतिवर्ष निर्माण करने का औद्योगिक लाइसेंस पहले ही प्राप्त कर रखा है । प्रायोजना की कुल लागत रु० 350 लाख अनुमानित है परन्तु अभी चौथी योजना में केवल एक लाख रुपये का प्रतीक प्राविधान किया गया है ।

4—"डेड बर्न्ट मैग्नेसाइट" के निर्माण की प्रायोजना का कार्यान्वियन भी उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक निगम के द्वारा किये जाने का प्रस्ताव है । एक नई कम्पनी चालू करने का निर्णय किया गया है जिसमें निगम के 51 प्रतिशत तथा मेसर्स टाटा के 49 प्रतिशत अंशक होंगे । इस प्रायोजना की कुल लागत 385.89 रु० लाख अनुमानित है । इस प्रायोजना पर 1969–70 में कार्य प्रारम्भ किये जाने की आशा है तथा 1971–72 के अन्त तक इस प्रायोजना के पूर्ण हो जाने की संभावना है जब कि यह अपनी पूर्ण उत्पादन क्षमता प्राप्त कर लेगी । कम्पनी की कुल अंश पूंजी लगभग 2 रु० करोड़ होगी जिसमें निगम के 1.02 रु० करोड़ के अंशक होंगे । तदनुसार चौथी योजना में 102 लाख रु० के परिव्यय हेतु प्रस्ताव किया गया है तथा 1969–70 में रु० 50 लाख का प्राविधान प्रस्तावित है ।

5—राजकीय आप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स फैक्टरी अब तक न स्थापित हो सकी क्योंकि विदेशी सहयोगी मेसर्स कार्ल जाइस जैना ने अपना प्राविधिक सहयोग का प्रस्ताव वापस ले लिया । तथापि कोई दूसरा उचित प्राविधिक सहयोग प्राप्त करने हेतु प्रयास जारी है जिसके लिये भारत सरकार के परामर्श से कार्यवाही की जा रही है । फैक्टरी भवनों आदि का निर्माण हो चुका है । 1969–70 में बीस हजार रु० का प्रतीक प्राविधान प्रस्तावित है ।

6—राजकीय सूक्ष्म उपयंत्र निर्माणशाला के आधुनिकीकरण की योजना के अन्तर्गत पानी के मीटरों में प्लास्टिक के पुर्जे लगाये जाने के प्रस्ताव हैं जिस से उत्पादन विधि का आधुनिककिरण होगा तथा निर्माण व्यय में भी कमी होगी। अतः आवश्यक तकनी की जानकारी प्रयोगात्मक जांच अधिकारियों के प्रशिक्षण, प्रारंभिक कलों व पुर्जों के निर्माण आदि हेतु चौथी योजना में 10 रु० लाख का परिव्यय प्रस्तावित है जिनमें 1969–70 के लिये 5 लाख रु० के प्राविधान का प्रस्ताव किया गया है।

7—चौथी योजना में 8 से 10 प्रतिशत विकास की दर प्राप्त करने हेतु, निजी क्षेत्र में लगभग 300 करोड़ रु० का योगदान करना होगा। इस धनराशि का समुचित भाग उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम द्वारा उपलब्ध कराया जायगा। तदनुसार 300 लाख रु० का चौथी योजना परिव्यय प्रस्तावित किया गया है जिसमें से 40 लाख का रु० 1969–70 हेतु प्रस्ताव है।

8—यह अनुमान है कि चौथी योजना में सार्वजनिक क्षेत्र की अनेक प्रायोजनायें इस प्रदेश में चालू होंगी जिनके लिये भूमि की आवश्यकता पड़ेगी। वाराणसी में ट्रैक्टर फैक्टरी हेतु लगभग 500 एकड़ भूमि की आवश्यकता होगी। सार्वजनिक क्षेत्र के विभिन्न उद्योगों हेतु नैनी में पहले ही भूमि अध्याप्ति कर ली गई है। लगभग 2,500 एकड़ भूमि अब तक अध्याप्ति की जा चुकी है। नैनी में अध्याप्त की गई भूमि के प्रतिकर हेतु लगभग 50 लाख रु० का भुगतान करना है। अतः सार्वजनिक क्षेत्र हेतु भूमि अध्याप्ति की योजना के लिये 1969–70 में 38.50 लाख रु० का प्राविधान प्रस्तावित किया गया है।

9—औद्योगिक क्षेत्र योजना का कार्यान्वयन उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक निगम द्वारा किया जा रहा है। बरेली, लखनऊ, हरद्वार, कानपुर, गाजियाबाद तथा गोरखपुर में अध्याप्ति करके कब्जा ली गई भूमि के 120 लाख रु० के प्रतिकर का निगम द्वारा भुगतान किया जाना है। तदनुसार 1969–70 में 60 लाख रु० का प्राविधान प्रस्तावित किया गया है।

10—राज्य के औद्योगिक विकास प्रोग्राम के अन्तर्गत चौथी योजना में भारी एवं मध्यम उद्योग क्षेत्र में लगभग 200 करोड़ रु० का योगदान अपेक्षित है। अतः 100 करोड़ रु० या अधिक के विनियोग के मामलों में उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक निगम को (underwrite) अभिगोपन करना होगा। अतः अंशों के अभिगोपन हेतु 1969–70 में 80 लाख रु० के प्राविधान का प्रस्ताव किया गया है।

11—टैक्सटाइल उद्योग के पुनरोत्थान एवं आधुनिकीकरण हेतु 1969–70 में 80 लाख रु० का परिव्यय किया गया है। चीनी उद्योग के पुनरोत्थान आधुनिकीकरण हेतु चौथी योजना में केवल एक लाख रु० का प्रतीक प्राविधान प्रस्तावित है। इन योजनाओं के विस्तृत विवरण तथा जिन शर्तों पर आर्थिक सहायता आदि देना है वे अभी परिनिश्चित होना है।

12—दि इंडियन टरपेंटाइन ऐन्ड रोजिन कम्पनी लि० बरेली ने मेसर्स अराकावा फारेस्ट केमिकल इंडस्ट्रीज लि०, ओसाका, जापान के सहयोग से कलक्टरबकगंज में रबर एमल्सीफायर निर्माण करने हेतु एक प्लान्ट लगाने का प्रस्ताव किया है। प्रस्तावित प्लान्ट की उत्पादन क्षमता 2,000 टनीस प्रतिवर्ष होगी। इस योजना हेतु 1969–70 में 6.50 लाख रु० के प्राविधान का प्रस्ताव किया गया है।

2—खनिज विकास

13—भू-गर्भ एवं खनिकर्म निदेशालय के विस्तार हेतु 95 लाख रु० का चौथी योजना परिव्यय प्रस्तावित है जिसमें से 1969–70 में विभिन्न खनिजों की खोज हेतु 12 लाख रु० के प्राविधान का प्रस्ताव किया गया है। जो योजनायें पिछले योजना काल से चली आ रही हैं वे दक्षिणी व उत्तरी उत्तर प्रदेश में लाइमस्टोन, डोलोमाइट, मैगनेसाइट, फासफोराइट, जिप्सम, टेल्क, एस्बेस्टास तथा लोहे में अंशों पर हो रही खोज एवं खनन के कार्य से संबंधित हैं। उद्योगों की स्थापना की संभावना वर्धित करने वाले प्रारम्भिक विवरण के आधार पर विस्तृत प्रोग्राम जो किये जा रहे थे उन्हें पूर्ण करना है।

३—ग्राम तथा लघु उद्योग

14—चौथी योजना में ग्राम तथा लघु उद्योग हेतु प्रस्तावित कुल 20.10 करोड़ रु० के परिव्यय में से 205 लाख रु० का परिव्यय वर्ष 1969–70 के लिये प्रस्तावित है। उक्त परिव्यय का वर्गवार वितरण निम्न प्रकार रखा गया है:—

(लाख रु० में)

क्रम संख्या	वर्ग	परिव्यय	
		चौथी योजना	वार्षिक योजना 1969–70
1	हथ करघा	381.00	30.491
2	शक्ति चालित करघा	10.25	3.000
3	लघु स्तरीय उद्योग	1423.75	136.694
4	औद्योगिक आस्थान	50.00	14.701
5	हस्त-शिल्प	70.00	9.414
6	रेशम उद्योग	50.00	6.200
7	खादी एवं ग्राम उद्योग	25.00	4.500
	योग ..	2010.00	205.000

15—उपरोक्त वर्गों में प्रस्तावित कार्यक्रमों का विवरण नीचे के अनुच्छेदों में दिया गया है:—

16—हथ करघा—हथ करघा विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत चौथी योजना में लक्ष्य यह है कि सहकारी समितियों का हथकरघा वस्त्र का उत्पादन जो इस योजना के आरम्भ में 1340 लाख मीटर था बढ़कर चौथी योजना के अन्त तक 1750 लाख मीटर हो जाये जिस से औसतन 5.6 मीटर प्रति करघा प्रति दिन का उत्पादन हो। इस लक्ष्य की प्राप्ति हेतु सहकारी समितियों को हिस्सा पूंजी ऋण, विपणन हेतु अनुदान, प्रचार, प्रदर्शनी एवं प्रबन्ध आदि के लिये सहायता देने का प्रस्ताव है। इसके अतिरिक्त सहकारी समितियों का संगठन, प्रशिक्षण कार्यक्रम की बढोतरी, हथकरघा उत्पादन का मात्रा एवं गुण में सुधार, अच्छे कच्चे माल का प्रबन्ध करना, सुधरे यंत्र बनाने के लिये कार्यशाला स्थापित करना, उचित रंगाई और विक्रय के लिये आर्थिक सहायता आदि का चौथी योजना में प्रस्तावित है।

17—1969–70 वार्षिक योजना में 30.491 लाख रु० के परिव्यय से उपरोक्त कार्यक्रमों का आरंभ किया जायेगा, किन्तु निम्नांकित योजनायें इस वर्ष कार्यान्वित नहीं की जायेंगी—

18—कच्चे माल का प्रबन्ध, जैसे नए कताई मिल का संगठन या वर्तमान (सहकारी कताई) मिल का विस्तार, उन्नतिशील यंत्रों के उत्पादन हेतु कार्यशाला की स्थापना, रिजर्व बैंक आफ इंडिया के अन्तर्गत कार्यशील पूंजी के लिये राजकीय गारंटी की योजना, ऋण पर ब्याज के लिये सबसिडी, सेंट्रल कोआपरेटिव बैंक द्वारा नियुक्त स्टाफ़ के लिये सबसिडी, वर्तमान बुनकर क्वार्टरों का विस्तार एवं जीर्णोद्धार, बुनकर सहकारी समितियों की प्रदर्शनी आदि में भाग लेने के लिये सहायता, प्रकाशन एवं प्रचार विपणन एवं संगठन स्टाफ़ तथा सर्वेक्षण एवं मूल्यांकन योजना।

19—चौथी योजनावधि में 2,500 हथ करघे सहकारिता क्षेत्र में लाने का लक्ष्य है जिसमें से 425 करघे 1969–70 में सहाकारिता क्षेत्र में लाये जायेंगे। इससे 1,594 लाख मीटर हथकरघा वस्त्र का उत्पादन वर्ष 1969–70 में तथा 7,950 लाख मीटर पूरे चौथी योजना काल में होगा। प्रबन्धकीय सहायता 1969–70 में 30 सहकारी समितियों को तथा पूरे योजनाकाल में 160 को दी जायेगी, बुनकरों के सामूहिक शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत 40 गोष्ठियां 1969–70 में तथा पूरे योजना काल में 160 गोष्ठियां आयोजित की जायंगी, जुलाई से अक्तूबर के शिथिल अवधि में उत्पादित हथकरघा वस्त्र को रखने के लिये पूरे योजना-वधि में दस बुनकर समितियों को तथा 1969–70 में दो समितियों को भण्डार घर बनाने में 18,750 रु० प्रति समिति के हिसाब से आर्थिक सहायता देने का लक्ष्य है। उन्नत यंत्रों द्वारा हथकरघा वस्त्र का उत्पादन बढ़ाने के लिये बीस लाख रु० का पूरे योजनाकाल में तथा दो लाख रु० का 1969–70 में प्रविधान है। चार नवीन डिजाइन केन्द्र, मऊ (आजमगढ़), मेरठ, बरेली एवं इटावा में से प्रत्येक में एक-एक प्रस्थापित किये जायेंगे जिनसे 500 डिजाइनें पूरे योजनाकाल में तथा 100 वर्ष 1969–70 में निकाली जायंगी। बुनकर समितियों को नमूनों की खरीद का व्यय वहन करने के लिये 50,000 रु० व 10,000 रु० की सहायता क्रमशः पूरे योजनाकाल व 1969–70 में दी जायेगी। हथकरघा वस्त्रों के गुण-चिन्हांकन योजना के लिए 9.15 लाख रु० व 1.44 लाख रु० का प्राविधान क्रमशः पूरे योजना काल एवं 1969–70 के लिये है। हथकघा वस्त्रों के विक्रय पर छूट देने के लिये योजनाकाल व 1969–70 के लिये क्रमशः 85 लाख व 12 लाख रुपयों का प्राविधान है।

20—शक्ति चालित कर्घा—शक्ति चालित करघा योजना के लिये चौथी योजना में 10.25 रु० का तथा 1969–70 में 3 लाख रु० का सहकारिता क्षेत्र में ऋण का प्राविधान किया गया है। निजी क्षेत्र के अभ्यर्थियों को इस हेतु ऋण देने का लघु स्तरीय उद्योग के ऋण की योजना के अन्तर्गत प्राविधान रखा गया है।

21—लघु स्तरीय उद्योग—लघु-स्तरीय एवं इंजीनियरिंग उद्योगों के विकास के लिये प्रोत्साहन तथा सहायता देने के कार्यक्रम हेतु चौथी योजना के लिये 1,423.75 लाख रु० का तथा 1969–70 में 136.694 लाख रु० का प्राविधान है। इन कार्यक्रमों में औद्योगिक इकाइयां स्थापित करने के लिये सस्ती दरों पर ऋण देने, विद्युत् उपयोग पर छूट देने की योजनायें सम्मिलित है।

22—वर्ष 1969–70 में औद्योगिक इकाइयों को 64 लाख रु० तथा चौथी योजना में 441.377 लाख रु० का ऋण प्रदान करने का प्राविधान है। उत्तर प्रदेश लघु उद्योग निगम को कार्य पूंजी हेतु योजनाकाल में 85 लाख रु० का तथा 1969–70 में 5 लाख रु० का ऋण देने का प्राविधान है। इसी प्रकार किराया-खरीद योजना के लिये 250 लाख रु० का योजनाकाल में तथा 15 लाख रु० का 1969–70 में ऋण का प्राविधान है। विद्युत् उपयोग के खर्च में इकाइयों को वर्ष 1969–70 में 25 लाख रु० की सहायता प्रदान करने का प्राविधान है। गुण-चिह्नांकन योजना के अन्तर्गत चौथी योजना में 10 करोड़ रु० के तथा 1969–70 में 1.25 करोड़ रु० के माल गुण-चिह्नित किये जाने का लक्ष्य है। 1969–70 को वार्षिक योजना के अन्तर्गत गाजियाबाद में व्यापार केन्द्र स्थापना हेतु एक लाख रु० का, प्रदर्शिनियों के लिये दो लाख रु० का तथा हीट ट्रीटमेंट प्लांट, मेरठ के लिये तीन लाख रु० का प्राविधान है।

23—औद्योगिक आस्थान—चौथी योजना में औद्योगिक आस्थान हेतु 50 लाख रु० का प्राविधान है, जिसमें से 20.50 लाख रु० स्पिल-ओवर स्कीमों को पूरा करने के लिये, 10.50 लाख रु०, नये आस्थानों को पूरा करने के लिये तथा 19 लाख रु० वर्तमान औद्योगिक आस्थानों के प्रसार के लिये निर्धारित है।

24—वर्ष 1969–70 में 5.951 लाख रु० स्पिल-ओवर स्कीम के लिये, 3.75 लाख रु० कानपुर में भूमि (साइट) के विकास व रनियां में प्रशासनिक ब्लाक के निर्माण हेतु तथा 5 लाख रु० आगरा, लखनऊ, वाराणसी, मेरठ, रुड़की व बरेली में साइट के विकास हेतु प्राविधान है।

25—हस्त-शिल्प—हस्त-शिल्प उद्योग के विकास के लिये चौथी योजना में 70 लाख रु० का प्राविधान है जिसमें से 9.414 ल.ख रु० वर्ष 1969–70 के लिये निर्धारित है। इस कार्यक्रम में हस्तशिल्प की वस्तुओं का आन्तरिक क्रय-विक्रय बढ़ाने की योजना, सामान्य सुविधा एवं अनुसंधान केन्द्र की स्थापना, निर्यात हेतु विकास संबंधी क्षेत्रीय कर्मचारियों का पुनर्गठन, हस्तशिल्प सहकारी समितियों के संगठन एवं हस्तशिल्प उत्पादकों को वित्तीय सहायता देने की योजना एवं अखिल भारतीय हस्तकला सप्ताह समारोह सम्मिलित है।

26—चौथी योजना में प्रदर्शन-कक्षों द्वारा 42 लाख रु० की विक्री होने की तथा 1969–70 में 250 लाख रु० की विक्री होने की आशा है। विभिन्न प्रशिक्षण एवं उत्पादन इकाइयों द्वारा चौथी योजनाकाल में 16.741 लाख रु० का तथा 1969–70 में 1.73 लाख रु० का उत्पादन होने तथा उसके बिक्री होने की आशा है। इस प्रोग्राम के अन्तर्गत चौथी योजना की अवधि में सहकारी समितियों द्वारा उत्पादन में 40 लाख रु० की वृद्धि होने की आशा है, जिसमें से 1969–70 में 8 लाख रु० के उत्पादन की वृद्धि अपेक्षित है।

27—रेशम उद्योग—चौथी योजना की अवधि में रेशम उद्योग के विकास के लिये 50 लाख रु० का प्राविधान है। इसके अन्तर्गत शहतूत बागवानी, रेशम कीट, बीज संगठन, प्रशिक्षण कार्यक्रम, परीक्षण केंद्र, रीलिंग संगठन प्रसार, प्रचार, एवं टसर रेशम कीट पालन सम्मिलित हैं।

28—1969–70 के लिये 6.20 लाख रु० का प्राविधान है जिसमें से 5.70 लाख रु० रेशम उद्योग के लिये तथा 0.50 लाख रु० टसर उद्योग के लिये निर्धारित है।

29—चौथी योजना की अवधि में 4.50 लाख पौधे वितरित किये जायेंगे, 33 हजार किलोग्राम कोयों तथा 285 रोग-विहीन अण्डों का उत्पादन करने का लक्ष्य है तथा वर्ष 1969–70 में तत्संबंधी (क.रेस्पांडिंग) लक्ष्य 50 हज.र पौधे, 5 हजार किलोग्राम कोयों तथा 28 हजार रोग विहीन अण्डों का है। टसर रेशम योजना के अन्तर्गत चौथी योजना में 7 हजार किलोग्राम कोयों का तथा 1969–70 में एक हजार किलोग्राम कोयों के उत्पादन का लक्ष्य है। रेशम उद्योग में चौथी योजना अवधि मे 350 प्रशिक्षार्थी तथा 1969–70 में 70 प्रशिक्षार्थी लाभान्वित होंगे। टसर उद्योग में क्रमशः इस प्रकार के प्रशिक्षार्थियों की संख्या 100 तथा 20 होने का लक्ष्य है।

30—खादी एवं ग्राम उद्योग—इसके अन्तर्गत खादी ग्रामोद्योग बोर्ड के कार्यक्रमों के लिये चौथी योजनावधि में 25 लाख रु० का प्राविधान है जिसमें से 4.50 लाख रु० 1969–70 के लिये निर्धारित है।

अध्याय 5

परिवहन तथा संचार साधन

1—सड़कें और पुल

उत्तर प्रदेश में सड़क प्रणाली पूर्णतया अपर्याप्त है। पिछले 18 वर्षों की अवधि में 13,031 किलोमीटर नई सड़कों का निर्माण किया गया तथा 9,797 किलोमीटर सड़कों का पुनर्निर्माण तथा सुधार हुआ। चौथी योजना के आरम्भ में राज्य में बम्बई योजना के अनुसार लगभग 17,747 किलोमीटर की कमी रह गई है जो कि इस योजना के मुताबिक 1981 के अन्त तक पूरी हो जाना चाहिये।

2—सड़कों तथा पुलों के क्षेत्र के लिये राज्य की 951 करोड़ रुपये की चौथी योजना में 50 करोड़ रुपये का प्राविधान किया गया है। सड़क क्षेत्र की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुये राज्य की 127.50 करोड़ रुपये की अनुपूरक योजना में 5 करोड़ रुपये की अतिरिक्त धनराशि का प्राविधान ग्रामीण क्षेत्र की सड़कों तथा पुलों के लिय किया गया है। अनुपूरक योजना राज्य को अतिरिक्त संसाधन उपलब्ध होने पर निर्भर है। वष 1969–70 के लिये 625.00 लाख रुपये का परिव्यय स्वीकार हुआ है, जिस में 581.50 लाख रुपये चालू परियोजनाओं के लिये और 43.50 लाख रुपय नई परियोजनाओं के लिये शामिल है।

3—चौथी योजना में ग्रामीण सड़कों को पर्याप्त महत्व दिया जायगा। 50 करोड़ रुपये के परिव्यय में 9.42 करोड़ रुपये की धनराशि ग्रामीण सड़कों के लिये चौथी योजना काल में सुरक्षित कर दी गयी है जिसमें से 1969–70 के लिये 1.90 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। सड़कों तथा पुलों के क्षेत्र में 1969–70 के मुख्य भौतिक लक्ष्य निम्नलिखित हैं :—

(1) नई सड़कों का निर्माण	..	248 किलोमीटर (इसमें 104 कि०मी० ग्रामीण सड़कें हैं)
(2) पुनर्निर्माण तथा सुधार	..	385 किलोमीटर
(3) पुल निर्माण	..	13 संख्या

4—राज्य योजना के अलावा कुछ और मुख्य परियोजनायें हैं जो कि केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनाओं में शामिल हैं। इनमें पौंता–राजभान मिनस रोहरू सड़क, उत्तर प्रदेश तिब्बत सीमावर्ती क्षेत्र में सड़कों का विकास, इलाहाबाद जिले में सोरों फूलपुर–हंडिया सड़क, मिर्जापुर जिले में सिंगरौली पिपरी सड़क का निर्माण तथा पार्श्विक सड़क प्रायोजना सम्मिलित हैं।

2—सड़क परिवहन

5—सड़क परिवहन एक महत्वपूर्ण सार्वजनिक उपयोगिता की सेवा है। अच्छी सुविधाओं की व्यवस्था की दृष्टि से 1947 में सवारियों से सबंधित सड़क परिवहन का राष्ट्रीयकरण किया गया था। रोडवज की परियोजनायें पहली योजना तथा दूसरी योजना के प्रथम दो वर्षों तक योजना का भाग रहीं। इसके बाद से 1968–69 तक इस क्षेत्र का विकास आयोजनेतर रहा। तीसरी योजना के अन्त तक रोडवेज बसें 17,828 किलोमीटर सड़कों पर चल रही थीं। मार्च, 1968 तक 19,396 किलोमीटर पर चलने लगी थीं।

6—चौथी योजना में सड़क परिवहन के विकास हेतु 500.00 लाख रुपये का प्राविधान किया गया है, जिससे रोडवेज सेवाओं का विस्तार 1,000 किलोमीटर अतिरिक्त सड़कों पर करने का प्रस्ताव है। यह लक्ष्य 416 बसें और पर्यटक सबंधित यातायात के लिए 4 यातानुकूलित बसें चालू

कर के प्राप्त किया जायेगा। वर्ष 1969–70 के लिये 100.00 लाख रुपये का परिव्यय निर्धारित किया गया है। 1969–70 के प्रोग्राम के अन्तर्गत 142 बस खरीदी जायगीं, जिससे वर्तमान मार्गों पर अतिरिक्त ट्रैफिक हतु यात्री यातायात की सुविधायें प्रदान की जा सकेंगी और प्रदेश में 200 किलोमीटर अतिरिक्त मार्गों पर राष्ट्रीयकृत यातायात सेवाओं को बढ़ाया जायगा। इसके अलावा कुछ टूल्स तथा प्लान्ट्स भी खरीद जायगे।

3—पर्यटन

7—राज्य में लोग पर्यटन की प्रोन्नति से होने वाले लाभों से अवगत होते जा रहें हैं। भारत सरकार का पर्यटक विभाग विदशी पर्यटकों के पयटन की प्रोन्नति पर विशेष ध्यान दे रहा है और प्रदेश के पर्यटकों के विकास का उत्तरदायित्व राज्यों पर है। राज्य में 1956 में पर्यटक संगठन स्थापित होने के बाद, बहुत से पर्यटक–बंगले, तीर्थयात्रियों के लिये शेड, विश्रामालय तथा लकड़ी के कैबिनों का निर्माण हुआ और प्रदेश में पर्यटन की उन्नति के लिये बहुत सी सुविधायें उपलब्ध की गयीं।

8—चौथी योजना में पर्यटन के विकास के लिये 50 लाख रुपये की धनराशि का प्राविधान किया गया है। इस में स वष 1969–70 के लिये 10.78 लाख रुपये का परिव्यय स्वीकृत हुआ है। इस परिव्यय में से 3.25 लाख रुपये हरिद्वार तथा मुहोवा म पर्यटक बंगलों के निर्माण पर व्यय किया जायगा। देवप्रयाग, मुनी–की–रेती और रुद्रप्रयाग म तीथयात्रियों के लिये शेड बनाये जायेंगे जिस पर 4.00 लाख रुपये खच होंगे। कारबेट नेशनल पार्क के विकास पर 1.28 लाख रुपये व्यय किया जायगा। शष 2.25 लाख रुपये की धनराशि और दूसरी परियोजनाओं पर व्यय होगी जसे कि–मसरी तथा दिल्ली में पर्यटक कार्यालयों की स्थापना, पर्यटन–उत्सवों का सगठन, प्रचार, आयोजित दौरे, पर्यटक बंगलों के कर्मचारियों का प्रबन्ध तथा पर्यटक अधिकारियों के प्रशिक्षण।

अध्याय 6

सामाजिक एवं अन्य सेवाएं

1—सामान्य शिक्षा

1—सामान्य शिक्षा योजनाओं के लिये चौथी योजना में 5294.69 लाख रुपये का प्राविधान किया गया है जिसमें से 571.08 लाख रु० 1969–70 के लिए निर्धारित किया गया है। वित्त का खण्डवार आवंटन निम्नांकित तालिका में इंगित है :—

(लाख रुपये में)

		चौथी योजना के लिए परिव्यय		1969–70 के लिए परिव्यय	
		योग	पूंजी	योग	पूंजी
-1		2	3	4	5
1—प्रारम्भिक शिक्षा	..	3446.79	72.26	377.38	8.32
2—माध्यमिक शिक्षा	..	924.00	361.04	83.54	33.08
3—विश्वविद्यालय शिक्षा	..	553.51	41.01	59.00	3.00
4—अध्यापकों का प्रशिक्षण—					
(क) प्रारम्भिक	..	142.08	93.57	15.58	11.00
(ख) माध्यमिक	..	47.60	16.02	6.01	1.00
5—सामाजिक शिक्षा	..	43.27	1.50	4.50	..
6—अन्य शैक्षिक कार्यक्रम	..	87.44	5.37	9.07	0.20
7—सांस्कृतिक कार्यक्रम	..	50.00	10.49	16.00	5.45
योग	..	5294.69	601.26	571.08	62.05

2—प्रारम्भिक शिक्षा—1969–70 में इस खण्ड की योजनाओं के लिए 377.38 लाख रु० का परिव्यय निर्धारित किया गया है। प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में 390 जूनियर बेसिक स्कूलों के खोलने और विद्यमान स्कूलों में 20,200 अतिरिक्त अध्यापकों की नियुक्ति करने का प्रस्ताव है। 1 से 5 तक की कक्षाओं में 1968–69 के 99.35 लाख से बढ़कर 1969–70 में 102.11 लाख के भरती की आशा है। इसी आयुवर्ग में स्कूल जाने वाले बच्चों का प्रतिशत 1968–69 के अन्त में 85 था और आशा की जाती है कि 1969–70 के अन्त तक यह प्रतिशत 85 हो बना रहेगा (100 प्रतिशत लड़के तथा 66 प्रतिशत लड़कियां)। प्रारम्भिक पाठशालाओं के भवनों की दशा बड़ी सोचनीय है अतः 1969–70 में 56 भवनों के सुधार तथा 75 प्राथमिक स्कूलों के भवनों के निर्माण का भी प्रस्ताव है। सीनियर बेसिक स्कूलों में 560 अतिरिक्त अध्यापक नियुक्त किए जायेंगे। 421 नये सीनियर बेसिक स्कूल और 50 सातत्य कक्षाओं को भी आरम्भ किया जायगा। 200 स्कूलों को सहायतार्थ अनुदान की अनुसूची में सम्मिलित किया

जायगा। आशा की जाती है कि 11–14 वर्ष के आयु वर्ग में 1968–69 की अपेक्षा 1969–70 में स्कूलों में पढ़ने वालों की प्रतिशत 26.8 से बढ़कर 27 हो जायगी। 1969–70 में 269 सीनियर बेसिक स्कूलों में सामान्य विज्ञान के अध्यापन के लिए प्राविधान किया गया है।

3––माध्यमिक शिक्षा––माध्यमिक शिक्षा की मांग उत्तरोत्तर बढ़ती जा रही है। प्राथमिक और मिडिल विद्यालयों में शिक्षा प्राप्त करके जो छात्र निकलेंगे, उच्चतर विद्यालयों में उनके प्रवेश की व्यवस्था करना अनिवार्य हो जाता है। चौथी योजना में यह कल्पना की गई है कि योजना अवधि में 3 लाख अतिरिक्त छात्रों की भर्ती की समस्या का सामना करना पड़ेगा। इस समस्या को अंशतः वर्तमान विद्यालयों में अतिरिक्त अनुभागों और सुविधाओं की व्यवस्था करके और अंशतःनई शिक्षा संस्थायें खोल कर, करने का प्रस्ताव है। यह आशा है कि गैर सरकारी संस्थान भी जो माध्यमिक शिक्षा के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण योगदान करते रहें हैं, उन क्षेत्रों में जहां इस समय में शिक्षा संस्थायें नहीं हैं, विद्यालय खोलेंगे।

4––शिक्षा स्तर में सुधार करने के लिये अच्छा कार्य करने वाली संस्थाओं को दक्षता अनुदान दिए जाने के तथा उपयुक्त संस्थाओं को भवन, उपकरण, सज्जा तथा पुस्तकालयों के लिये अनावर्तक अनुदान दिये जाने का भी प्राविधान है। चुने हुये शिक्षकों को उनके अच्छे कार्य तथा परीक्षाओं में उत्कृष्ट परिणाम दिखाने के लिये दक्षता पुरस्कार देने का भी प्रस्ताव है।

5––विश्वविद्यालय––राज्य के पर्वतीय क्षेत्रों के लिये एक विश्वविद्यालय खोलने का प्रस्ताव है, विज्ञान की शिक्षा के प्रसार एवं सुधार पर, विशेषकर स्नातकोत्तर स्तर पर विशेष महत्व दिया जायेगा। विश्वविद्यालयों तथा उपाधि महाविद्यालयों को उपयुक्त विकास अनुदान दिये जायेंगे ताकि वे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से मिलने वाले समतुल्य अनुदानों की राशि ले सकें कि और उच्चतर शिक्षा और शोध कार्य के स्तर को ऊंचा उठाने का प्रयास कर सकें। छात्रों के लिये विद्यमान छात्रावास संबंधी सुविधायें, पाठ्य-पुस्तक, पुस्तकालयों और अन्य सुविधाओं का भी विस्तार किया जायगा।

6––शिक्षा प्रशिक्षण––शिक्षकों के प्रशिक्षण कार्यक्रम को मजबूत बनाया जायगा और उसमें सुधार किया जायगा। विभिन्न विशेषोपयुक्त संस्थाओं को, जैसे स्टेट इन्स्टीट्यूट आफ एजूकेशन, दि स्टेट इन्स्टीट्यूट आफ साइंस एजूकेशन, दि सेंट्रल पेडागोगिकल इन्स्टीट्यूट, दि ब्यूरो आफ साइकालोजी आदि को सुदृढ़ बनाया जायगा जिस से कि उन्हें शिक्षा स्तर में सुधार करने के सर्वमुखी अभियान में और अधिक प्रभावशाली और उपयोगी बनाया जा सके।

7––समाजिक शिक्षा––कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिये कृषक शिक्षा पर बल देते हुए प्रौढ़ साक्षरता एवं कार्यात्मक शिक्षा के कार्यक्रम का परीक्षण किया जायगा। राजकीय केन्द्रीय पुस्तकालय को सुदृढ़ किया जायगा और चुने हुए सार्वजनिक पुस्तकालयों को अनुदान दिया जायगा।

8––अन्य शिक्षात्मक कार्यक्रम––पाठशालाओं, विद्यालयों एवं विश्वविद्यालयों में शारीरिक शिक्षा, सैनिक प्रशिक्षण, स्काउटिंग तथा क्रीड़ा आदि की प्रोन्नति पर उचित बल दिया जायगा। संस्कृत एवं प्राच्य भाषाओं की प्रोन्नति के लिये सहायता प्रदान की जायगी। दक्षिण–भारतीय भाषाओं के अध्यापन हेतु प्रोत्साहन दिया जायगा।

9––सांस्कृतिक कार्यकलाप––1969–70 में इन कार्य-कलापों के लिए 16.00 लाख रुपये की धनराशि के उपयोग करने का प्रस्ताव है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश सरकार अभिलेखागार के लिए परिरक्षी सामग्री, इलेक्ट्रिकल केमिकल डस्टर, अग्निशमन, सज्जा आदि खरीदने का विचार है। राजकीय कला एवं शिल्प महाविद्यालय तथा भातखंड संगीत महाविद्यालय, लखनऊ के विकास और पुनर्गठन का कार्य जारी रहेगा। उत्तर प्रदेश राज्य वेधशाला, नैनीताल को 40" टेलिस्कोप प्रदान किया जायगा। कला एवं संगीत की उन्नति के लिये सहायता प्रदान की जाती रहेगी।

2—प्राविधिक शिक्षा

10—चौथी पंच वर्षीय योजना के प्रथम वर्ष के लिए 180.00 लाख रु० के प्राविधान में से डिग्री कोर्सों पर 77.140 लाख तथा डिप्लोमा कोर्सों पर 102.860 लाख रु० की धनराशि व्यय किया जाना है। 180.00 लाख रु० के प्राविधान में 28.525 लाख रु० की धनराशि नई स्कीमों के लिये तथा 9.940 लाख रुपये की धनराशि उन छात्रावासों के निर्माण हेतु सम्मिलित की गई है जिन्हें वर्ष 1968–69 तक केन्द्र पुरोनिधानित योजना के अन्तर्गत माना जाता था।

11—डिग्री के स्तर पर स्पिल–ओवर व्यय तथा पहले से पूरी हो चुकी योजनाओं के चलते रहने पर होने वाले व्यय का प्राविधान किया गया है। रुड़की विश्वविद्यालय में अप्रचलित साज–सज्जा को बदले जाने के लिये 3.00 लाख रु० तथा फैक्ट्री के विकास के लिये 1.849 रु० का प्राविधान किया गया है तथा राजकीय सेन्ट्रल टेक्स्टाइल इंस्टीट्यूट, कानपुर में फैक्ट्री के विकास के लिये 0.451 लाख रु० का प्राविधान किया गया है। विद्यार्थियों के प्रवेश संख्या को, जो वर्ष 1968–69 में 1565 से घटा कर 930 कर दी गयी थी, स्थिति की समीक्षा की जाती है।

12—एम० जी० पालीटेक्निक, हाथरस में रेफ्रीजरेशन तथा एयर-कंडीशिनिंग में एक वर्षीय पोस्ट–डिप्लोमाकोर्स (प्रवेश सं०20) पी०एम०वी० पालीटक्निक मथुरा तथा राजकीय पालीटेक्निक, लखनऊ में आटोमोबाइल्स इंजीनियरी में एक वर्षीय कोर्स (प्रवेश सं० 20) तथा इलाहाबाद पालोटेक्निक इलाहाबाद में इन्डस्ट्रियल इलेक्ट्रानिक्स में एक वर्षीय कोर्स (प्रवेश सं० 10) खोले जाने का प्रस्ताव है। इसके अतिरिक्त, राजकीय पोलीटेक्निक, गोरखपुर तथा बरेली में तीन–वर्षीय केमिकल आपरेटर्स कोर्स भी चालू किये जाने का प्रस्ताव है जिसमें प्रत्येक संस्था में विद्यार्थियों की संख्या 60 होगी। इस तरह से वर्ष 1969–70 में डिप्लोमा स्तर-पर विद्यार्थियों की संख्या 5,750 से बढ़कर 5,940 हो जायगी।

3—स्वास्थ्य एवं परिवार नियोजन

13. —स्वास्थ्य एवं परिवार नियोजन कार्यक्रम के लिये वर्ष 1969–70 का योजना परिव्यय 380 लाख रुपया निर्धारित किया गया है। इस क्षेत्र का मुख्य कार्य यह है कि रोगों का उपचार एवं रोगों की रोकथाम के लिये पहले से आवश्यक कार्यवाही करना। इस क्षेत्र का कार्यक्रम निम्नलिखित आठ भागों में बंटा हुआ है, जिसका चौथी योजना एवं 1969–70 का राज्य योजना परिव्यय और केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना का परिव्यय निम्नलिखित है—

(लाख रुपयों में)

कार्य-क्रम	राज्य योजना		केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना	
	1969–70	चौथी योजना	1969–70	चौथी योजना
1	2	3	4	5
1—चिकित्सा शिक्षा ..	164.89	1300.00	12.61	100.00
2—प्रशिक्षण कार्यक्रम ..	8.72	185.00	0.60	4.03
3—चिकित्सा तथा औषधालय ..	108.14	1202.18	0.38	13.50
4—प्रारम्भिक स्वास्थ्य केन्द्र और बुनियादी स्वास्थ्य सेवायें ..	30.97	335.70	150.00	900.00
5—संचारी रोगों का नियन्त्रण ..	13.43	129.12	352.95	2205.81
6—परिवार नियोजन ..	..	..	890.49	5384.33
7—देशी चिकित्सा प्रणालियां ..	18.01	115.00	10.00	50.00
8—अन्य कार्य-क्रम ..	35.84	283.00	..	..
योग ..	380.00	3550.00	1407.03	8657.67

14—शिक्षा कार्य-क्रम—इस वर्ग के दो मुख्य कार्य-क्रम हैं। भारतीय चिकित्सा परिषद् के मापदण्ड के अनुसार मेडिकल कालेजों में स्टाफ़, साज सज्जा तथा अन्य शिक्षा सुविधाओं को सुसंगयित किया जायगा। दूसरे प्रदेश में डाक्टरों की कमी को दूर करने का प्रस्ताव है। इस उद्देश्य को पूरा करने के लिये झांसी में एक मेडिकल कालेज के भवन निर्माण का कार्य प्रगति पर है। यह कार्य शीघ्र पूरा करने का प्रयत्न किया जा रहा है। झांसी मेडिकल कालेज में पढ़ने वाले छात्रों की भर्ती कर ली गई है और इस समय उनके पढ़ने की व्यवस्था मेरठ मेडिकल कालेज में कर दी गई है। इस प्रकार झांसी के लिये 50 छात्रों की भर्ती की गई। जब तक ये छात्र चिकित्सालय से पूर्व की शिक्षा प्राप्त करेंगे तब तक झांसी में मेडिकल कालेज के भवन का निर्माण कार्य समाप्त हो जाने की आशा है। छः मेडिकल कालेजों में जिसमें लखनऊ का दन्त विद्यालय भी शामिल है, स्नातक शिक्षा की व्यवस्था की जा रही है।

15—प्रशिक्षण कार्य-क्रम—परिचारिका प्रशिक्षण पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। कानपुर मेडिकल कालेज में परिचारका डिग्री पाठ्यक्रम आरम्भ करने का प्रस्ताव है और सिस्टर्स ट्यूटर पाठ्यक्रम को सुदृढ़ एवं विस्तृत किया जायगा, जिससे परिचारिकाओं को शिक्षा देने के लिये सुयोग्य शिक्षकों की कमी न रहे। कानपुर मेडिकल कालेज में फ़ारमेसी डिप्लोमा कोर्स के लिये भारतीय फ़ारमेसी परिषद् की संस्तुति के अनुसार अतिरिक्त स्टाफ़ दिया जायगा। इलाहाबाद एवं मेरठ के प्रत्येक मेडिकल कालेज में फ़ारमेसी प्रशिक्षण के लिये शिक्षा भवनों का निर्माण कराया जायगा। इलाहाबाद मेडिकल कालेज में एक प्रयोगशाला प्राविधिक प्रशिक्षण केन्द्र जिसमें 40 छात्रों को शिक्षा दी जा सके, खोला जायगा। बेसिक हेल्थ वरकर्स के प्रशिक्षण की भी व्यवस्था करने का प्रस्ताव है। लखनऊ और कानपुर के मेडिकल कालेजों में प्रयोगशाला प्राविधिक प्रशिक्षण केंद्रों में प्रत्येक स्थानों पर बीस-बीस छात्रों की प्रवेश संख्या में वृद्धि की जायगी। लखनऊ के दन्त विद्यालय में फ़िजियोथ्रेरेफी और अकुपेशनल थ्रेरेफी की शिक्षा की व्यवस्था करने का प्रस्ताव है।

16—चिकित्सालय एवं औषधालय—इस वर्ग के अन्तर्गत् कार्यक्रमों में 500 शय्यायों की व्यवस्था वर्ष के दौरान में करने का प्रस्ताव है। जिला अस्पतालों में बढ़े हुये कार्यों को संभालने के लिये 10 जिला अस्पतालों के प्रत्येक स्थान पर एक-एक अतिरिक्त डाक्टर की नियुक्ति करने का भी विचार है। 6 रक्त कोष एवं दो ग्रामीण क्षेत्र में अस्पतालों को खोलने का भी प्रस्ताव है। तीन स्थानों पर परिचारिका सेवा सुविधा एवं तीन जिलों में रैडियोलाजी, पैथालाजी तथा ऐनाथिशिलाजी और पांच जिला अस्पतालों में चिकित्सा / शल्य चिकित्सा सुविधा प्रदान करने के लिये भी व्यवस्था की जा रही है। सात स्थानों पर दन्त विभाग और दो स्थानों पर शिशु चिकित्सा विभाग खोलने का भी कार्यक्रम है। कानपुर मेडिकल कालेज में एडवान्स कार्डियोलाजी केन्द्र खोलने और केन्सर संस्था, कानपुर में केन्सर के अधुनिकतम चिकित्सा सुविधा का भी प्रबन्ध किया जा रहा है। आगरा के मस्तिष्क रोग अस्पताल को क्रमोन्नति एवं लखनऊ मेडिकल कालेज में मस्तिष्क विभाग खोलने का भी प्रस्ताव है।

17—प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र तथा आधारित स्वास्थ्य सेवायें—उपचार एवं रोग नियंत्रण की चिकित्सा सुविधा की अलग-अलग प्रणाली को केन्द्रित करके आधारिक स्वास्थ्य सेवाओं का निर्माण किया गया है जिससे जनता को अधिक से अधिक चिकित्सा सुविधा प्राप्त हो सके। यह कार्य मलेरिया उन्मूलन कार्य-क्रम के अन्तर्गत लिया गया है जिसके फ़लस्वरूप प्रत्येक यूनिट में सात कार्यकर्ता होते हैं और अब तक 653 खण्डों में इस प्रकार की सेवाओं का प्रसार किया जा चुका है। प्रत्येक यूनिट के कार्य कर्त्ताओं एवं स्वास्थ्य निरीक्षको की संख्या में वृद्धि करने का प्रस्ताव पर भी विचार किया जा रहा है जिससे अधिक से अधिक क्षेत्रों में चिकित्सा सुविधा एवं निरीक्षण कार्य सुगमता से सम्पन्न किया जा सके। यूनिसेफ़ से सहायता प्राप्त करने के लिये भी आवश्यक व्यवस्था की गई है। इसके अलावा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों को अतिरिक्त दवा और साज सज्जा देने की व्यवस्था की गई है। जिला परिषदों के अधीन प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों की कार्यकुशलता बढ़ाने के उद्देश्य से उनका प्रान्तीयकरण किया जाने का प्रस्ताव है।

18—संचारी रोगों का नियंत्रण—इस वर्ग की बहुत सी परियोजनायें जैसे क्षय, मलेरिया, चेचक, कुष्ठ, फ़ाईलेरिया, ट्रकोमा और वैनीरियल डिजीज आदि चौथी योजना के प्रथम वर्ष अर्थात् 1969–70 से शत् प्रतिशत् केन्द्र पुरोनिधानित योजनायें हो जायेंगी। क्षयरोग की रोकथाम के लिये निदेशालय में एक क्षय कक्ष की स्थापना की जायगी। हाल ही म एक उप निदेशक, क्षय के पद का सृजन किया गया है और क्षय की रोकथाम का कार्य करने वाली संस्थाओं को अनुदान देने के लिये एक परियोजना कार्यक्रम में सम्मिलित की गई है।

19—परिवार नियोजन—इस कार्यक्रम को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जायगी और जन्म दर को घटानेके लिये पूर्ण प्रयत्न किये जायेंगे। 5.36 लाख बन्ध्याकरणों और 2.683 लाख लूप निवेशन करने का लक्ष्य रखा गया है।

20—भारतीय चिकित्सा पद्धति—इसके अन्तर्गत होम्योपैथी, आयुर्वेद एवं यूनानी चिकित्सा पद्धतियों का कार्यक्रम आता है। शहरी क्षेत्रों में चार शैय्या वाले पांच राजकीय होमियोपैथिक औषधालय खोले जायेंगे और नेशनल होम्योपैथिक मेडिकल कालेज का विस्तार किया जायगा। शहरी क्षेत्रों में चार शैय्यायों वाले दस आयुर्वेदिक यूनानी चिकित्सालय तथा ग्रामीण क्षेत्र में एक 25 शैय्या वाला चिकित्सालय खोला जायगा।

21—अन्य कार्यक्रम—इसके अन्तर्गत तीन कर्मचारी राज्य बीमा औषधालय खोले जायेंगे तथा पांच स्थानों पर भवन निर्माण का कार्य किया जायगा। कर्मचारी राज्य बीमा कार्यक्रम के लिये एक संयुक्त निदेशक के पद का सृजन किया जायगा। वर्ष के दौरान जो अन्य महत्वपूर्ण कार्य किये जायेंगे, वे हैं—बीमा किये हुये व्यक्तियों के परिवारों को अस्पतालों में भर्ती न करते हुये भी चिकित्सा सुविधाओं का विस्तार तथा कानपुर में केन्द्रित उपचारक एवं नियन्त्रक सेवाओं की व्यवस्था, एक्स-रे तथा अन्य चिकित्सा उपकरण की मरम्मत एवं रख रखाव के लिये आस्ट्रेलिया की सहायता से एक केन्द्रीय कर्मशाला की स्थापना, रोगी वाहनों तथा गाड़ियों की संख्या में वृद्धि होने के कारण यातायात अनुभाग का विस्तार औषधि नियन्त्रण अनुभाग एवं खाद्य पदार्थों में मिश्रण रोकने वाले अनुभाग का विस्तार। गैर सरकारी चिकित्सा संस्थाओं जैसे राम कृष्ण मिशन, लखनऊ एवं अलीगढ़, कानपुर और सीतापुर के नेत्र चिकित्सालयों को अनुदान देने की पर्याप्त व्यवस्था की गई।

4—जल सम्पूर्ति

22—राज्य की चौथी योजना में ग्रामीण क्षेत्र में पेय जल और शहरी क्षेत्र में मलोत्सारण व्यवस्था को प्राथमिकता दी जायगी। परन्तु पेयजल की समस्या इतनी जटिल है कि इसे चौथी योजना काल में सुलझाना सम्भव नहीं है। फिर भी पहले से चालू पेय जल कार्यों को भली भांति पूरा करने के लिये 18 करोड़ रुपये की व्यवस्था चौथी योजना काल के लिये इस समय की गई है। यदि संसाधन उपलब्ध हुये तो इन कार्यों को पूरा करने के लिये 12 करोड़ रुपये की अतिरिक्त धनराशि देने का प्रस्ताव है। इस प्रकार चौथी योजना परिव्यय 18 करोड़ रु० से बढ़कर 30 करोड़ रु० हो जाने की आशा की जाती है। इस प्रयोजन से जल सम्पूर्ति योजना कार्यक्रमों का 1969–70 का वार्षिक योजना परिव्यय 3 करोड़ रु० से बढ़ाकर 4 करोड़ रु० कर दिया गया है। इस धनराशि का अवटन निम्न प्रकार से है—

		(लाख रु०)
(क)	1—शहरी जल सम्पूर्ति	59.60
	2—शहरी मलोत्सारण	90.00
	3—वातावरण सम्बन्धी स्वच्छता तथा जल व्यवस्था ..	0.40
	योग ..	150·00

(ख) 1—ग्रामीण पेयजल	..	..	..	148.00
2—स्वच्छता	..	..	..	2.00
		योग	..	150.00
(ग) पर्वतीय क्षेत्र में पेय जल व्यवस्था		..	..	100.00
		कुल योग	..	400.00

23—शहरी जल सम्पूर्ति—इस कार्यक्रम के अन्तर्गत 35 जल सम्पूर्ति योजनाओं पर धन अवमुक्त करने का प्रस्ताव है लेकिन 63 (62 चालू एवं एक नई) योजनाओं पर कार्य चलता रहेगा। 2 लाख रुपये राज्य की ओर से नैनी औद्योगिक क्षेत्र में जल सम्पूर्ति योजना पर व्यय करने का प्रस्ताव है।

24—शहरी मलोत्सारण—22 जलोत्सारण (Drainage) योजनाओं पर 6 स्थानों में शौचालयों को अधोभूमिमल जल प्रवार प्रणाली में संयोजन करने की योजनाओं पर धन मुक्त करने का प्रस्ताव है लेकिन 23 जलोत्सारण (Drainage) योजनाओं पर जिसमें सात नई तथा सोलह पुनर्गठन से सम्बन्धित है पर कार्य होगा। आशा की जाती है कि 3 नई जलोत्सारण योजनाओं पर कार्य पूरा हो जायेगा। पांच लाख रु० शुष्क शौचालयों को फलशयुक्त बनाने और सीवर से संजोजित करने की योजना पर व्यय करने का विचार है, जिससे लगभग 1000 घरों के वर्तमान शुष्क शौचालयों को फलश युक्त शौचालयों म परिवर्तित करके सीवरों से जोड़ा जा सकेगा।

25—इस कार्यक्रमों के अलावा 16 लाख रु० वाराणसी घाटों की जलोत्सारण (Drainage) योजनाओं पर व्यय होगे जिसके लिये 8 लाख रु० भारत सरकार से आयोजनागत आवंटन के लिये प्राप्त होंगे और शेष 8 लाख रु० राज्य योजना की धनराशि म शामिल कर लिए गए हैं।

26—ग्रामीण पेय जल एवं स्वच्छता— इस वर्ग के कार्यक्रमों के लिये 148.00 लाख रुपया ग्रामीण पेयजल एवं 2 लाख रु० स्वच्छता के लिये निर्धारित किया गया है जो कि केवल अधूरी जल सम्पूर्ति योजनाओं के कार्यों को पूर्ण करने में व्यय किया जायगा। 20,000 तक की जन संख्या वाली स्थानीय निकायों को आर्थिक सहायता दी जायगी जिससे 20 लाख रु० तक खर्च होने का अनुमान है। ग्रामीण स्थानीय निकायों की जल सम्पूर्ति योजनाओं के लिये 25 लाख रु० खर्च करन का प्रस्ताव है। ग्रामों की जल सम्पूर्ति योजनाओं पर 105 लाख रु० व्यय किया जायगा। आशा है कि 697 ग्रामों के 2.40 लाख निवासियों को पेयजल प्राप्त होने लगगा।

27—पर्वतीय क्षेत्र में पेय जल के लिये 100 लाख रु० की व्यवस्था की गई है। यह धन राशि केवल उन्हीं कार्यक्रमों पर व्यय की जायेगी जिन पर पर्वतीय विकास परिषद् की संतुति होगी।

5—आवास एवं नगर विकास

28—चौथी पंचवर्षीय योजना काल में आवास योजनाओं के निमित्त 7 करोड़ रु० की धनराशि का परिव्यय स्वीकृत किया गया है, जिसमें से वर्ष 1969–70 के लिए स्वीकृत परिव्यय की धनराशि 60.00 लाख रुपया है। विभिन्न योजनाओं का विवरण निम्न प्रकार है:—

(1) एकीकृत सहायता प्राप्त आवास योजना औद्योगिक श्रमिकों के लिये एवं समाज के आर्थिक दृष्टि से कमजोर व्यक्तियों के लिये—इस योजना के लिये चौथी पंचवर्षीय योजना काल में 340 लाख

रुपये की धनराशि आवन्टित की गई है जिससे 5,440 आवास गृहों के बनने की आशा है। वर्ष 1969–70 में इस योजना के निमित्त 27 लाख रु० की धनराशि स्वीकृत की गई है, जिससे 432 मकानों के बनने की सम्भावना है ।

(2) अल्प-आय वर्ग गृह निर्माण योजना—चौथी पंचवर्षीय योजना काल में इस योजना को कार्यान्वित किये जाने के लिये 230 लाख रु० की धनराशि का परिव्यय स्वीकृत किया गया है जिससे 1840 मकानों के बनने की सम्भावना है। वर्ष 1969–70 के लिये स्वीकृत परिव्यय की धनराशि 16 लाख रु० है जिससे 128 मकानों के बनने की आशा है।

(3) मलिन बस्ती सफाई योजना—वर्ष 1968–69 तक यह योजना केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित थी और इसके व्यय का 7/8 भाग भारत सरकार द्वारा राज्य योजना से परे वहन किया जाता था। परन्तु वर्ष 1969–70 से यह योजना राज्य की चौथी पंचवर्षीय योजना का अंग है। इसके लिये स्वीकृत परिव्यय चौथी योजना में 65 लाख रु० है जिससे 1040 मकानों के बनने की सम्भावना है। वर्ष 1969–70 में इस योजना के लिये 7 लाख रु० का प्राविधान स्वीकृत किया गया है जिससे 140 मकानों के बनने की आशा है ।

(4) सम्भागीय नियोजन योजना—यह योजना भी वर्ष 1968–69 तक केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना थी परन्तु वर्ष 1969–70 से यह राज्य की चौथी पंचवर्षीय योजना का अंश बन गई है। चौथी पंचवर्षीय योजना काल में इस योजना के लिये 65 लाख रु० का परिव्यय स्वीकृत किया गया है। वर्ष 1969–70 का स्वीकृत परिव्यय केवल 10 लाख रु० है।

(5) मध्यम आय वर्ग गृह निर्माण योजना
(6) भूमि आवाप्ति एवं विकास योजना } —वर्ष 1968–69 तक उपर्युक्त दोनों योजनाएं आयोजनेतर थीं और इनका व्यय जीवन बीमा निगम से प्राप्त ऋण की धनराशि से पूरा किया जाता था। चौथी पंचवर्षीय योजनाकाल में उक्त दोनों योजनाएं राज्य की आयोजना में सम्मिलित करली गई हैं। वर्ष 1969–70 में इनमें से प्रत्येक योजना के लिये 100 रु० की टोकेन धनराशि का बजट प्राविधान किया गया है। जीवन बीमा निगम से ऋण प्राप्त होने पर आवश्यक व्यय किया जायेगा।

6—पिछड़ी हुई जातियों का कल्याण

29—पिछड़े हुये वर्ग के अन्तर्गत अनुसूचित जातियां, अनुसूचित जन-जातियां, विमुक्त जातियां तथा अन्य पिछड़े हुये वर्ग आते हैं। इस राज्य के 65 समुदायों को अनुसूचित जातियों के रूप में मान्यता दी गई है और उनकी जनसंख्या राज्य की कुल जनसंख्या का लगभग 21 प्रतिशत है। राज्य में अधिकांश जन-जातियां पर्वतीय, तराई तथा दक्षिणी क्षेत्रों में सकेन्द्रित हैं। इनकी जनसंख्या अनुमानित: 5.5 लाख है। जून, 1967 में केन्द्रीय सरकार ने इनमें से 5 जातियों को जिनकी जनसंख्या 1.4 लाख है अनुसूचित जन-जाति घोषित किया। कुछ और जातियों को भी जिनमें अनुसूचित जन-जातियों की विशेषताय विद्यमान हैं, अनुसूचित जन-जतियां घोषित करने का प्रश्न केन्द्रीय सरकार के विचाराधीन है। विमुक्त जन-जातियों की संख्या 20 लाख है। अन्य पिछड़े वर्गों में 37 हिन्दू जातियां और 21 मुसलमान जातियां सम्मिलित हैं। उपर्युक्त श्रेणियों के पिछड़े हुये वर्गों की दशा को सुधारने के लिये सरकार द्वारा जो कल्याणकारी स्कीम प्रारम्भ की गई उन्हें निम्नलिखित तीन वर्गों में बांटा जा सकता है —

(1) शिक्षा,

(2) आर्थिक विकास, तथा

(3) स्वास्थ्य, आवास तथा अन्य स्कीमें ;

30—वर्ष 1968–69 में इस सेक्टर के लिये 55.00 लाख रु० की प्लान सीलिंग निर्धारित थी, लेकिन बजट में 64.91 लाख रु० का प्राविधान था। पर बाद में इस सेक्टर की सीलिंग भी 65.00 लाख रु० कर दी गई। सीलिंग में जो 10.00 लाख रु० की बढ़ोत्तरी की गई थी उसमें से 5.00 लाख रु० अनुसूचित जाति के कुटीर उद्योग योजना के लिये और 5.00 लाख रु० पेय जल योजना के लिये था। इसके अलावा पेय जल योजना के लिये 10 लाख रु० के अतिरिक्त व्यय की मंजूरी दे दी गई थी। लेकिन व्यय कुल 66.83 लाख रु० हुये।

31—वर्ष 1969–70 के लिये 62.00 लाख रु० के परिव्यय का प्रस्ताव है जिसमें 42.51 लाख अनुसूचित जातियों के लाभार्थ कार्यक्रमों पर, 15.88 लाख रु० अनुसूचित जन-जातियों पर तथा 3.61 लाख रु० अन्य पिछड़े हुये वर्गों पर व्यय किय जायगे। 1969–70 का प्रत्यक वर्ग से सबंधित ब्योरा सक्षेप में निम्नांकित है :—

(लाख रुपयों में)

मद—योजना	अनुसूचित जन-जातियां	अनुसूचित जातियां	अन्य पिछड़े हुए वर्ग	योग
1	2	3	4	5
1—शिक्षा ..	5.51	34.22	3.61	43.34
2—आर्थिक उत्थान ..	5.40	5.00	..	10.40
3—स्वास्थ्य, आवास तथा अन्य योजनायें। ..	4.97	3.29	..	8.26
योग ..	15.88	42.51	3.61	62.00

32—अनुसूचित जन जातियां—चूंकि अनुसूचित जन जातियों को उस रूप में जून, 1967 में ही घोषित किया गया, इसलिये उन से संबंधित स्कीमें पहली बार 1968–69 में प्रारम्भ की गई। अनुसूचित जनजातियों के लिये शिक्षा संबधी सभी स्कीमें बिल्कुल अनुसूचित जातियों की स्कीमों की भांति है। आर्थिक विकास की स्कीमें भी जन जातियों के पुनर्वासन की स्कीमों को छोड़ कर अनुसूचित जातियों की स्कीमों की भांति है। जन जातियों के 300 परिवारों को पुनर्वासन करने की एक विशेष स्कीम है जिसमें प्रत्येक परिवार को 5,000 रु० दिया जाता है। स्वास्थ्य, आवास तथा अन्य स्कीमें समान हैं। अन्तर केवल इतना है कि जनजातियों के मामले में अंशदान की आवश्यकता नहीं होती। जन जातियों के कल्याण की स्कीमों के लिये वर्ष 1969–70 में 15.83 लाख रु० का परिव्यय है जबकि चौथी योजना के लिये 107.10 लाख रु० निर्धारित किये गये ह। वर्ष 1969–70 में पूर्व-मैट्रिक कक्षाओं में पढ़ने वाले अनुसूचित जनजाति के 1,704 छात्रों को छात्रवृत्तियां तथा अनावर्तक सहायता दी जायगी। 33 छात्रों को शिल्पकार प्रशिक्षण के लिये छात्र-वृत्तियां दी जायगीं। आर्थिक उन्नयन तथा स्वास्थ्य एवं आवासन कार्यक्रमों के अन्तर्गत 1969–70 की अवधि में 60 परिवारों के पुनर्वासन करन, 100 पेयजल कुओं एवं 65 मकानों के निर्माण के लिये अनुसूचित जनजातियों को अनुदान देन का प्रस्ताव है।

33—अनुसूचित जातियां—चौथी योजना की अवधि के लिये अनुसूचित जातियों के कल्याण के लिये 562.90 लाख रु० निर्धारित किये गये हैं जिसमें से 42.51 लाख रु० वर्ष 1969–70 में व्यय किये जायगे। शिक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जायेगी जिसके लिये 34.22 लाख रु० का परिव्यय निर्धारित किया गया है। पूर्वमैट्रिक कक्षाओं में पढ़ने वाले अनुसूचित जाति के 35,000 छात्रों

को छात्रवृत्तियां तथा अनावर्तक सहायता दी जायेगी। साथ ही 9,415 छात्रों को फीस में छूट दी जायेगी। अनुसूचित जातियों के 333 छात्रों को शिल्पकार प्रशिक्षण के लिये छात्रवृत्तियां दी जायगी। आर्थिक उन्नयन तथा स्वास्थ्य एवं आवासन कार्यक्रमों के अन्तगत 1969–70 की अवधि में कृषि प्रायोजनाओं के लिये 200 परिवारों को तथा ग्रह उद्योगों के विकास के लिये अनुसूचित जातियों के 400 व्यक्तियों को राज्य सहायता दी जायगी। इसके अतिरिक्त पेयजल योजना के अन्तर्गत 10 प्रोजेक्टों और मकान बनाने की प्रायोजना के अन्तर्गत 100 मकानों के निर्माण के लिये अनुदान दिया जायगा।

34—अन्य पिछड़े हुए वर्ग—इस वर्ग के लिये चौथी योजना में 50.00 लाख रु० का परिव्यय रखा गया है जिसमें 3.61 लाख रु० वर्ष 1969–70 के लिये सम्मिलित है। 1969–70 में 4,260 अन्य पिछड़े हुए वर्गों के छात्रों को छात्रवृत्तियां तथा आवर्तक सहायता दी जायेगी।

7—समाज कल्याण—

35—सार्वजनिक तथा शारीरिक रूप से अक्षम, उपेक्षित और असहाय व्यक्तियों को तथा विशेष संरक्षण और सुरक्षा की आवश्यकता वाले व्यक्तियों को भी परमावश्यक सेवायें तथा सुविधायें प्रदान करने के उद्देश्य से 1955 में समाज कल्याण की योजना लागू की गई थी।

36—इन परियोजनाओं के लिये 1968–69 के बजट में 9.35 लाख रु० का प्राविधान किया गया था जबकि इस वर्ष की योजना सीमा 9.90 लाख रु० थी लेकिन 1968–69 में केवल 7.40 लाख रु० का व्यय हुआ। व्यय में कमी का मुख्य कारण यह था कि कुछ योजनाओं को प्रशासकीय स्वीकृति देर से प्राप्त हुई तथा कुछ योजनायें इसी कारण देर से प्रारम्भ की गई।

37—चौथी पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत 1969–70 के लिये 11.00 लाख रु० का परिव्यय निर्धारित किया गया है जब कि पूरी चौथी योजना काल के लिये 100.00 लाख रु० प्रस्तावित है। विभिन्न वर्गों के अन्तर्गत किये प्राविधान नीचे दिये जा रहें है।

(लाख रुपयों में)

मद/वर्ग	चौथी योजना का परिव्यय (लाख रु० में)	1969–70 का परिव्यय (लाख रु० में)
2—महिलाओं का कल्याण	6.00	0.24
3—बाल कल्याण	7.06	0.05
4—भिक्षा वृत्ति उन्मूलन	9.15	1.50
5—सामाजिक सुधार	39.79	3.65
6—बाधितों का पुनर्वासन	26.50	2.93
7—स्वच्छिक संस्थाओं को सहायता	6.50	1.82
8—प्रशिक्षण, शोध तथा प्रशासन	5.00	0.81
योग ..	100.00	11.00

38—1969–70 में कार्यकारी महिलाओं के लिए एक छात्रावास उद्धार गृह, फतेहपुर (सहारनपुर) में एक क्रेशे एवं बालवाड़ी, दो उद्धान संगठन एक संरक्षण गृह भिक्षावृत्ति उन्मूलन योजना के अन्तर्गत एक पायलेट प्रोजेक्ट, एक अतिरिक्त अन्ध विद्यालय, एक मानसिक रूप से बाधित बच्चों का विद्यालय, अंधों के लिए कर्मशाला तथा 2 ब्रेल लायब्रेरी की स्थापना का प्रस्ताव है।

39—इसके अतिरिक्त अन्य कार्यक्रमों में उत्तर प्रदेश बाल अधिनियम का दो अतिरिक्त जिलों में विस्तार तथा इसके अन्तर्गत दो सुधार अधिकारियों की नियुक्ति, दो संप्रेक्षण गृहों की स्थापना, सरक्षण गृह गोरखपुर की क्षमता में विस्तार, जिला शरणालयों का सुधार तथा वर्तमान अवेक्षण गृहों का सुधार एवं विस्तार के कार्यक्रम ह । विभागीय संस्थाओं में मुक्त संवासियों के पुनर्वासन के लिए अनुदान, बाधितों के कृत्रिम अंग एवं अन्य उपकरण क्रय करने हेतु अनुदान, विद्यालयक्षमों, अनाथालयों तथा बाधितों के कल्याणकारी सस्थाओं के चलाने वाले स्वेच्छिक संगठनों तथा ऐसे सगठन जो बाल कल्याणकारी संस्थाओं को चलाते हैं को अनुदान तथा जेल से मुक्त कैदियों तथा प्रोबेशनर्स पर छोड़े गये व्यक्तियों को उनके पुनर्वासन के लिए अनुदान देने की भी व्यवस्था है ।

40—विभागीय क्षेत्रीय कार्यकर्ताओं का सेवाकालीन प्रशिक्षण देने की व्यवस्था है तथा समाज कल्याण द्वारा सचालित योजनाओं के मूल्यांकन एवं विभिन्न आवश्यक सस्थाओं पर अनुसंधान की भी योजना प्रस्तावित है ।

8—शिल्पकार प्रशिक्षण एवं श्रम कल्याण

41—शिल्पकार प्रशिक्षण एवं श्रम कल्याण कार्य-क्रम के मुख्य तीन भाग हैं अर्थात (1) शिल्पकार, शिक्षण (2) सेवा योजन (3) श्रम कल्याण। इन तीनों वर्गों के योजना कार्य-क्रमों के लिये वर्ष 1969–70 में 117.83 लाख रुपये का योजना परिव्यय निर्धारित किया गया है। प्रत्येक वर्ग का विवरण निम्न प्रकार है :—

42—शिल्पकार प्रशिक्षण—सरकार ने गत योजनाओं में औद्योगिक क्षेत्र में पर्याप्त विस्तार की आश' की थी जिसके फलस्वरूप उद्योगों में बढ़ती हुई प्राविधिक जन शक्ति की मांग को ध्यान में रखते हुए शिल्पकार प्रशिक्षण प्रायोजना लागू की गई। सर्व प्रथम वर्ष 1955 में 1832 सीटों को क्षमता के साथ 8 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थायें खोली गई। वर्ष 1968–69 के अन्त तक 1832 सीटों से बढ़कर 24,784 सीटों की क्षमता के साथ कुल 49 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थायें हो गई। प्रशिक्षण के स्तर को सुधारने हेतु प्राविधिक पुस्तकालयों की व्यवस्था करने और वर्तमान सुविधाओं को सुसंगठित करने का प्रस्ताव है। 480 सीटों को लोक प्रिय व्यवसायों में परिवर्तित करने का प्रस्ताव है। इन सब कार्य-क्रमों को पूरा करने के लये 110.00 लाख रुपये का परिव्यय निर्धारित किया गया है।

43— सेवा योजन—इस वर्ग के अन्तर्गत वर्ष में दो सेवा योजन कार्यालय, उत्तराखण्ड में रोजगार बाजार सूचना इकाइयां, हल्द्वानी, हापुड़ और मुगलसराय में तीन नगर सेवा योजना केन्द्र, मेरठ में एक यूनीवर्सिटी इम्प्लायमेन्ट इन्फार्मेशन तथा गाइडेन्स ब्यूरो, देवरिया, बांदा लैंसडाउन व बुलन्दशहर में चार वोकेशनल गाइडेस इकाइयां स्थापित करने के साथ-साथ निर्देशालय तथा अन्य कार्यालयों को सुदृढ़ करने का प्रस्ताव है। इस प्रकार इस वर्ष के लिए 1969–70 का योजना 2.00 लाख रुपया परिव्यय रखा गया है।

44— श्रम-कल्याण—इस वर्ग के कार्यक्रमों के लिये 5.83 लाख रुपया वर्ष 1969–70 के लिये निर्धारित किया गया है जिसमें श्रम अधिनियमों के अच्छे तथा प्रभावकारी प्रवर्तन हेतु शासनतंत्र को सुदृढ़ बनाने के लिये गाजियाबाद तथा सहारनपुर में कारखाना निरीक्षकों के क्षेत्रीय कार्यालय खोलना एवं 20 और श्रम निरीक्षकों को नियुक्त शामिल है। इसके अलावा श्रमायुक्त कार्यालय के आंकड़े तथा शोध अनुभाग को पुनर्गठित तथा सुदृढ़ करने का भी प्रस्ताव है ताकि श्रमनीतियों और कार्य क्रमों के निर्धारण के लिये आधार सामग्री के उपलब्ध करने में इसकी उपयोगिता बढ़ाई जा सके। श्रमायुक्त संगठन के कार्यकुशलता अनुभाग के गति अध्ययन शाखा तथा प्रयोगशाला और कर्मशाला के विकास का भी प्रस्ताव है। विभागीय पुस्तकालय का भी विस्तार किया जायगा जिससे इसे श्रम संबंधी मामलों के नवीनतम साहित्य से सुसज्जित किया जा सके।

9—सांख्यिकी

45—नियोजन विकास के लिये विश्वासनीय आंकड़े अति आवश्यक होते हैं। चौथी योजना के प्रथम वर्ष अर्थात 1969–70 में क्षेत्रीय स्तर पर कृषि उत्पादन का लागत, व्यापार, यातायात, पूंजी के संगठन, कुटीर उद्योग, रोजगार तथा उपभोक्ता व्यय के अनुमान लगाने के लिये सर्वेक्षण प्रारम्भ किये जायेंगे। जिला स्तर पर आय का अनुमान लगाना विभाग का एक महत्वपूर्ण कार्य होगा। भविष्य में नियोजित विकास कार्यक्रम तैयार करने के लिये भी अध्ययन किया जायगा। 1969–70 में इन कार्यक्रमों पर एक लाख रुपया व्यय किया जायगा।

10—सूचना एवं प्रसार

46—सूचना एवं प्रचार योजना का मुख्य उद्देश्य जनता को सरकार द्वारा चलाई जा रही विकास प्रगति से अवगत कराना है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिये चौथी योजना काल के पहले वर्ष अर्थात 1969–70 में प्रकाशन, चलचित्र, किसान मेले एवं प्रदर्शनियां, विज्ञापन और सामुदायिक श्रवण कार्यक्रम शामिल किये गये हैं। वर्ष के दौरान तीन पोस्टर, तीन पैम्पफलेट, आठ फोल्डर और 6 पुस्तकें, "कौन क्या है" प्रकाशन परियोजना के अन्तर्गत छापी जायगी। चलचित्र परियोजना के अन्तर्गत 1.20 लाख रुपये की लागत में 6 चलचित्र तैयार करने का प्रस्ताव है। सामुदायक श्रवण परियोजना के अधीन जो रेडियो ग्रामीण क्षेत्र में लगाये जाते थे अब से यह कार्यक्रम केवल पर्वतीय क्षेत्र में आरम्भ किया जायगा। वर्ष 1969–70 में 100 रेडियो सेट्स लगाये जायेंगे और 0.50 लाख रुपया खर्च होने का अनुमान है। इन सब परियोजनाओं के लिये वर्ष 1969–70 में इस मद के लिये 4.00 लाख रुपया का परिव्यय निर्धारित किया गया है।

11—ग्रामीण जनशक्ति योजना

47—चौथी पंच वर्षीय योजना में ग्रामीण जन शक्ति योजना के लिये 168.00 लाख रु० का परिव्यय इस आशय से रखा गया है कि जो कार्य अधूरे रह गये हैं उनको पूरा किया जाये। चौथी योजना की अवधि के लिये 127.50 करोड़ रु० की एक अनुपूरक योजना भी बनाई गई है जिसमें 3.00 करोड़ रु० ग्रामीण जन शक्ति योजना के लिये अलग से निर्धारित है किन्तु इस अनुपूरक योजना पर कार्य तभी आरम्भ किया जायेगा जब इसके लिये समुचित संसाधनों की व्यवस्था हो जायेगी।

48—जन शक्ति योजना के अन्तर्गत वर्ष 1969–70 के लिये 89.50 लाख रु० का परिव्यय रखा गया है जिससे निम्नलिखित कार्य पूरे किये जायेंगे —

निर्माण कार्य का नाम	यूनिट	वर्ष 1969–70 का लक्ष्य
1—छोटी ग्राम बाजार सड़कें	कि०. मी०	100
2—ग्रामीण बंधियां	,,	120
3—सिंचाई और मत्स्य पालन के लिये तालाब ..	संख्या	100
4—छोटी नालियां और अन्य भूमि संरक्षण निर्माण कार्य	कि० मी०	55
5—अन्य प्रकीर्ण योजनायें	संख्या	100

3—सिंचाई की सुविधायें प्रदान करने के लिये वर्ष 1969–70 में राजकीय सिंचाई कार्यक्रमों पर 10.41 करोड़ रुपये के व्यय का प्राविधान किया गया है। इससे 1.13 लाख हेक्टर अतिरिक्त सिंचन क्षमता का सृजन होगा निजी सिंचाई कार्यक्रमों के अन्तर्गत जो कार्य लिये जायेंगे उनमें मुख्यतः 30,000 पक्के कुओं का निर्माण, 11,200 निजी नलकूपों, 12,000 पम्पिंग सटों और 7,000 रहटों का लगाना सम्मिलित है। निजी सिंचाई कार्यक्रमों के द्वारा 1.90 लाख हेक्टर अतिरिक्त सिंचन क्षमता का सृजन होगा।

4—ग्रामीण एवं लघु उद्योगों के विकास के लिये 69.09 लाख रुपये के परिव्यय का प्राविधान किया गया है। जिसमें 24.91 लाख रुपया ऋण और अनुदान के रूप में बांटे जाने की धनराशि सम्मिलित है। ग्रामीण एवं लघु उद्योग के कुल परिव्यय का विवरण निम्न प्रकार है :—

मद	वर्ष 1969–70 में प्राविधान
	(लाख रुपया में)
1—हैन्डलूम	19.20
2—पावरलूम	8.00
3—लघु उद्योग	37.13
4—औद्योगिक आस्थान	1.25
5—हस्तकला	1.81
6—रेशम उद्योग	1.70
योग ..	69.09

5—यातायात की सुविधाओं को प्रदान करने के हेतु 106 किलोमीटर नई सड़कें बनाने, 95 किलोमीटर वर्तमान सड़कों का पुनरोद्धार करने का लक्ष्य है। इसके अतिरिक्त 4 पुलों का भी निर्माण किया जायेगा। उपर्युक्त कार्यक्रमों के लिये 1.78 करोड़ रुपये का प्राविधान किया गया है।

6—चिकित्सा एवं स्वास्थ्य की अपेक्षाकृत अधिक सुविधायें प्रदान करने हेतु 7 चिकित्सालय व डिस्पेन्सरियां स्थापित की जायेंगी और 251 अतिरिक्त शय्याओं का प्राविधान किया जायेगा। दो क्षय क्लिनिक, 1 बाल क्लिनिक, 2 दंत क्लिनिक और 8 कुष्ट नियंत्रण इकाइयां स्थापित की जायेंगी। चिकित्सा की शिक्षा एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम का विस्तार किया जायेगा और परिवार नियोजन कार्यक्रम का सघनीकरण किया जायेगा।

(2) बुन्देलखंड

7—बुन्देलखंड की कृषि सम्बन्धी समस्याओं की कुछ प्रमुख विशेषतायें हैं। उक्त सम्भाग में भारी भूमि कटाव होता है तथा सिंचाई सुविधाओं की कमी है। वर्ष 1969–70 में इस क्षेत्र में कृषि उत्पादन के विकास के लिये 31.87 लाख रुपये के परिव्यय का प्राविधान किया गया है। इस वर्ष इस बात पर जोर दिया जायेगा कि भूमि एवं जल संरक्षण कार्यक्रम बड़े पैमाने पर किये जांय और सूखी खेती के तरीके अपनायें जांय तथा लघु सिंचाई के कार्यक्रम विशेषकर कन्टूर बन्धियों के निर्माण कार्यक्रम को सघन किया जाय। अधिक उत्पादन देने वाली किस्मों को 0.81 लाख हेक्टर में बोया जायेगा और पौध सुरक्षा कार्यक्रम 3.18 लाख हेक्टर में सम्पन्न किया जायेगा। इसके अतिरिक्त निम्नलिखित कार्य भी यहां की कृषि उन्नति के लिये किये जायेंगे।

1—वर्तमान मिट्टी जांच प्रयोगशालाओं का सुदृढ़ीकरण और नये प्रयोगशालाओं की स्थापना।

2—एक ही जगह पर सम्पूर्ति एवं तकनीकी जानकारी को उपलब्ध कराने के लिये सेवा केन्द्र (सर्विस सेन्टर) और कृषि सलाहकार सेवायें (फार्म एडवायजरी सर्विस) की स्थापना।

3—ज्वार की खेती में विकास हेतु कार्यक्रम।

4—प्रभागीय अनुसंधान केन्द्र, झांसी का सुदृढ़ीकरण।

5—सूखे से अत्यधिक ग्रसित क्षेत्रों में सूखी खेती अपनाने हेतु तिल और अलसी का एक पैकेज कार्यक्रम।

8—बुन्देलखंड क्षेत्र की सबसे महत्वपूर्ण समस्या कदाचित भूमि कटाव है। 16 भूमि संरक्षण अधिकारी यूनिटें पहले से कार्य कर रही हैं। चौथी योजना कालमें 4 अतिरिक्त यूनिटें और स्थापित की जायगी। वर्ष 1969–70 तक 29,000 हेक्टर में भूमि संरक्षण का कार्य व 6,000 हेक्टर में रेवाइन रेक्लेमेशन का कार्य किया जायेगा। सिंचाई की अधिक सुविधा प्रदान करने के ध्येय से राज्य लघु सिंचाई योजनाओं एवं मध्यम योजनाओं पर क्रमशः 0.26 करोड़ व 0.80 करोड़ रुपये के परिव्यय का प्राविधान किया गया है। वर्ष 1969–70 में निजी लघु सिंचाई कार्यक्रम का लक्ष्य निम्न प्रकार है :

मद	1969–70 का लक्ष्य
1—पक्के कुएं	6,500
2—कूओं में बोरिंग	800
3—पम्पिंग सेट	3,000
4—निजी नलकूप	680
5—बन्धियों का निर्माण (हजार हेक्टरों में लाभान्वित क्षेत्र) ..	16.61

9—इस क्षेत्र को लाभान्वित करने वाले ग्रामीण एवं लघु उद्योग कार्यक्रम के लिये 9.46 लाख रुपये के परिव्यय का प्राविधान किया गया है। विभिन्न उद्योगों की स्थापना हेतु 4.60 लाख रुपया अनुदान एवं ऋण के रूप में बांटा जायगा। एक लाख रुपयों की लागत की मशीनें किराया–खरीद (हायर पर्चेज) के आधार पर दी जायगी।

10—इस सम्भाग में यातायात की सुविधायें प्रदान करने हेतु 55.43 लाख रुपयों के परिव्यय का प्राविधान किया गया है। 50 कि० मी० नई सड़के बनाने और 15 कि० मी० वर्त्तमान सड़को के पुनरोद्धार का लक्ष्य है। इसके अतिरिक्त एक पुल का भी निर्माण किया जायगा।

11—चिकित्सा सुविधाओं को और विस्तृत करने के लिये 4 चिकित्सालय व डिस्पेन्सरी स्थापित की जायगी। अस्पतालों में 182 अतिरिक्त शैय्याओं का सृजन किया जायेगा। 4 कुष्ठ नियंत्रण इकाइयां और एक दांत का क्लिनिक भी खोले जायेंगे। परिवार नियोजन कार्य को और सघन रूप से चलाया जायगा। पीने के पानी की सुविधायें प्रदान करने के लिये 80 लाख रुपया व्यय करने का लक्ष्य है।

(3) उत्तराखण्ड

12—उत्तराखंड की वार्षिक योजना वर्ष 1968–69 के लिये 3.4 करोड़ रु० का प्राविधान किया गया था जिसके समक्ष अनुमानित व्यय 3.3 करोड़ रु० हुआ। विगत वर्षों में संचार, बागवानी, वन, शिक्षा, विद्युत्, लघुसिंचाई तथा पशुपालन के विकास पर बल दिया गया। उत्तराखंड के लिये चौथी योजना में 20 करोड़ रु० के परिव्यय का प्रस्ताव है जिसमें से वर्ष 1969–70 के लिये 349.96 लाख रु० का परिव्यय प्रस्तावित किया गया है। संचार, बागवानी, पशुपालन, कुक्कुट विकास, पर्यटन, वन तथा विद्युत् सम्बन्धी विकास पर विशेष बल दिया जायेगा। इस क्षेत्र की बागवानी की विशाल क्षमता के उपभोग के लिये वर्ष 1969–70 में 15.50 लाख रु० के परिव्यय का प्रस्ताव है जिससे 190 हेक्टयर भूमि को उद्यान पट्टी इत्यादि के अन्तर्गत लाया जायेगा। इस संभाग में कृषि उत्पादन बढ़ाने हेतु अधिक उपज देने वाली किस्मों के अन्तर्गत 8080 हेक्टयर भूमि लाई जायेगी तथा 280 हेक्टयर भूमि पर पौध संरक्षण का कार्य किया जावेगा। 140 हेक्टयर भूमि पर लघु सिंचाई सुविधायें प्रदान करने का प्रस्ताव है।

13—इस संभाग में वनों के विकास की काफी क्षमता उपलब्ध है। वर्ष 1969–70 की वार्षिक योजना में वनसम्बन्धी कार्यक्रमों के लिये 36.00 लाख रु० के परिव्यय का प्रस्ताव है। 1000 हेक्टयर क्षेत्र में लाभप्रद तथा शीघ्र बढ़ने वाले वृक्षों की रोपावानियां लगाने का प्रस्ताव है। तैल लीसा निकालने की परियोजना के अन्तर्गत 18,000 क्विन्टल तैल लीसा निकालने का प्रस्ताव है।

14—विद्युत् सम्बन्धी योजनाओं के लिये वर्ष 1969–70 की योजना में 25.80 लाख रु० के परिव्यय का प्रस्ताव है। वर्ष 1969–70 के विभिन्न लक्ष्य निम्न प्रकार है।

(1) निरोपित क्षमता (हजार किलोवाट)	.. ..	2.231
(2) उत्पादित विद्युत् शक्ति (लाख किलोवाट घंटे)	..	81.678
(3) विद्युत् विक्रय (लाख किलोवाट घंटे)	.. ..	61.258

15—इस संभाग में परिवहन के विकास के लिये वर्ष 1969–70 में 112.00 लाख रु० के परिव्यय का प्रस्ताव है। 71 किलोमीटर नई पक्की सड़कों तथा 6 किलोमीटर पगडन्डियों का निर्माण किया जायेगा।

16—इस संभाग में अच्छी शिक्षा सुविधायें उपलब्ध कराने के लिये वर्ष 1969–70 में 10 राजकीय प्राइमरी स्कूल, 3 नए जूनियर हाई स्कूल, 1 इन्टरमीडिएट कालेज तथा 1 डिग्री कालेज खोलने का प्रस्ताव है। शिक्षा के विकास के लिये वर्ष 1969–70 में 32.00 लाख रु० के परिव्यय का प्रस्ताव है।

17—1969–70 की वार्षिक योजना में स्वास्थ्य एवं परिवार नियोजन कार्यक्रमों के अन्तर्गत मुख्य कार्यक्रम निम्न प्रकार हैं: ग्रामीण क्षेत्रों में चार शैय्याओं वाला एक ऐलोपैथिक अस्पताल, क्षय रोग का एक क्लीनिक, रतिजरोग का एक क्लीनिक की स्थापना की जावेगी। स्वास्थ्य एवं परिवार नियोजन के कार्यक्रमों के लिये वर्ष 1969–70 में 18.00 लाख रु० के परिव्यय का प्रस्ताव है। 4,000 की जनसंख्या के एक नगर तथा 16,000 की जनसंख्या के 36 ग्रामों में पेयजल की सुविधा उपलब्ध कराई जायेगी। इस कार्यक्रम के लिये 1969–70 में 27.00 लाख रुपये का परिव्यय प्रस्तावित है।

(4) अन्य पर्वतीय क्षेत्र

18—पर्वतीय क्षेत्र की कृषि व्यवस्था को सुधारने के लिये वर्ष 1969–70 में कृषि विभाग द्वारा 44.28 लाख रु० व्यय करने का प्रस्ताव है। इससे अतिरिक्त भूमि संरक्षण कार्यक्रम पर 29.48 लाख रु० व्यय किये जायेंगे। खाद्यान्न उत्पादन–क्षमता को बढ़ाने के लिये अधिक उपज देने वाली किस्मों की फसलें 1.06 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में उगायी जायेंगी। भूमि संरक्षण का कार्य 0.79 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में कार्यान्वित किया जायेगा और कुरमुला कीट के विनाश का कार्य 20,200 हेक्टेयर क्षेत्र में फैलाया जायेगा। आलू की उपज वर्ष 1969–70 में 1680 मैट्रिक टन बढ़ जायेगी। भूमि संरक्षण इकाइयों की संख्या 9 से बढ़ाकर 17 कर दी जायेगी और 4500 हेक्टेयर भूमि इस कार्यक्रम के अन्तर्गत ली जायेगी। इण्डोजर्मन प्रोजेक्ट जो अल्मोड़ा के तीन ब्लाकों में चालू है और विस्तृत किया जायेगा जिसके अन्तर्गत खाद्यान्न के उत्पादन को बढ़ाया जायेगा।

19—फलोत्पादन का विकास पर्वतीय क्षेत्र के लिये बहुत ही महत्वपूर्ण है। 1969–70 में इस कार्य पर ५ पर्वतीय जिलों में 17.23 लाख रु० व्यय किया जायेगा। 3,400 हेक्टेयर नये क्षेत्र में फलों के वृक्ष लगाये जायेंगे, 2,550 हेक्टेयर क्षेत्र में वर्तमान बागों का पुनरोद्धार किया जायेगा एवं 7,200 हेक्टेयर क्षेत्र में पौध संरक्षण का कार्य होगा। 19 मीट्रिक टन सब्जी के बीज वितरित करने का भी प्रस्ताव है।

20—वनों के विकास पर 1969–70 में 54.66 लाख रु० व्यय करने का प्रस्ताव है जिसके अन्तर्गत आर्थिक एवं औद्योगिक दृष्टि से महत्वपूर्ण एवं तेजी से बढ़ने वाले वृक्षों का रोपण 7,684 हक्टेयर क्षेत्र में किया जायेगा। बनों में आवागमन के साधनों को सुगम करने के लिये 13 कि० मी० लम्बी नयी सड़कें बनाई जायेंगी और 12 कि० मी० लम्बी वर्तमान सड़कों का पुनरोद्धार किया जायेगा। 22 कि० मी० लम्बी टेलीफोन लाइनें भी बिछाई जायेंगी।

21—वर्ष 1969–70 में पशुपालन के विकास पर 7.08 लाख रु० व्यय किये जाने का प्रस्ताव है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत स्टाकमैन केन्द्र एवं उपकेन्द्रों की संख्या में 3 की तथा कृत्रिम गर्भाधान केन्द्र/उपकेन्द्र और भेड़ एवं ऊन विस्तार केन्द्रों की संख्या में दो–दो की वृद्धि हो जायेगी।

22—छोटे उद्योगों के विकास पर इस वर्ष 9.25 लाख रु० व्यय करने का प्रस्ताव है। 4.00 लाख रु० के ऋण दिये जायेंगे एवं 0.19 लाख रु० विद्युत् अनुदान (subsidy) के रूप में वितरित किये जायेंगे। हायर परचेज के आधार पर मशीनों के लिये 0.50 लाख रु० रखा गया है तथा 2.80 लाख रु० रेशम उद्योग के विकास के लिये प्रस्तावित है। आशा है कि हस्तकरघा उद्योग 10 लाख मीटर कपड़े का उत्पादन कर सकेगा। हस्तकला के विकास के लिये एक प्रशिक्षण तथा उत्पादन केन्द्र श्रीनगर में पपरी लकड़ी से विभिन्न प्रकार की वस्तुयें बनाने हेतु खोला जायेगा।

23—यातायात के साधनों की कमी इस क्षेत्र की एक प्रमुख समस्या है। वर्तमान वित्तीय वर्ष में सड़कों के विकास पर पर्वतीय जिलों में 80.39 लाख रु० व्यय करके 41 कि० मी० नई सड़क एवं 2 नये पुल बनाये जायेंगे तथा 41 कि० मी० लम्बी वर्तमान सड़कों का पुनःनिर्माण एवं सुधार किया जायेगा।

24—सामान्य शिक्षा के विकास पर इन पांच पर्वतीय जिलों में 1969–70 में 40.91 लाख रु० व्यय किया जायेगा। 22 जूनियर बेसिक स्कूल, 18 सीनियर बेसिक स्कूल तथा 3 क्रमिक कक्षायें खोली जायेंगी तथा शिक्षकों की संख्या में भी वृद्धि की जायेगी। कक्षा 1–5 के विद्यार्थियों की संख्या 1968–69 में 3.56 लाख थी जो 1969–70 में बढ़कर 3.81

लाख हो जायेगी। इसी प्रकार कक्षा 6–8 के विद्यार्थियों की संख्या 0.85 लाख से बढ़कर 0.92 लाख हो जाने की आशा है। गैर सरकारी माध्यमिक शिक्षा संस्थाओं को भवन–निर्माण साज–सज्जा एवं विज्ञान–लेबोरेटरीज के लिये अनुदान दिए जायंगे। टेहरी गढ़वाल में एक राजकीय डिग्री कालेज तथा किसी पर्वतीय स्थान पर एक विश्वविद्यालय खोलने का प्रस्ताव है।

25––चिकित्सा सुविधाओं के विस्तार के लिये 1969–70 में एक्सरे फिल्म दवाइयां इत्यादि की व्यवस्था के अतिरिक्त 28 नई रोगी शैय्यायें बनाई जायेंगी। महिला चिकित्सालयों में उपचिकित्सकों के पदों का सृजन किया जायेगा। संचारी–रोगों की रोकथाम के लिये थोरोसिक सर्जरी की स्थापना, 6 चिकित्सालयों की क्रमोन्नति ट्रिपिल ऐन्टीजेन्ट रैक्सिन का उत्पादन इत्यादि कार्य किये जायेंगे।

तालिकाएं

तालिका 1

राज्य की चौथी पंचवर्षीय योजना का मदवार परिव्यय

(लाख रुपयों में)

विकास मद	चौथी योजना का परिव्यय			1969-70		
	योग	पूंजी	विदेशी मुद्रा	योग	पूंजी	विदेशी मुद्रा
1	2	3	4	5	6	7
1.1—कृषि उत्पादन	5710.00	1144.02	5.12	937.64	201.69	1.00
1.2—लघु सिंचाई	9600.00	8178.00	110.00	1810.00	1468.80	32.00
1.3—भूमि संरक्षण	2140.00	135.00	..	324.00	10.00	..
1.4—आयकट विकास	..	..	..	..	..	..
योग, 1—कृषि कार्यक्रम	17450.00	9457.02	115.12	3071.64	1680.49	33.00
2.1—पशुपालन	550.00	194.59	6.64	100.00	36.69	..
2.2—दुग्धशाला तथा दूध का वितरण	400.00	300.41	12.00	70.00	50.56	..
2.3—वन	1300.00	..	54.00	198.00	..	12.00
2.4—मत्स्य	90.00	58.01	..	20.00	15.83	..
2.5—भाण्डागार	130.00	130.00	..	..	..	..
योग, 2—समवर्गी कार्यक्रम	2470.00	683.01	72.64	388.00	103.08	12.00
योग, 1–2—कृषि तथा समवर्गी कार्यक्रम	19920.00	10140.03	187.76	3459.64	1783.57	45.00

तालिका---1 (क्रमशः) (लाख रुपयों में)

विकास मद	चौथी योजना का परिव्यय			1969-70		
	योग	पूंजी	विदेशी मुद्रा	योग	पूंजी	विदेशी मुद्रा
1	2	3	4	5	6	7
3.1---सहकारिता	900.00	274.95	..	57.00	16.23	..
3.2---सामुदायिक विकास	1015.00	81.95	..	283.00	28.20	..
3.3---पंचायत	100.00	26.92	..	20.00	13.96	..
योग, 3---सहकारिता तथा सामुदायिक विकास	2015.00	383.82	..	360.00	58.39	..
4.1---सिंचाई	9000.00	9000.00	871.00	1700.00	1700.00	304.80
4.2---बाढ़ नियंत्रण	800.00	800.00	..	130.00	130.00	..
4.3---विद्युत्	37500.00	37500.00	2455.00	6800.00	6800.00	86.00
योग, 4---सिंचाई तथा विद्युत्	47300.00	47300.00	3326.00	8630.00	8630.00	390.80
5.1---वृहत् एवं मध्यम उद्योग	2372.50	2372.50	215.00	460.20	460.20	23.00
5.2---खनिज विकास	95.00	6.00	3.83	12.00	..	0.75
5.3---ग्राम तथा लघु उद्योग	2010.00	1338.87	1.00	205.00	114.75	1.00
योग 5---उद्योग तथा खनिकर्म	4477.50	3717.37	219.83	677.20	574.95	24.75
6.1 सड़कें	5000.00	5000.00	4.00	625.00	625.00	0.50
6.2 सड़क परिवहन	500.00	500.00	3.00	100.00	100.00	1.00
6.3 पर्यटन	50.00	..	..	10.78	..	..
योग, 6---परिवहन और संचार साधन	5550.00	5500.00	7.00	735.78	725.00	1.50

तालिका—1 (क्रमशः) (लाख रुपयों में)

विकास मद	चौथी योजना का परिव्यय			1969-70		
	योग	पूंजी	विदेशी मुद्रा	योग	पूंजी	विदेशी मुद्रा
1	2	3	4	5	6	7
7.1 सामान्य शिक्षा	5294.69	601.26	16.92	571.08	62.05	7.48
7.2 प्राविधिक शिक्षा	1048.00	239.46	88.50	180.00	48.49	12.40
7.4 —स्वास्थ्य और परिवार नियोजन	3550.00	1655.03	24.40	380.00	147.39	6.50
7.5—जल सम्पूर्ति	1800.00	1074.62	20.00	400.00	139.85	4.00
7.6—आवास तथा नगर विकास	700.00	554.50	..	60.00	42.00	...
7.7—पिछड़ी हुई जातियों का कल्याण	720.00	19.90	..	62.00	2.50	..
7.8—समाज कल्याण	100.00	12.00	..	11.00	..	..
7.9— शिल्पकार प्रशिक्षण तथा श्रम कल्याण	363.53	177.36	..	117.83	60.82	..
7.10—जन सहयोग	..	..	...	...	...	...
योग, 7—समाज सेवायें	13576.22	4334.13	149.82	1781.91	503.10	30.38
8.1—सांख्यिकी ..	20.30	...	...	1.00	..	...
8.2—सूचना तथा प्रसार	20.00	..	...	4.00	..	...
8.4—पर्वतीय तथा सीमान्त क्षेत्र	2000.00	1430.17	11.48	349.96	251.60	1.45

तालिका—1 (क्रमशः) (लाख रुपये में)

विकास मद	चौथी योजना का परिव्यय			1969-70		
	योग	पूंजी	विदेशी मुद्रा	योग	पूंजी	विदेशी मुद्रा
1	2	3	4	5	6	7
8.5—मूल्यांकन संगठन	2.81	...	...	0.77	..	...
8.6—अन्य ..	218.17	..	...	99.74	..	...
योग, 8—विविध ..	2261.28	1430.17	11.48	455.47	251.60	1.45
कुल योग .. (शीर्षक 1—8)	95100.00	72805.52	3901.89	16100.00	12526.61	793.88

तालिका 2

राज्य योजनाओं के लिए परिव्यय

मद—1. कृषि कार्यक्रम

वर्ग—1.1. कृषि उत्पादन

(लाख रुपयों में)

संकेत-संख्या	वर्ग/योजनाएं	चौथी योजना			1969–70		
		कुल परिव्यय	पूंजी परिव्यय	विदेशी मुद्रा	कुल परिव्यय	पूंजी परिव्यय	विदेशी मुद्रा
1	2	3	4	5	6	7	8
(1)	उन्नत बीज कार्यक्रम						
	कृषि विभाग—						
110101	उन्नत बीजों के वर्धन, संग्रहण और वितरण के योजना का सुदृढ़ीकरण	236.58	32.46	..	36.93	11.01	..
110102	बीज परीक्षण प्रयोगशाला की स्थापना ..	17.78	1.50	..	..	..	..
110103	विवेकानन्द प्रयोगशाला, अल्मोड़ा में हाइब्रिड एवं अधिक उपज देने वाले बीजों का उत्पादन	7.08	..	..	3.09		..
	योग (1)	261.44	33.96	..	40.02	11.01	..

मद 1—कृषि कार्यक्रम

वर्ग 1.1—कृषि उत्पादन (क्रमशः)

(लाख रुपयों में)

संकेत-संख्या	वर्ग/योजनाएं	चौथी योजना			1969–70		
		कुल परिव्यय	पूंजी परिव्यय	विदेशी मुद्रा	कुल परिव्यय	पूंजी परिव्यय	विदेशी मुद्रा
1	2	3	4	5	6	7	8
	(2) उर्वरक तथा खाद						
	कृषि विभाग—						
110201	राज्य के पर्वतीय एवं अगम्य क्षत्रों में उर्वरकों के यातायात पर राज सहायता	15.00	..	..	3.00	..	..
110202	कृषि सम्पूर्ति संगठन का सुदृढ़ीकरण—गोदामों का निर्माण	400.88	258.50	..	103.45	103.45	..
110203	उर्वरकों के अधिग्रहण, संग्रहण एवं वितरण की योजना के अन्तर्गत भवन निर्माण	0.01	0.01	..	0.01	0.01	..
110204	उर्वरक नियंत्रण आदेश 1957, को लागू करने की योजना	5.21	..	..	..	..	..
	योग, कृषि विभाग ..	421.10	258.51	..	106.46	103.46	..
	स्वायत्त शासन विभाग—						
110221	मलोपयोग सम्बन्धी योजना	300.00	300.00	5.00	30.00	30.00	1.00
	योग, (2) ..	721.10	558.51	5.00	136.46	133.46	1.00

(3) पौध सुरक्षा

कृषि विभाग—

110301	पहाड़ी क्षेत्रों में कुरमुला कीट का नियंत्रण ..	39.60	..	..	7.60	..	..
110302	पौध सुरक्षा सेवा का विस्तार	667.60	..	..	95.72	..	..
	योग, (3) ..	707.20	..	..	103.32	..	..

(4) कृषि उपकरण

कृषि विभाग—

110401	चार पूर्वी जिलों में कृषि कर्मशालाओं का विस्तार ..	19.13	1.25	..	..	..	..
110402	उन्नत कृषि उपकरणों के प्रदर्शन, विक्रय तथा लोकप्रिय बनाने के योजना का सुदृढ़ीकरण तथा कृषि विभाग में कृषकों को उपकरण कार्यक्रम में सहायता प्रदान करने के लिए एक सेल की स्थापना	7.28	..	..	..	..	.
110403	नये कृषि यंत्रों तथा मशीनरी के डिजाइनिंग हेतु पुरस्कार	2.00	..	..	..	..	..
110404	उन्नत कृषि यंत्रों को लोकप्रिय बनाने की योजना	75.00	75.00	..	10.00	10.00	..
	योग, (4) ..	103.41	76.25	..	10.00	10.00	..

मद–1. कृषि कार्यक्रम

वर्ग–1.1. कृषि उत्पादन (क्रमशः)

(लाख रुपयों में)

संकेत-संख्या	वर्ग/योजनाएं	चौथी योजना			1969–70		
		कुल परिव्यय	पूंजी परिव्यय	विदेशी मुद्रा	कुल परिव्यय	पूंजी परिव्यय	विदेशी मुद्रा
1	2	3	4	5	6	7	8
	(5) वाणिज्यिक फसलें						
	कृषि विभाग––						
110501	जूट की फसलों में पत्ती पर छिड़काव के लिए यूरिया दिये जाने की योजना	2.05	..	..	..	..	..
110502	पर्वतीय जिलों में आलू विकास-कार्यक्रम का सघनीकरण	1.21	..	..	0.18	..	..
110503	सीतापुर, लखीमपुर खेरी और बहराइच में जूट की सघन खेती	9.28	..	..	1.86	..	..
110504	औद्योगिक विकास कार्यक्रम का सघनीकरण ..	36.40	10.95	..	7.45	3.61	..
110505	शाक-भाजी तथा सब्जी बीजों के उत्पादन का सघनीकरण	16.64	1.20	..	2.25	0.20	..
110506	देहरादून जिले के चकराता तहसील के औनसार बावर के पिछड़े क्षेत्र तथा पर्वतीय क्षेत्रों में औद्यानिक विकास कार्य का सघनीकरण	17.71	10.00	..	2.16	1.00	..
110507	आलू विकास के कार्यक्रम का तीव्रतर किया जाना	10.84	..	..	1.30	..	..
110508	जूट सम्बन्धी विशेष "पैकेज" कार्यक्रम ..	0.54	..	..	0.12	..	..
110509	जूट की फसल पर यूरिया एवं कीटनाशक दवाइयों का हवाई छिड़काव	0.92	..	..	0.14	..	..
110510	जूट एवं मेस्ता के किस्म का सुधार ..	1.01	..	..	0.23	..	..
110511	जूट के उन्नतशील बीजों का कम दर पर वितरण	2.31	..	..	0.45	..	..
110512	बूड लाख फार्मों तथा प्रदर्शन केन्द्रों की स्थापना	1.36	..	..	0.12	..	..
	योग, कृषि विभाग ..	100.27	22.15	..	16.26	4.81	..

फलोपयोग

110541	प्रजनि फलोद्यानों की स्थापना	16.38	2.85	..	2.05	..	..
110542	औद्यानिक प्रसार एवं पौध संरक्षण सेवा का सुदृढ़ीकरण	8.54	..	..	1.59	..	..
110543	फल-पट्टियों तथा उद्यान उपनिवेशों की स्थापना एवं फलोत्पादकों को दीर्घकालीन औद्यानिक ऋण का संवितरण	53.60	48.90	..	11.72	10.81	..
110544	कीटनाशक औषधियों, फल के पौधों तथा सब्जी बीजों का कम मूल्य पर वितरण	3.10	..	..	0.62	..	..
110545	पर्वतीय फलों एवं सब्जी पर अनुसंधान कार्य का सघनीकरण	2.10	0.60	..	0.26	..	..
110546	फलसंरक्षण एवं डिब्बाबन्दी संस्थान, लखनऊ में शोध कार्य का सघनीकरण	9.40	2.80	..	2.08	1.00	..
110547	भवन निर्माण (स्पिल ओवर) ..	2.96	2.96	..	1.27	1.27	..
110548	अतिरिक्त सामुदायिक डिब्बाबन्दी एवं प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना	3.92	..	..	0.41	..	..
110549	भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् के सहयोग से पर्वतीय क्षेत्र में सेब, आड़ू, आदि पर समन्वित योजना	..	..	..	..*	..	..
110550	फलों के विवरण एवं निर्यात प्रोन्नति की योजना..	0.001	..	..	0.001	..	..
	योग, फलोपयोग ..	100.00	58.11	..	20.00	13.08	..

*भारतीय कृषि शोध परिषद् का अंश 0.45 लाख रु०।

मद—1. कृषि कार्यक्रम

वर्ग—1.1. कृषि उत्पादन (क्रमश:)

(लाख रुपयों में)

संकेत संख्या	वर्ग/योजनाएं	चौथी योजना			1969–70		
		कुल परिव्यय	पूंजी परिव्यय	विदेशी मुद्रा	कुल परिव्यय	पूंजी परिव्यय	विदेशी मुद्रा
1	2	3	4	5	6	7	8
	गन्ना विभाग—						
110571	गन्ने का सघन उत्पादन	69.00	..	..	13.00	..	..
110572	खाद की सुविधाओं का तीव्रतर किया जाना ..	14.14	..	..	3.53	..	..
110573	बीजों का बदलना तथा बीज-नर्सरियों की स्थापना	31.84	..	..	2.90	..	..
110574	गन्ना के पौधों की सुरक्षा कार्यक्रम का सघनीकरण	77.00	..	..	14.69	..	..
110575	नये चीनी मिल क्षेत्रों में विकास कार्य ..	15.02	..	..	1.09	..	..
110576	गन्ना-प्रतियोगिता	5.00	..	..	..	..	..
110577	गन्ना उत्पादन कार्यक्रम एवं उसके प्रभाव का अध्ययन	4.40	..	..	0.74	..	..
110578	सड़क निर्माण (स्पिल ओवर) ..	72.00	72.00	..	10.80	10.80	..
110579	सड़क निर्माण (नवीन)	90.00	90.00	..	10.00	10.00	..
110580	"इपीडेमिक" नियंत्रण	21.60	21.60	..	3.25	3.25	..
	योग, गन्ना विभाग ..	400.00	183.60	..	60.00	24.05	..
	योग (5) ..	600.27	263.86	..	96.26	41.94	..

(6) कृषि शिक्षा

कृषि विभाग—

110601	कृषि विश्वविद्यालय, रुद्रपुर की स्थापना ..	175.00	..	..	39.10	..	..
110602	राजकीय कृषि कालेज, कानपुर का कृषि विज्ञान संस्थान के रूप में उच्चस्तरीयकरण	86.67	16.46		9.27	1.50	..
110603	निजी कृषि कालेजों को 3 साल की डिग्री कोर्स प्रारम्भ करने के लिए सहायक अनुदान	10.00	..	..	2.00	..	..
110604	राजकीय कृषि कालेज, कानपुर में एक ग्लास हाउस का निर्माण	0.003	0.003	..	0.003	0.003	..
110605	तीन कृषि स्कूलों में कृषि शिक्षा का सघनीकरण	7.50	..	..	..	..	..
	योग (6) ..	279.17	16.46	..	50.37	1.50	..

(7) कृषि शोध

कृषि विभाग—

110701	कृषकों के खेतों में न्यादर्श उर्वरकों के परीक्षण की पुनरीक्षित योजना	2.33	..	..	0.44	..	..
110702	चरागाहों में खेती तथा चारा बारी-बारी से उगाना (ले-फ़ार्मिंग)	0.36	..	..	0.07	..	..
110703	देवरिया जिले में गन्ना शोध उपकेन्द्र की स्थापना तथा गन्ना शोध उपकेन्द्र गोरखपुर का सुदृढ़ीकरण	3.69	..	..	0.75	..	..
110704	पर्वतीय क्षेत्रों के उन्नत कृषि उपकरणों के लिए शोध एवं परीक्षण केन्द्रों की स्थापना	3.67	..	..	1.33	..	..
110705	खरबूजा, तरबूजा तथा सरदा पर शोध ..	0.001	..	..	0.001	..	..

मद --1. कृषि कार्यक्रम

वर्ग--1.1. कृषि उत्पादन (क्रमशः)

(लाख रुपयों में)

संकत सं०	वर्ग/योजनाएं	चौथी योजना			1969–70		
		कुल परिव्यय	पूंजी परिव्यय	विदेशी मुद्रा	कुल परिव्यय	पूंजी परिव्यय	विदेशी मुद्रा
1	2	3	4	5	6	7	8
110706	औद्यानिक शोध संस्थान, सहारनपुर में रेडियो आइसोटोप के सहित शोध कार्य का सघनीकरण	4.94	..	0.12	0.37	..	..
110707	जैवकीय नियंत्रण और केमोस्टो-लियन्स का प्रयोग करके नाशकीट और नेमोटोड के एकीकृत नियंत्रण की योजना	3.54	..	..	0.18	..	..
110708	इकानामिक बोटनिस्ट (आलू) के अनुभाग का विस्तार	2.75	..	..	..	..	..
110709	इकनामिक वोटनिस्ट (फली) के अनुभाग का विस्तार	6.02	..	..	..	..	..
110710	इकनामिक बोटनिस्ट (रबी) खाद्यान्न के अनुभाग का सुदृढ़ीकरण	7.85	0.50	..	..	..	..
110711	रीजनल शोध स्टेशनों का सघनीकरण तथा फैजाबाद में नये रीजनल शोध स्टेशन की स्थापना	36.38	1.60	..	6.35	1.10	..
110712	अधिक उपज वाली किस्मों, बहुफसली एवं सघन कृषि कार्यक्रमों से उत्पन्न पथालाजिक समस्याओं का अध्ययन	4.99	..	..	..	..	..
110713	विवेकानन्द प्रयोगशाला, अल्मोड़ा के फिजियालोजी अनुभाग के लिए कुछ आवश्यक मदों का प्राविधान	0.70	..	..	0.54	..	..

110714	न्यादर्श एग्रोनामिक परीक्षण	0.73	..	..	0.14	..	..
110715	समन्वित एग्रोनामिक परीक्षण (मुख्यालय के लिए स्टाफ)	0.80	..	..	0.16	..	..
110716	धान की विदेशों से लाई हुई किस्मों का सूखे से प्रभावित न होने देना तथा उनके गुणों में सुधार	17.32	0.55	..	0.51	..	..
110717	इकनामिक बोटनिस्ट (तिलहन) के अनुभाग का सुदृढ़ीकरण	2.42	..	..	0.17	..	..
110718	पौध शरीर क्रिया विज्ञान के शोध का सघनीकरण	3.96	..	..	0.42	..	..
110719	कृषि रसायन अनुभाग का सुदृढ़ीकरण ..	5.14	1.00	..	..	..	..
110720	'फाइवर' फसलों पर सघन शोध ..	3.51	..	..	..	..	..
110721	फल शोध स्टेशन बस्ती तथा उप स्टेशन, इलाहाबाद में शोध कार्य का सघनीकरण	4.04	0.31	..	..	..	..
110722	राजकीय सब्जी शोध स्टेशन, कल्याणपुर (कानपुर) का विस्तार	2.13	..	..	..	..	..
110723	पांच औधानिक शोध उप स्टेशनों के अन्तर्गत भवन निर्माण	0.10	..	..	0.10	..	..
110724	गन्ना–शोध–उपस्टेशन, मुजफ्फरनगर में भवन निर्माण	0.05	..	..	0.05	..	..
110725	पांच नये रीजनल शोध स्टेशनों की स्थापना तथा वर्तमान 5 स्टेशनों के सघनीकरण योजना के अन्तर्गत भवन निर्माण	0.33	..	..	0.33	..	..
110726	इकनामिक बोटानिस्ट (रबी खाद्यान्न) अनुभाग के सुदृढ़ीकरण के अन्तर्गत भवन निर्माण	0.001	0.001	..	0.001	0.001	..
110727	जूट शोध स्टेशन बहराइच के अन्तर्गत भवन निर्माण	0.26	0.26	..	0.26	0.26	..
110728	'पैथालाजी अनुभाग कानपुर के सुदृढ़ीकरण योजना के अन्तर्गत भवन निर्माण	0.01	..	..	0.01	..	..

मद—1. कृषि कार्यक्रम

वर्ग—1·1. कृषि उत्पादन (क्रमशः)

(लाख रुपयों में)

संकेत-संख्या	वर्ग/योजनाएं	चौथी योजना			1969–70		
		कुल परिव्यय	पूंजी परिव्यय	विदेशी मुद्रा	कुल परिव्यय	पूंजी परिव्यय	विदेशी मुद्रा
1	2	3	4	5	6	7	8
110729	उन्नत कृषि उपकरणों के शोध, परिक्षण तथा प्रशिक्षण केन्द्रों के स्थापना की योजना के अन्तर्गत भवन निर्माण	0.01	0.01	..	0.01	0.01	..
110730	कीट एवं रोग नाशक रसायनों तथा उर्वरकों के परीक्षण हेतु कानपुर में एक शोधशाला की स्थापना	6.57	..	..	0.82	..	..
110731	राज्य के विभिन्न क्लाइमेटिक मण्डलों में यन्त्रे पर सघन वेराइटल कल्चर तथा बाइलाजिकल अध्ययन	10.38	0.50	..	..	..	..
	योग, कृषि विभाग ..	134.98	4.73	0.12	13.01	1.37	..
	विकास अन्वेषणालय—						
110791	चिनहट, लखनऊ में कृषि अभियंत्रण शोध कर्मशाला की स्थापना	4.35	..	..	0.85	..	..
	योग (7) ..	139.33	4.73	0.12	13.86	1.37	..

	(8) प्रसार प्रशिक्षण एवं कृषक शिक्षा						
	कृषि विभाग—						
110801	तीन कृषि स्कूलों में 'एक्सटेंशन विंग्स' की स्थापना	13.15	..	..	4.53	..	..
	विकास अन्वेषणालय—						
110811	कृषि प्रक्षेत्र प्रबन्ध तथा कृषि प्रशिक्षण जिसमें फूलपुर में एक प्रशिक्षण प्रक्षेत्र की स्थापना भी सम्मिलित है, के कार्यक्रम ..	5.65	..	..	1.79	..	..
	सामुदायिक विकास (ख) विभाग—						
110815	श्रेत्रीय कर्मचारियों का प्रशिक्षण—प्रक्षेत्र मेकनिकों का प्रशिक्षण एवं उत्पादन केंद्र ..	80.00	5.00	..	15.00	1.00	..
110816	ग्राम सेवक प्रशिक्षण केंद्रों की प्रोन्नति ..	36.00	..	..	6.00	..	..
110817	किसान प्रशिक्षण एवं शिक्षा—7 दिनों का प्रशिक्षण	12.00	..	..	2.00	..	..
110818	ग्राम सेवकों के लिये ट्रेनिंग रिजर्व ..	72.00	..	..	12.00	..	
	योग, सामुदायिक विकास विभाग ..	200.00	5.00	..	35.00	1.00	..
	योग (8) ..	218.80	5.00	..	41.32	1.00	..
	(9) कृषि सांख्यिकी						
	कृषि विभाग—						
110901	पर्वतीय क्षेत्र के "नान-रिपोर्टिंग" क्षेत्र में फ़सलों के अन्तर्गत क्षेत्रफ़ल तथा उत्पादन का अनुमान	8.55	..	..	1.72	..	..
	(10) सघन कृषि कार्यक्रम						
	कृषि विभाग—						
111001	मैदानी भाग के प्रत्येक जिले में भूमि परीक्षण सुविधा का प्रसार	82.77	..	..	..	..	..

मद 1. कृषि कार्यक्रम

वर्ग 1.1 कृषि उत्पादन---(समाप्त)

(लाख रुपयों में)

संकेत सं०	वर्ग/योजनाएं	चौथी योजना			1969–70		
		कुल परिव्यय	पूंजी परिव्यय	विदेशी मुद्रा	कुल परिव्यय	पूंजी परिव्यय	विदेशी मुद्रा
1	2	3	4	5	6	7	8
111002	अधिक उत्पादन वाली किस्मों तथा बहुमुखी (मल्टी-पुल) कृषि का कार्यक्रम ..	184.87*	..	..	..	..	..
111003	बहुमुखी प्रोजैक्ट के अन्तर्गत अल्मोड़ा में सघन कृषि विकास	30.85	..	..	6.07	..	..
111004	सत्वर कार्यक्रम के अन्तर्गत सघन कृषि क्षेत्रों में गोदामों का निर्माण	0.001	..	..	0.001	..	..
	योग (10) ..	298.49	..	..	6.07	..	..
(11)	भूमि सुधार--- ..	..		..	..	..	..
(12)	जोतों की चकबन्दी---						
	राजस्व विभाग---						
111201	जोतों की चकबन्दी	2000.00	..	..	410.00	..	..
(13)	अन्य---						
	कृषि विभाग--						
111301	उत्तर प्रदेश कृषि औद्योगिक निगम की स्थापना ..	167.79	167.79	..	..	..	..
111302	बाजारों का विनियमन	52.21	17.46	..	4.65	1.41	..
111303	बाजारों के विनियमन हेतु कृषि विपरण अनुभाग का सुदृढ़ीकरण	22.14	..	..	2.46	..	..
111304	मधुमक्खी पालन परियोजना का सुदृढ़ीकरण ..	2.27	..	..	0.27	..	..

111305	बंजर भूमि का सर्वेक्षण एवं वर्गीकरण	..	5.94	..	..	5.94	..	..
111306	सार्वजनिक क्षेत्र में शीतगृहों का निर्माण	..	60.00	..	..	2.00	..	..
111307	नई स्कीमों के लिए तथ्य प्राविधान	..	61.89	..	..	12.92	..	..
	योग (13)	..	372.24	185.25	..	28.24	1.41	..
	योग 1.1. कृषि उत्पादन	..	5710.00	1144.02	5.12	937.64	201.69	1.00

* इस स्कीम पर पुनः विचार हो रहा है और परिव्यय में परिवर्तन की सम्भावना है ।

मद 1—कृषि कार्यक्रम

वर्ग 1.2—लघु सिंचाई

(लाख रुपयों में)

संकेत-संख्या	वर्ग/योजनाएं	चौथी योजना			1969-70		
		कुल परिव्यय	पूंजी परिव्यय	विदेशी मुद्रा	कुल परिव्यय	पूंजी परिव्यय	विदेशी मुद्रा
1	2	3	4	5	6	7	8
	(1) निजी लघु सिंचाई						
120101	—ऋण—						
	(1) पक्के कुएं						
	(2) कुओं में बोरिंग						
	(3) कुओं का गहरा करना ..						
	(4) रहट	2000.00	2000.00	..	275.30	275.30	..
	(5) पंम्प सेट						
	(6) निजी नलकूप						
	(7) निजी बंधियां						
	(8) पहाड़ों में कूल और तालाब ..						
120102	—अनुदान	750.00	..	..	200.00	..	..
120103	—अधिष्ठान, उपकरण और संयंत्र तथा उचन्त	666.00	..	..	140.00	..	..
120104	—गोदामों का निर्माण	3.00	3.00	..	3.00	3.00	..
120105	—जल उपयोग तथा लघु सिंचाई के परीक्षण की योजना	6.00	..	..	1.20	..	..

120106—पूंजी विनियोजन—						
(1) भूमि विकास बैंक के ऋण पत्रों में ..	1425.00	1425.00	..	300.00	300.00	..
(2) कृषि पुनर्वित निगम के ऋण पत्रों में ..	600.00	600.00	..	100.50	100.50	..
(3) कृषि उद्योग निगम के शेयर पूंजी में ..	150.00	150.00	..	30.00	30.00	..
योग, (1)—निजी लघु सिंचाई ..	5600.00	4178.00	..	1050.00	708.80	..
राज्य सिंचाई						
(2) नलकूप कार्यक्रम—						
120201—1.5, 3.0 तथा 5.0 क्यूसेक के नलकूपों का निर्माण।	2208.00	2208.00	95.00	444.00	444.00	25.00
120202—टूटी फूटी गूलों का सुधार ..	70.00	70.00	..	15.00	15.00	..
120203—नलकूपों के जल निकासी में सुधार ..	40.00	40.00	..	8.00	8.00	..
120204—ग्राउन्ड वाटर सर्वे	60.00	60.00	15.00	20.00	20.00	7.00
योग (2) ..	2378.00	2378.00	110.00	487.00	487.00	32.00
(3) डाल सिंचाई योजनाएं—						
120301—चालू योजनायें	30.00	30.00	..	30.00	30.00	..
120302—नई योजनायें	1295.50	1295.50	..	210.00	210.00	..
योग (3) ..	1325.50	1325.50	..	240.00	240.00	..

मद—1—कृषि कार्यक्रम

वर्ग—1.2—लघु सिंचाई (क्रमशः)

(लाख रुपयों में)

संकेत-संख्या	वर्ग/योजनाएं	चौथी योजना			1969-70		
		कुल परिव्यय	पूंजी परिव्यय	विदेशी मुद्रा	कुल परिव्यय	पूंजी परिव्यय	विदेशी मुद्रा
1	2	3	4	5	6	7	8
	(4)—जलोत्सारण प्रसारण—						
120401	—चालू योजनायें	6.64	6.64	..	6.64	6.64	..
120402	—नई योजनायें	50.00	50.00	..	10.84	10.84	..
	योग (4) ..	56.64	56.64	..	17.48	17.48	..
	(5)—अन्य कार्यक्रम— चालू योजनायें—						
120501	—रायपुर तालाब सिस्टम के नहरों का पुनर्निर्माण	0.15	0.15	..	0.15	0.15	..
120502	—कल्याण सागर से विजय नगर तालाब तक फीडर चैनल का निर्माण ।	0.24	0.24	..	0.24	0.24	..
120503	—कुल पहाड़ तालाब की क्षमता को बढ़ाने का प्रस्ताव ।	0.54	0.54	..	0.15	0.15	..
120504	—पौड़ी गढ़वाल में पर्वतीय नहरों का पक्का करना ।	0.93	0.93	..	0.93	0.93	..
120505	—गढ़वाल बावर में राजकीय नहर का पक्का करना ।	1.22	1.22	..	1.22	1.22	..
120506	—हरियावाला नहर	1.93	1.93	..	1.93	1.93	..

120507—पौड़ी गढ़वाल में 27.36 किलोमीटर लम्बी पर्वतीय नहरों का निर्माण ।	13.42	13.42	..	2.00	2.00	..
120508—टेहरी गढ़वाल में 41.84 किलोमीटर लम्बी पर्वतीय नहरों का निर्माण ।	18.64	18.64	..	3.00	3.00	..
120509—अल्मोड़ा और नैनीताल में 61.15 किलोमीटर लम्बी पर्वतीय नहरों का निर्माण ।	24.11	24.11	..	3.70	3.70	..
योग ..	61.18	61.18	..	13.32	13.32	..
नई योजनायें—						
120510—गोलाबार नहर का पक्का करना और क्षमता बढ़ाना	8.00	8.00	..	..	..	..
120511—गोलापार नहर का पक्का करना और क्षमता बढ़ाना	10.00	10.00	..	..	..	..
120512—दून घाटी में नहरों को पक्का करना ..	31.35	31.35	..	..	..	..
120513—दून घाटी में छोटी नहरों का निर्माण ..	28.33	28.33	..	..	..	..
120514—बाजपुर खंड में छोटी नहरों का निर्माण ..	3.18	3.18	..	..	..	..
120515—गढ़वाल बावर में गूलों का पक्का करना ..	6.54	6.54	..	..	..	..
120516—मोतीपुर सरोवर का पुनर्निर्माण ..	1.40	1.40	..	..	..	..
120517—गौचई नाला तालाब	1.46	1.46	..	..	..	..
120518—बमोरी तालाब	5.50	5.50	..	..	..	..
120519—बन्ट तालाब की क्षमता बढ़ाना ..	0.77	0.77	..	..	..	..
120520—बरवार नहर का प्रसार	0.45	0.45	..	..	..	..
120521—पर्वतीय क्षेत्र में 64.37 किलोमीटर लम्बी नहरें	30.00	30.00	..	2.20	2.20	..
120522—लालढ़ांग सिंचाई योजना	9.49	9.49	..	..	..	..
120523—चितमपुर बन्धी	7.46	7.46	..	..	..	..

मद 1--कृषि कार्यक्रम

वर्ग 1.2--लघु सिंचाई--(समाप्त)

(लाख रुपयों में)

संकेत-संख्या	वर्ग/योजनाएं	चौथी योजना			1969-70		
		कुल परिव्यय	पूंजी परिव्यय	विदेशी मुद्रा	कुल परिव्यय	पूंजी परिव्यय	विदेशी मुद्रा
1	2	3	4	5	6	7	8
120524	--रघुनाथपुर बंधी	8.18	8.18	..	..	..	..
120525	--झरोखास बंधी	10.41	10.41	..	..	..	..
120526	--बरकचा बंधी	10.37	10.37	..	..	..	..
120527	--रामपुर पिंडारिया बंधी	5.79	5.79	..	..	..	..
	योग ..	178.68	178.68	..	2.20	2.20	..
	योग (5) ..	239.86	239.86	..	15.52	15.52	..
	योग, राज्य लघु सिंचाई योजनायें (2--5) ..	4000.00	4000.00	110.00	760.00	760.00	32.00
	योग, 1.2. लघु सिंचाई ..	9600.00	8178.00	110.00	1810.00	1468.80	32.00

मद—1. कृषि कार्यक्रम
वर्ग—1.3. भूमि संरक्षण

(लाख रुपयों में)

संकेत सं०	वर्ग/योजनाएं	चौथी योजना			1969–70		
		कुल परिव्यय	पूंजी परिव्यय	विदेशी मुद्रा	कुल परिव्यय	पूंजी परिव्यय	विदेशी मुद्रा
1	2	3	4	5	6	7	8
	कृषि विभाग						
130101	अत्यन्त सूखाग्रस्त क्षेत्रों के लिय भूमि संरक्षण की योजना	45.53	..	..	5.61	..	..
130102	भूमि तथा जल संरक्षण की योजना—मुख्यतया कृषि जल विभाजित क्षेत्रों में	1325.66	..	..	215.18	..	..
130103	खालों का पुनर्वापण—सीमांत भूमि का संरक्षण ..	139.12	..	..	22.28	..	..
130104	पर्वतीय क्षेत्रों में भूमि तथा जल संरक्षण (कुमायूं प्रभाग)	241.56	..	..	22.23	..	..
130105	शोध, प्रदर्शन एवं प्रशिक्षण केन्द्रों को स्थापित करने की योजना	47.60	..	..	9.28	..	..
130106	कृषि भूमि में भूमि संरक्षण के लिये ऋण ..	135.00	135.00	..	10.00	10.00	..
130107	ऊसर एवं कटी हुई भूमि का पुनर्वापण तथा भूमि संरक्षण प्रदर्शन प्रयोजनाओं की स्थापना	41.80	..	..	5.88	..	..
130108	मिट्टी तथा भूमि प्रयोग के सर्वेक्षण की योजना ..	23.38	..	..	4.19	..	..
130109	रिहन्द जलाशय के पुनर्वासित क्षेत्रों में भूमि तथा जल संरक्षण	0.35	..	..	0.35	..	..
	योग, कृषि विभाग ..	2000.00	135.00	..	295.00	10.00	..

मद–1. कृषि कार्यक्रम

वर्ग–1.3. भूमि संरक्षण (समाप्त)

(लाख रुपयों में)

संकेत-संख्या	वर्ग/योजनाएं	चौथी योजना			1969–70		
		कुल परिव्यय	पूंजी परिव्यय	विदेशी मुद्रा	कुल परिव्यय	पूंजी परिव्यय	विदेशी मुद्रा
1	2	3	4	5	6	7	8
	वन विभाग—						
130201	खालों का पुनर्वापण/वनीकरण ..	125.00	..	..	25.00	..	..
	विकास अन्वेषणालय—						
130301	मुजफ्फराबाद में भूमि संरक्षण प्रशिक्षण केन्द्र ..	5.40	..	..	1.41	..	..
130302	फूलपुर प्रोजेक्ट (इलाहाबाद) में भूमि तथा जल संरक्षण	9.60	..	..	2.59	..	..
	योग ..	15.00	..	..	4.00	..	..
	योग 1.3 भूमि संरक्षण ..	2140.00	135.00	..	324.00	10.00	..

मद—2. समवर्गी कार्यक्रम

वर्ग—2.1. पशुपालन

(लाख रुपयों में)

संकेत संख्या	वर्ग/योजनाएं	चौथी योजना			1969–70		
		कुल परिव्यय	पूंजी परिव्यय	विदेशी मुद्रा	कुल परिव्यय	पूंजी परिव्यय	विदेशी मुद्रा
1	2	3	4	5	6	7	8
	1—पशु अभिजनन						
210101	राज्य पशुधन एवं कृषि क्षेत्र के अतिरिक्त आवश्यकता तथा प्रसार	34.99	24.92	..	13.14	3.62	..
210102	राज्य में चकबदी एवं A. I. प्रोग्राम का प्रसार	88.82	42.90	..	13.67	6.71	..
210103	आलीगढ़ एवं हलद्वानी के सघन पशु विकास योजना	28.47	6.26	..	3.46	1.35	..
210104	पर्वतीय क्षेत्रों में प्राकृतिक गर्भाधान केन्द्रों की स्थापना	2.37	1.35	..	0.19	0.15	..
210105	खंड पशुओं का क्रय एवं वितरण ..	7.50	..	..	3.00	..	..
210106	गोशाला विकास योजना	3.92	..	..	0.68	..	..
210107	सघन पशु विकास योजना के अन्तर्गत अतिरिक्त सामग्री का प्राविधान	79.76	22.46	..	15.55	5.74	..
210108	पशु इंशोरेन्स योजना	1.50	..	..	..	..	..
	योग 1—पशु अभिजनन ..	247.33	97.89	..	49.69	17.57	..

मद—2. समवर्गी कार्यक्रम

वर्ग—2.1. पशुपालन (क्रमश:)

(लाख रुपयों में)

संकेत-संख्या	वर्ग/योजनाएं	चौथी योजना			1969–70		
		कुल परिव्यय	पूंजी परिव्यय	विदेशी मुद्रा	कुल परिव्यय	पूंजी परिव्यय	विदेशी मुद्रा
1	2	3	4	5	6	7	8
	2—पोषण और चारा विकास						
210201	पूर्वी जिलों, बुन्देलखंड एवं पर्वतीय क्षेत्रों में उ० प्र० में अधिक पैदा होने वाली पौष्टिक चारे की फसलों का विकास।	15.00	..	..	3.00	..	..
	योग—2 ..	15.00	..	..	3.00	..	..
	3—भेड़ और उनका विकास						
210301	उ० प्र० में भेड़, उन तथा अन्य पशुधन के सुनियोजित विकास की योजना।	28.44	15.90	5.00	1.01	0.33	..
210302	उ० प्र० में भेड़ों को परोपजीवी कीटाणुओं से बचाने के लिये उन्हें सामूहिक रूप से औषधि पिलाना।	3.75	..	..	1.00	..	..
210303	भेड़ और भेमना का क्रय	10.00	..	..	1.70	..	..
210304	इलाहाबाद जिले के फूलपुर प्रायोजना क्षेत्र में भेड़ गर्भाधान की सघन योजना।	0.35	0.35	..	0.07	0.07	..
210305	लाल बहादुर सेवा निकेतन ..	0.37	..	..	0.07	..	..
210306	राज्य के पूर्वी सम्भाग में एक बकरी अभिजनन प्रक्षेत्र की स्थापना।	0.68	0.08	..	0.12	..	..
210307	राज्य में बकरियों के लिये अभिजनन सुविधा का प्रसार।	5.86	..	..	0.44	..	..
	योग—3 ..	49.45	16.33	5.00	4.41	0.40	..

	4—कुक्कुट विकास						
210401	हथलबाग रीजनल कुक्कुट क्षेत्र का विस्तार ..	8.66	6.34	..	1.63	1.57	..
210402	एस० पी० यफ० चक गंजरिया लखनऊ के सस्ता कुक्कुट राशन योजना से संबंधित कुक्कुट पौष्टिक रिसर्च लेबोरेटरी का सुदृढ़ीकरण	2.18	0.84	..	0.31	0.15	..
210403	अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन कुक्कुट पालन प्रायोजना फूलपुर (इलाहाबाद) की स्थापना	6.75	..	..	1.90	..	..
210404	कुक्कुट पालकों को ऋण ..	2.50	2.50	..	0.50	0.50	..
210405	पूर्वी जिलों में सघन कुक्कुट विकास खण्ड ..	9.35	..	..	1.75	..	..
	योग—4 ..	29.44	9.68	..	6.09	2.22	..
	5—पशु-चिकित्सा सहायता एवं रोग नियंत्रण						
210501	राज्य में नये पशु औषधालयों एवं पशु पालन केन्द्रों का सुधार—						
	(क) पशु औषधालय	17.58	10.33	..	0.76	0.46	..
	(ख) पशुपालन केन्द्र	14.27	..	..	0.83	..	..
210502	वर्तमान पशु औषधालयों को अतिरिक्त सुविधा का प्राविधान						
	(क) वर्तमान पशु औषधालयों में संयोजन एवं परिवर्तन।	5.00	5.00	..	1.00	1.00	..
	(ख) देहरादून जिले में स्थूनी जौनसार बावर क्षेत्र के, पशु औषधालयों के लिये इमारतों का प्राविधान	0.30	0.30	..	..	..	..

मद—2 समवर्गी कार्यक्रम

वर्ग—2.1. पशुपालन (क्रमशः)

(लाख रुपयों में)

संकेत-संख्या	वर्ग/योजनाएं	चौथी योजना			1969–70		
		कुल परिव्यय	पूंजी परिव्यय	विदेशी मुद्रा	कुल परिव्यय	पूंजी परिव्यय	विदेशी मुद्रा
1	2	3	4	5	6	7	8
	(ग) पशुपालन केन्द्रों के लिये इमारत का प्राविधान।	10.06	10.00	..	4.00	4.00	..
	(घ) दस मुख्य पशु औषधालयों पर सीनियर पशु चिकित्सकों के लिये प्राविधान	2.35	..	..	0.19	..	..
210503	स्थानीय निकायों द्वारा पशु औषधालयों के लिए अतिरिक्त औषधि एवं केमिकल्स का प्राविधान	4.48	..	..	0.90	..	..
210504	राज्य में निदान संबंधी लैबोरेट्री का प्राविधान—						
	(क) पशुपालन के सर्किल उपनिदेशक मुख्यालय में दो निदान संबंधी केन्द्रों की स्थापना	1.13	..	..	..	..	..
	(ख) औषधि व्यय प्रणाली पदार्थों के परीक्षणार्थ फोरोन्सिक लैबोरेट्री की स्थापना	1.37	0.10	..	0.24	..	..
210505	पशु औषधालयों का प्रान्तीयकरण ..	6.35	2.41	..	0.63	0.14	..
210506	जैविकीय उत्पादन अनुभाग का सुधार तथा प्रसार	19.77	6.64	0.82	2.22	1.00	..
210507	रिंडरपेस्ट टिशू कल्चर वेक्सिन लैबोरेट्री की स्थापना	5.00	..	0.82	..	..	..
	योग—5 ..	87.66	34.78	1.64	10.77	6.60	..

210601	भारतीय कृषि शोध परिषद् की योजनाओं में राज्य का अंश	17.43	..	..	4.00	..	..
210602	पशुधन उत्पादन, पशु पालन और पशु चिकित्सा विज्ञान में शोध कार्य को प्रगाढ़ रूप से करना	2.50	..	..	0.50	..	..
210603	राज्य में पशु चिकित्सा अन्वेषण केन्द्र मथुरा एवं क्षेत्रीय उपकेन्द्र का प्रसार एवं सुदृढ़ीकरण	2.60	0.53	..	0.72	0.05	..
210604	गोरखपुर में क्षेत्रीय पशु चिकित्सा अन्वेषण उपकेन्द्र की स्थापना की योजना	4.83	3.00	..	2.05	1.75	..
210605	पशु चिकित्सा के देशी प्रणाली में अन्वेषण की योजना (वर्तमान योजना का द्वितीय स्तर)	0.84	..	..	0.37	..	..
210606	पशु चिकित्सा महाविद्यालय मथुरा में समन्वय और पर्यवेक्षण के लिये अतिरिक्त सुविधाओं की योजना	2.52	0.35	..	0.44	..	..
210607	उ० प्र० पशु विज्ञान चिकित्सा और पशुपालन महाविद्यालय मथुरा में चरागाह और कोरेज अनुसन्धान के प्रसार तथा वाटेनी सेक्शन के जोड़न का प्रस्ताव	1.68	..	..	0.27	..	..
210608	उ० प्र० पशु विज्ञान चिकित्सा और पशुपालन महाविद्यालय मथुरा से लगा हुआ दुग्ध और कुक्कुट पालन क्षेत्र का विकास	3.04	3.00	..	0.75	0.75	..
210609	चक गंजरिया लखनऊ में कृत्रिम गर्भाधान की सेवारत कर्मचारियों का प्रशिक्षण	2.07	..	..	0.67	..	..

मद—2 समवर्गी कार्यक्रम

वर्ग—2.1 पशुपालन—(समाप्त)

(लाख रुपयों में)

संकेत-संख्या	वर्ग/योजनाएं	चौथी योजना			1969–70		
		कुल परिव्यय	पूंजी परिव्यय	विदेशी मुद्रा	कुल परिव्यय	पूंजी परिव्यय	विदेशी मुद्रा
1	2	3	4	5	6	7	8
	सांख्यिकी—						
210610	पशुधन उत्पादन तथा सांख्यिक अध्ययन करना और पशुपालन तथा पशु चिकित्सा विज्ञान में शोधकार्य को प्रगाढ़ रूप से करना	2.04	..	..	0.20	..	..
	योग—6 ..	39.55	6.88	..	9.97	2.55	..
	7—सूकर विकास						
210701	सूकर अभिजनन के लिये उन्नतशील सूकरों की विकास योजना तथा क्रय विक्रय के लिये सुविधाओं का प्राविधान।	1.16	..	..	0.84	..	..
210702	बैकन फैक्ट्री के एफ्लुयेंट्स (affluents) का उपयोग ..	5.00	3.50	..	..	..	..
	योग—7 ..	6.16	3.50	..	0.84	..	..
	8—अन्य योजनायें						
210801	विभिन्न स्तरों पर समन्वय एवं निरीक्षण ..	15.00	0.19	..	3.01	0.19	..
210802	प्रकाशन संबंधी प्रसार वस्तुओं का उत्पादन ..	2.25	..	..	0.42	..	..

210803	पशुओं का मेला लगना	5.50	..	..	1.10	..	..
210804	आदर्श प्रशिक्षण एवं उत्पादन केन्द्र वस्शी का तालाब लखनऊ में नलकूप का लगाना	0.45	0.45	..	0.45	0.45	..
210805	यू० एन० यस० एफ़० की सहायता से वृहद रुप से उन की ग्रेडिंग और क्रय विक्रय की योजना	21.02	9.20	..	0.20	0.20	..
210806	उत्तर प्रदेश में पांच कुक्कुट पालन, क्रय-विक्रय सहकारी समितियों की स्थापना ..	1.81	..	..	0.11	..	..
210807	खाल उतारने, खाल साफ़ करने तथा लोथ के उपभोग एवं उत्पादन केन्द्र, देहरादून एवं झांसी का प्रसार	2.54	1.33	..	0.33	0.33	..
210808	छुट्टा और जंगली पशुओं के उत्पात पर नियंत्रण	5.73	..	..	0.55	..	..
210809	गोसदन योजना	1.07	0.36	..	0.29	0.18	..
210810	तीसरी पंचवर्षीय योजनाओं में भवनों का निर्माण	14.00	14.00	..	6.00	6.00	..
210811	पशु मारे जाने वाले घर (कसाईखाने) का आधुनिकीकरण..	2.00	..	..	2.00	..	..
210812	मुख्य अभिजनन क्षेत्रों में पशुढोरों के निबन्धन का प्रसार तथा अभिजनन समितियों का गठन	4.04	..	..	0.77	..	..
	योग—8 ..	75.41	25.53	..	15.23	7.35	..
	कुल योग—2.1—पशुपालन ..	550.00	194.59	6.64	100.00	36.69	..

राज्य योजनाओं के लिये परिव्यय

मद--2--समवर्गी कार्यक्रम

वर्ग--2.2 दुग्धशाला तथा दूध का वितरण

(लाख रुपयों में)

संकेत-संख्या	वर्ग/योजनाएं	चौथी योजना			1969-70		
		कुल परिव्यय	पूंजी परिव्यय	विदेशी मुद्रा	कुल परिव्यय	पूंजी परिव्यय	विदेशी मुद्रा
1	2	3	4	5	6	7	8
220101	कानपुर दुग्ध प्रायोजना	20.00	16.00	..	3.10	2.48	..
220102	नये दुग्ध संघों की स्थापना	6.00	1.25	..	4.65	1.25	..
220103	बेबी फूड फ़ैक्टरी, मुरादाबाद ..	33.00	26.40	..	23.07	18.40	..
220104	ग्रामीण दुग्धशाला प्रसार	67.43	31.33	..	13.98	7.34	..
220105	ग्रामीण दुग्धशाला केन्द्रों की स्थापना ..	12.05	10.01	..	3.80	3.25	..
220106	दुग्धशाला प्रशिक्षण	2.77	..	..	0.68	..	..
220107	हल्द्वानी दुग्ध यूनियन के प्रसार कार्यक्रम की पूर्ति	5.00	4.00	..	1.00	0.80	..
220108	नगर दुग्ध सम्पूर्ति योजना	15.00	12.42	..	5.00	4.14	..
220109	वर्तमान दुग्ध संघों का प्रसार, आधुनिकीकरण तथा पुनर्जीवन	50.00	42.00	7.00	5.00	4.40	..
220110	दुग्धशाला विकास खण्ड	8.00	..	..	1.00	..	..
220111	दुग्धशाला सर्वेक्षण/मूल्यांकन	0.75	..	..	0.22	..	..
220112	उत्पादन ऋण	70.00	70.00	..	8.50	8.50	..
220113	प्रादेशिक सहकारी दुग्धशाला फ़ेडरेशन को सहायता	2.00	..	..	..	..	..

220114	स्टैटुटरी मिल्क बोर्ड	1.00	..	..	..	..	..
220115	मिल्क प्राडक्ट फ़ैक्टरी	32.00	26.60	2.50	..	..	..
220116	कैटिल फीड फैक्टरी	20.00	17.20	..	..	..	..
220117	खत्ताज और खोलाज के लिए अग्रगामी योजना	5.00	2.95	..	..	..	..
220118	फैजाबाद जिले सहित पूर्वी जिलों के लिए दुग्ध-योजना	50.00	40.25	2.50	..	..	..
	कुल योग 2.2—दुग्धशाला तथा दुग्ध का वितरण	400.00	300.41	12.00	70.00	50.56	..

राज्य योजनाओं के लिये परिव्यय

मद---2---समवर्गी कार्यक्रम

वर्ग---2.3वन

(लाख रुपयों में)

संकेत-संख्या	वर्ग/योजनाएं	चौथी योजना			1969--70		
		कुल परिव्यय	पूंजी परिव्यय	विदेशी मुद्रा	कुल परिव्यय	पूंजी परिव्यय	विदेशी मुद्रा
1	2	3	4	5	6	7	8
230101	आर्थिक तथा औद्योगिक महत्व की जातियों के वृक्षों का रोपण	310.00	..	..	7.00	..	..
230102	निम्नवर्गीय वनों का पुनरुद्धार ..	25.00	..	..	3.00	..	..
230103	प्रकाष्ठ के उन्नत लट्ठे तैयार करना ..	45.00	..	..	6.00	..	..
230104	संचार साधन-सड़कें पुल तथा टेलीफोन लाइनें (जीप की व्यवस्था सहित) ..	150.00	..	..	6.00	..	..
230105	कर्मचारियों का प्रशिक्षण	38.00	..	..	6.00	..	..
230106	भवन	15.00	..	..	1.75	..	..
230107	वन प्रस्थापन	10.00	..	..	2.00	..	..
230108	प्रकृति का परिरक्षण	35.00	..	..	6.25	..	..
230109	वन विभाग द्वारा सार्वजनिक निर्माण विभाग की, सड़कों के किनारों के पेड़ों का प्रबन्ध करना	50.00	..	..	9.00	..	..
230110	कार्य आयोजनाओं का बनाना और पुनरीक्षण	25.00	..	..	3.00	..	..

230111	वन सम्बन्धी शोध कार्य ..	..	25.00	..	..	4.50	..	..
230112	वन अर्थ संख्या प्रभाग की स्थापना	..	3.00	..	..	0.50	..	..
230113	ईंधन तथा कृषि वानिकी ..	..	32.00	..	..	6.00	..	..
230114	शीघ्र उगने वाली प्रजातियों का वृक्षारोपण	..	537.00	..	54.00	87.00	..	12.00
	कुल योग 2.3--वन	..	1300.00	..	54.00	198.00	..	12.00

मद—2—समवर्गी कार्यक्रम

वर्ग—2.4 मत्स्य

(लाख रुपयों में)

संकेत-संख्या	वर्ग/योजनाएं	चौथी योजना कुल परिव्यय	चौथी योजना पूंजी परिव्यय	चौथी योजना विदेशी मुद्रा	1969–70 कुल परिव्यय	1969–70 पूंजी परिव्यय	1969–70 विदेशी मुद्रा
1	2	3	4	5	6	7	8
240101	जल कुंडों का विकास एवं शोषण ..	24.84	14.51	..	4.63	2.91	..
240102	रिहन्द जलकुंड में मत्स्य-विभाग का सघनीकरण	9.66	0.30	..	1.90	0.30	..
240103	इन्ड्रस्ड ब्रीडिंग और सिप्रिनस कार्य मत्स्य का सम्वर्धन	18.03	15.66	..	2.01	2.00	..
240104	खण्ड क्षेत्रों में नलकूप का प्राविधान ..	3.86	3.00	..	0.51	0.50	..
240105	अतिरिक्त मत्स्य बीज उत्पादन एवं नर्सरी फार्म का प्राविधान	14.12	11.30	..	1.40	1.40	..
240106	गन्दगी अध्ययन इकाई की स्थापना ..	0.85	..	..	0.14	..	..
240107	श्रम सहकारिता का संगठन	1.67	1.10	..	0.36	0.30	..
240108	मुख्यालय पर कर्मचारियों का शक्तिकरण ..	1.06	..	..	0·18	..	..
240109	मत्स्य शिक्षा एवं अन्वेषण	1.67	..	..	0.31	..	..
240110	अघनीत योजनायें	12.14	12.14	..	8.42	8.42	..
240111	यू०-एन०-आई०-सी०-ई०-एफ़० की सहायता से व्यवहारिक पुष्टाहार कार्यक्रम ..	2.10	..	..	0.14	..	..
	कुल योग—2.4—मत्स्य	90.00	58.01	..	20.00	15.83	..

मद—2—समवर्गी कार्यक्रम

वर्ग—2·5 भाण्डागार

(लाख रुपयों में)

संकेत-संख्या	वर्ग/योजनाएं	चौथी योजना			1969-70		
		कुल परिव्यय	पूंजी परिव्यय	विदेशी मुद्रा	कुल परिव्यय	पूंजी परिव्यय	विदेशी मुद्रा
1	2	3	4	5	6	7	8
	सहकारिता विभाग						
250101	उत्तर प्रदेश राज्य भांडागार निगम के अंशकों में पूंजी विनियोजन	30.00	30.00	..	..	..	..
	खाद्य तथा रसद विभाग						
250201	खाद्यान्न संग्रह के लिए गोदामों का निर्माण ..	100.00	100.00	..	..	..	..
	कुल योग—2.5 भाण्डागार ..	130.00	130.00	..	..	..	..

राज्य योजनाओं के लिए परिव्यय

मद—3—सहकारिता तथा सामुदायिक विकास

वर्ग —3.1—सहकारिता

(लाख रुपयों में)

संकेत-संख्या	वर्ग/योजनाएं	चौथी योजना			1969–70		
		कुल परिव्यय	पूंजी परिव्यय	विदेशी मुद्रा	कुल परिव्यय	पूंजी परिव्यय	विदेशी मुद्रा
1	2	3	4	5	6	7	8
	सहकारिता विभाग						
310101	सहकारी ऋण तथा बैंकिंग	295.82	12.25	..	24.98	..	..
310102	सहकारी क्रय-विक्रय, विधायक तथा संग्रहण ..	334.99	150.17	..	6.64	3.90	..
310103	सहकारी कृषि	19.63	17.53	..	1.00	0.59	..
310104	सहकारी प्रशिक्षण तथा शिक्षा योजनाओं का प्रसार	59.11	..	..	5.05	..	..
310105	सहकारी छापाखाना	1.12	1.00	..	..	..	..
310106	सहकारी उपभोक्ता भंडारों की विशेष योजना ..	47.33	39.00	..	3.73	1.74	..
310107	औषधि विकास योजना	12.00	5.00	..	..	..	..
310108	अतिरिक्त विभागीय कर्मचारिवर्ग ..	30.00	..	..	1.60	..	..
	योग ..	800.00	224.95	..	43.00	6.23	..

	उद्योग विभाग						
310201	सहकारी चीनी मिलों की स्थापना ..	50.00	50.00	..	10.00	10.00	..
	वित्त विभाग						
310301	विभिन्न स्तरों पर सहकारी लेखा परीक्षा संगठन के कर्मचारियों की संख्या में वृद्धि	50.00	..	..	4.00	..	..
	कुल योग—3.1—सहकारिता ..	900.00	274.95	..	57.00	16.23	..

राज्य योजनाओं के लिये परिव्यय

उमद 3--सहकारिता तथा सामुदायिक विकास

वर्ग 3.2--सामुदायिक विकास

(लाख रुपयों में)

संख्या	वर्ग/योजनाएं	चौथी योजना			1969-70		
		कुल परिव्यय	पंजी परिव्यय	विदेशी मुद्रा	कुल परिव्यय	पूंजी परिव्यय	विदेशी मुद्रा
1	2	3	4	5	6	7	8
	(1) सामुदायिक विकास						
320101	सामुदायिक विकास योजना	1000.00	81.95	..	280.00	28.20	..
	(2) अन्य (प्रशिक्षण योजनायें)						
320201	प्रशिक्षण आरक्षण	15.00	..	..	3.00	..	..
	योग 3.2-सामुदायिक विकास ..	1015.00	81.95	..	283.00	28.20	..

मद 3--सहकारिता तथा सामुदायिक विकास

वर्ग 3.3--पंचायत

(लाख रुपयों में)

संकेत संख्या	वर्ग / योजनायें	चौथी योजना			1969-70		
		कुल परिव्यय	पूंजी परिव्यय	विदेशी मुद्रा	कुल परिव्यय	पूंजी परिव्यय	विदेशी मुद्रा
1	2	3	4	5	6	7	8
330101	गांव सभाओं को उत्पादक परिसंपत्ति के विकास एवं सृजन के लिये ऋण ..	28.56	26.92	..	14.23	13.96	..
330102	पंचायत मंत्रियों को प्रशिक्षण ..	5.36	..	..	1.07	..	..
330103	जिला स्तर पर पंचायती राज प्रशासन को सुदृढ़ बनाना	8.48	..	..	1.58	..	..
330104	पंचायत संस्थाओं को सुदृढ़ बनाना ..	57.59	..	..	3.12	..	..
330105	पंचायत संस्थाओं को प्रोत्साहन देना ..	0.01	..	..	..	..	..
330106	पंचायती राज वित्त निगम की स्थापना ..	0.001	..	..	..	..	..
	कुल योग 3.3--पंचायत ..	100.00	26.92	..	20.00	13.96	..

मद 4—सिंचाई तथा विद्युत्

वर्ग 4.1—सिंचाई

(लाख रुपयों में)

संकेत-संख्या	वर्ग/योजनाएं	चौथी योजना			1969–70		
		कुल परिव्यय	पूंजी परिव्यय	विदेशी मुद्रा	कुल परिव्यय	पूंजी परिव्यय	विदेशी मुद्रा
1	2	3	4	5	6	7	8
	चालू योजनायें—						
	(1) बड़ी योजनायें—						
410101	—रामगंगा	2277.34	2277.34	610.00	600.00	600.00	300.00
410102	—गण्डक नहर	1261.82	1261.82	..	400.00	400.00	..
410103	—सहायक योजना	2950.00	2950.00	250.00	300.00	300.00	..
		6489.16	6489.16	860.00	1300.00	1300.00	300.00
	(2) माध्यम योजनयें—						
410201	—नानक सागर बांध (मरम्मत) ..	100.00	100.00	..	35.00	35.00	..
410202	—जमनी बांध	190.64	190.64	..	60.00	60.00	..
410203	—चन्द्रावल बांध	29.44	29.44	..	12.00	12.00	..
410204	—हरिपुरा जलाशय	181.83	181.83	6.00	35.00	35.00	3.80
410205	—कोसी सिंचाई योजना	280.50	280.50	3.00	30.00	30.00	..
410206	—डलमऊ पम्प नहर	64.00	64.00	..	60.00	60.00	..

410207--भोपौली पम्प नहर	31.00	31.00	..	26.00	26.00	..
410208--जमनिया पम्प नहर	43.00	43.00	..	38.00	38.00	..
410209--कर्मशालाओं का प्रसार	12.30	12.30	..	6.00	6.00	.
410210--शोध कार्यक्रम का प्रसार	16.00	16.00	2.00	3.00	3.00	1.00
410211--नवीन परियोजनाओं का अनुसंधान ..	100.00	100.00	..	16.00	16.00	..
410212--अन्य स्पिलओवर परियोजनाओं का अनुकूलन ..	10.13	10.13	..	4.00	4.00	..
योग ..	1058.84	1058.84	11.00	325.00	325.00	4.80
चालू योजनाओं का योग ..	7548.00	7548.00	871.00	1625.00	1625.00	304.80
नई योजनायें--						
(3) बड़ी योजनायें	99.00	99.00	..	..	..	..
(4) मध्यम योजनायें--						
410401--किशनपुर पम्प नहर	91.00	91.00	..	7.00	7.00	..
410402--रेन पम्प नहर	152.00	152.00	..	..	..	..
410403--रेन नहर का पुनर्निर्माण	48.00	48.00	..	8.00	8.00	..
410404--पूर्वी यमुना हेड रेगुलेटर पर कार्य ..	30.00	30.00	..	5.00	5.00	..
410405--इन्जिनियरों के प्रशिक्षण सुविधाओं का प्रसार ..	20.00	20.00	..	5.00	5.00	..
410406--टोन्स पम्पड नहर	175.00	175.00	..	50.00	50.00	..
410407--भिमगोडा हेडवर्क्स का पुर्नानिर्माण ..	85.00	85.00	..	..	..	..
410408--हिंडन बांध का पुर्ननिर्गाण	110.00	110.00	..	..	..	..
410409--डोहरीघाट पम्प नहर के क्षमता बढ़ाने का प्रस्ताव	80.00	80.00	..	..	..	.
410410--गावरा पम्प नहर के क्षमता वढ़ाने का प्रस्ताव	80.00	80.00	..	..	..	.

मद 4--सिंचाई तथा विद्युत्

वर्ग 4.1--सिंचाई (समाप्त)

(लाख रुपयों में)

संकेत-संख्या	वर्ग/योजनाएं	चौथा योजना			1969-70		
		कुल परिव्यय	पूंजी परिव्यय	विदेशी मुद्रा	कुल परिव्यय	पूंजी परिव्यय	विदेशी मुद्रा
1	2	3	4	5	6	7	8
410411	--शाहजहांपुर शाखा का पुनर्निर्माण ..	36.00	36.00	..	..	..	..
410412	--अडवा बांध	50.00	50.00	..	..	..	..
410413	--सहूरापुर पम्प नहर	100.00	100.00	..	..	..	..
410414	--भिटोरा पम्प नहर	170.00	170.00	..	..	..	..
410415	--अगासी पम्प नहर	73.00	73.00	..	..	..	..
410416	--ओरा पम्प नहर	53.00	53.00	..	..	..	..
	योग ..	1353.00	1353.00	..	75.00	75.00	..
	योग, नई योजनायें ..	1452.00	1452.00	..	75.00	75.00	..
	योग, 4.1. सिंचाई ..	9000.00	9000.00	871.00	1700.00	1700.00	304.80

मद 4—सिंचाई तथा विद्युत्

वर्ग 4.2—बाढ़ नियंत्रण

(लाख रुपयों में)

संकत-संख्या	वर्ग/योजनायें	चौथी योजना			1969–70		
		कुल परिव्यय	पूंजी परिव्यय	विदेशी मुद्रा	कुल परिव्यय	पूंजी परिव्यय	विदेशी मुद्रा
1	2	3	4	5	6	7	8
420101	—सीमांत बांध	107.24	107.24	..	42.30	42.30	..
420102	—नगरों की रक्षा	205.28	205.28	..	38.60	38.60	..
420103	—जल मार्गों का प्रसार	71.27	71·27	..	6.00	6.00	..
420104	—सर्वेक्षण, जांच पड़ताल एवं बाढ़ भविष्य वाणी ..	72.46	72.46	..	5.46	5.46	..
420105	—जलोत्सारण सुधार	302·66	302.66	..	30.30	30.30	..
420106	—नदी में सुधार तथा भूमि कटाव के रोकने के लिये निर्माण-कार्य ..	1.09	1.09	..	1.09	1.09	..
	अनुपेक्षित आपातिक नयी योजनायें ..	40.00	40.00	..	6.25	6.25	..
	योग वर्ग 4.2. बाढ़ नियंत्रण ..	800.00	800.00	..	130.00	130.00	..

मद 4—सिंचाई तथा विद्युत्

वर्ग 4·3—विद्युत्

(लाख रुपयों में)

संकेत-संख्या	वर्ग/योजनाएं	चौथी योजना			1969–70		
		कुल परिव्यय	पूंजी परिव्यय	विदेशी मुद्रा	कुल परिव्यय	पूंजी परिव्यय	विदेशी मुद्रा
1	2	3	4	5	6	7	8
	1—जेनरेशन						
	(1) चालू योजनायें—						
430101	यमुना हाइडिल योजना प्रथम व द्वितीय चरण ..	4410.00	4410.00	85.00	806.00	806.00	40.00
430102	ओबरा हाइडिल	596.00	596.00	8.00	350.00	350.00	5.00
430103	रामगंगा	2040.00	2040.00	2.00	500.00	500.00	2.00
430104	माताटीला हाइडिल	2.00	2.00	..	2.00	2.00	..
430105	हरदुआगंज द्वितीय चरण	87.00	87.00	..	35.00	35.00	..
430106	हरदुआगंज तृतीय चरण	106.00	106.00	..	100.00	100.00	..
430107	ओबरा थरमल	(–)52.00	(–)52.00	..	20.00	20.00	..
430108	हरदुआगंज चतुर्थ चरण	931.00	931.00	..	500.00	500.00	..
430109	ओबरा थरमल एक्सटेन्सन प्रथम चरण ..	4414.00	4414.00	60.00	1117.00	1117.00	30.00
430110	यमुनाहाइडिल योजना चतुर्थ चरण (प्रथम भाग)	592.00	592.00	40.00	40.00	40.00	5.00
430111	मनेरी भाली हाइडिल प्रथम भाग ..	1700.00	1700.00	190.00	20.00	20.00	..
430112	धुकवान हाइडिल	390.00	390.00	..	..	..	..
430113	रिहन्द में छठवीं मशीन	6.00	6.00	..	..	..	..
430114	पंकी थर्मल	(–)154.00	(–)154.00	..	..	..	..
	योग ..	15068.00	15068.00	385.00	3490.00	3490.00	82.00

	(2) नई योजनायें—							
430115	ओबरा थर्मल एक्सटेन्सन द्वितीय चरण	..	2705.00	2705.00	50.00	..	..	..
	योग, जेनरेशन	..	17773.00	17773.00	435.00	3490.00	3490.00	82.00
	2—ट्रांसमिशन तथा डिस्ट्रीब्यूशन—							
430201	चालू योजनायें	..	5923.00	5923.00	500.00	1675.00	1675.00	250.00
430202	नई योजनायें	..	6604.00	6604.00	1500.00	300.00	300.00	50.00
	योग, ट्रांसमिशन तथा डिस्ट्रीब्यूशन	..	12527.00	12527.00	2000.00	1975.00	1975.00	300.00
430301	3—ग्रामों में बिजली व्यवस्था	..	6800.00	6800.00	20.00	1300.00	1300.00	4.00
	4—अनुसंधान तथा विविध—							
430401	छोटी पहाड़ी योजना	..	200.00	200.00	..	20.00	20.00	..
430402	सर्वेक्षण तथा अनुसंधान	..	200.00	200.00	..	15.00	15.00	..
	योग, अनुसंधान तथा विविध	..	400.00	400.00	..	35.00	35.00	..
	योग 4.3 विद्युत्		37500.00	37500.00	2455.00	6800.00	6800.00	386.00

मद 5—उद्योग एवं खनिकर्म

वर्ग 5·1—वृहत् एवं मध्यम उद्योग

(लाख रुपयों में)

संकेत सं०	वर्ग/योजनाएं	चौथी योजना			1969–70		
		कुल परिव्यय	पूंजी परिव्यय	विदेशी मुद्रा	कुल परिव्यय	पूंजी परिव्यय	विदेशी मुद्रा
1	2	3	4	5	6	7	8
510101	राजकीय सीमेन्ट फैक्टरी डल्ला	200.00	200.00	115.00	100.00	100.00	23.00
510102	राजकीय सीमेन्ट फैक्टरी, डल्ला का विस्तार ..	600.00	600.00	100.00	..	..	..
510103	डेड बर्न्ट मेगनेसाइट	102.00	102.00	..	50.00	50.00	..
510104	राजकीय आप्टिकल इन्स्ट्रूमेन्ट फैक्ट्री ..	1.00	1.00	..	0.20	0.20	..
510105	राजकीय सूक्ष्म उपयंत्र कारखाना का आधुनिकीकरण	10.00	10.00	..	5.00	5.00	..
510106	पावर टिलर स्कीम	1.00	1.00	..	..	..	..
510107	उत्तर प्रदेश वित्त निगम ..	300.00	300.00	..	40.00	40.00	..
510108	उत्तरप्रदेश राजकीय औद्योगिक निगम द्वारा हिस्सों का अन्डरराइटिंग ।	500.00	500.00	..	80.00	80.00	..
510109	औद्योगिक क्षेत्र योजना	300.00	300.00	..	60.00	60.00	..
510110	राजकीय क्षेत्र की प्रायोजनाओं के लिये भूमि लेना	50.00	50.00	..	38.50	38.50	..
510111	कपड़ा तथा चीनी उद्योग को आधुनिक तथा मजबूत बनाना ।	301.00	301.00	..	80.00	80.00	..
510112	मनेजमेन्ट ट्रेनिंग इन्स्टीट्यूट ..	1.00	1.00	..	..	..	..
510113	रबर इमल्सी फायर्स का बनाना ..	6.50	6.50	..	6.50	6.50	..
	योग 5.1—वृहत् एवं मध्यम उद्योग ..	2372.50	2372.50	215.00	460.20	460.20	23.00

मद 5—उद्योग एवं खनिकर्म

वर्ग 5.2—खनिज विकास

(लाख रुपयों में)

संकेत संख्या	वर्ग/योजनायें	चौथी योजना			1969–70		
		कुल परिव्यय	पूंजी परिव्यय	विदेशी मुद्रा	कुल परिव्यय	पूंजी परिव्यय	विदेशी मुद्रा
1	2	3	4	5	6	7	8
520101	भूगर्भ तथा खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश का विस्तार	95.00	6.00	3.83	12.00	..	0.75

मद 5—उद्योग एवं खनिकर्म

वर्ग 5.3— ग्राम तथा लघु उद्योग

(लाख रुपयों में)

संकेत सं०	वर्ग/योजनाएं	चौथी योजना			1969–70		
		कुल परिव्यय	पूंजी परिव्यय	विदेशी मुद्रा	कुल परिव्यय	पूंजी परिव्यय	विदेशी मुद्रा
1	2	3	4	5	6	7	8
(1)	हथकर्घा						
530101	बुनकरों की सहकारी समितियों को हिस्सा पूंजी के लिये ऋण	50.00	50.00	..	8.00	8.00	..
530102	160 बुनकर सहकारी समितियों को प्रबन्धकीय सहायता	11.16	..	..	1.08	..	..
530103	केन्द्रीय तथा प्राइमरी बुनकर सहकारी समितियों के कर्मचारियों का प्रशिक्षण	4.00	..	..	0.80	..	..
530104	गोष्ठी द्वारा बुनकरों को सहकारिता शिक्षा देने का प्रोग्राम	4.76	..	..	1.09	..	..
530105	कच्चेमाल की व्यवस्था—अर्थात् नई सहकारी कताई मिलों की स्थापना और वर्तमान सहकारी कताई मिलों का प्रसार	100.00	100.00	..	..	..	..
530106	वेयरहाउसों की स्थापना	1.88	1.88	..	0.37	0.37	..
530107	उन्नत यंत्रों की व्यवस्था	20.00	5.00	..	2.00	0.50	..
530108	उन्नत यंत्रों के वर्कशाप की स्थापना ..	8.00	1.10	..	..	..	..

530109	चार डिजाइन केन्द्रों का स्थापना (मऊ, आजमगढ़, मेरठ, बरेली व इटावा में)	8.00	0.40	..	1.84	0.40	..
530110	रंगाई घरों की स्थापना	2.70	0.60	..	0.30	..	..
530111	नमूनों (सैम्पल) का क्रय	0.50	..	..	0.10	..	..
530112	पारितोषिक वितरण	0.25	..	..	0.05	..	..
530113	ऋण-चिन्हांकन योजना	9.15	0.02	..	1.44	..	..
530114	बिक्री भण्डारों का खोलना	6.23	..	..	0.85	..	..
530115	आखिल भारतीय हथकर्घा सप्ताह का मनाया जाना	0.60	..	..	0.12	..	..
530116	हथकर्घा वस्त्रों के विक्रय पर छूट ..	85.00	..	..	12.00	..	..
530117	कार्य पूंजी के लिये रिजर्व बैंक आफ इंडिया स्कीम के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा गारन्टी ..	10.00	..	..	..	..	..
530118	ऋण के ब्याज के लिये राज सहायता ..	10.00	..	..	..	..	..
530119	केन्द्रीय सहकारी बैंकों द्वारा लगाये गये कर्मचारियों पर व्यय पर राज सहायता	7.70	..	..	..	..	..
530120	बुनकरों के वर्तमान मकानों का विस्तार एवं सुधार	13.00	13.00	..	..	..	..
530121	प्रदर्शनियों में भाग लेने हेतु बुनकर सहकारी समितियों को सहायता	12.50	..	..	..	..	..
530122	विज्ञापन एवं प्रचार	7.00	0.02	..	..	..	..
530123	विपणन एवं संघटन हेतु कर्मचारिवर्ग ..	2.25	0.12	..	0.45	..	..
530124	सर्वे एवं मूल्यांकन प्रोग्राम	6.32	..	..	..	..	..
(2)	विद्युत चालित कर्घा	381.00	172.14	..	30.49	8.87	..
530201	विद्युत-चालित कर्घा	10.25	10.25	..	3.00	3.00	..
(3)	लघु स्तरीय उद्योग						
530301	ऋण योजना	441.38	441.38	..	64.00	64.00	..
530302	उ० प्र० लघु उद्योग निगम को कार्यपूंजी हेतु ऋण	85.00	85.00		5.00	5.00	..
530303	किराया खरीद (हायर परचेज) योजना ..	250.00	250.00	..	15.00	15.00	..
530304	विद्युत राज सहायता योजना	125.00	..	..	25.00	..	..

मद 5—उद्योग एव खनिकर्म

वर्ग 5.3—ग्राम तथा लघु उद्योग (क्रमश:)

(लाख रुपयों में)

संकेत सं०	वर्ग/योजनाएं	चौथी योजना			1969–70		
		कुल परिव्यय	पूंजी परिव्यय	विदेशी मुद्रा	कुल परिव्यय	पूंजी परिव्यय	विदेशी मुद्रा
1	2	3	4	5	6	7	8
530305	समितियों को सहायता	2.00	..	..	..	..	..
530306	औद्योगिक सहकारिताओं (ग्र-वस्तीय) का प्रसार	24.00	6.00	..	1.96	0.75	..
530307	प्राविधिक सहायता कार्यक्रम तथा प्राविधिक कर्मचारिवर्ग	40.00	..	..	5.51	..	..
530308	ग्रामीण कौशल के उत्थान एवं ग्रामीण उद्योगों की प्रोन्नति की योजना	40.00	..	..	..	..	..
530309	गुण चिन्हाकन योजना	20.39	1.10	..	2.56	..	..
530310	ग्राधुनिकीकरण के लिये राज सहायता योजना ..	18.00	..	..	..	..	..
530311	प्राविधिक सूचना की योजना	3.00	..	..	..	..	..
530312	उपकरण कक्ष एवं परीक्षण प्रयोगशाला, गाजियाबाद का पूरा किया जाना	22.00	1.50	..	4.45	1.50	..
530313	फोर्ज्ड हीट ट्रीटमेंट प्लाट, मेरठ ..	60.00	52.00	..	3.00	..	..
530314	उपकरण कक्ष एवं परीक्षण प्रयोगशाला, ग्रागरा	23.00	2.50	..	..	..	..
530315	कांच प्राद्योगिक ग्रनुभाग कानपुर का प्रसार ..	2.00	0.35	..	0.30	..	..
530316	चुनार (मिर्जापुर) के लिये प्रशिक्षण एवं सामान्य सुविधा केन्द्र	6.25	2.00	..	..	..	..
530317	पांटरी विकास केन्द्र खुर्जा का प्रसार ..	4.00	1.00	..	0.30	..	..
530318	नमूनों के लिये प्रदर्शन केन्द्र	4.48	..	..	1.18	..	..
530319	गाजियाबाद में व्यापार केन्द्र की स्थापना ..	10.00	6.00	..	1,000	1.00	..

530320	प्रदर्शनियां	10.00	..	..	2.00	..	..
530321	उ० प्र० निर्यात निगम में हिस्सा पूंजी योग ..	12.00	12.00	..	.	..	..
530322	बहुमुखी यांत्रिक कार्यशाला (स्पिल ओवर) ..	11.77	..	..	0.25	..	..
530323	कानपुर में लेदर रिसर्च इन्स्टीटयूट ..	1.29	..	..	.	..	..
530324	वुड सीजनिंग प्लांट (स्पिल ओवर) ..	0.03	0.03	..	0.03	0.03	..
530325	राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम द्वारा पर्वतीय जिलों का प्राविधिक आर्थिक सर्वेक्षण (स्पिल ओवर)	0.16	.	..	0.16	..	..
530326	लघुस्तर पर सीमेंट निर्माण की अग्रगामी योजना	10.00	..	..	3.00	..	..
530327	कृषि यंत्रों के लिये बहुधन्धी कार्यशालाओं की स्थापना	200.00	200.00	..	.	..	..
		1,423.75	1,060.86	..	136.69	87.28	..

(4) औद्योगिक आस्थान

530401	अधिनीत चालू (स्पिल ओवर) योजना ..	20.50	15.00	..	5.95	5.00	..
530402	नये औद्योगिक आस्थान	10.50	10.50	..	3.75	3.75	..
530403	वर्तमान औद्योगिक आस्थानों का प्रसार ..	19.00	19.00	..	5.00	5.00	..
		50.00	44.50	.	14.70	13.75	..

(5) हस्त शिल्प

530501	हस्त शिल्प की वस्तुओं के आन्तरिक क्रय-विक्रय बढ़ाने की योजना	26.69	17.05	..	1.81	0.10	..
530502	सामान्य सुविधा एवं अनुसंधान केन्द्र की स्थापना	4.06	0.83	..	0.58	..	..
530503	विभिन्न हस्त कलाओं में उत्पादन इकाइयों की स्थापना की योजना	16.49	13.52	..	2.70	..	..
530504	निर्यात हेतु विकास संबंधी क्षेत्रीय कर्मचारिवर्ग का पुनर्गठन	9.66	..	..	2.41	..	..

मद 5—उद्योग एवं खनिकर्म

वर्ग 5.3—ग्राम तथा लघु उद्योग (क्रमशः)

(लाख रुपयों में)

संकेत सं०	वर्ग/योजनाएं	चौथा योजना			1969–70		
		कुल परिव्यय	पूंजी परिव्यय	विदेशी मुद्रा	कुल परिव्यय	पूंजी परिव्यय	विदेशी मुद्रा
1	2	3	4	5	6	7	8
530505	हस्तशिल्प सहकारी समितियों के संघटन एवं हस्त शिल्प उत्पादकों को वित्तीय सहायता देने की योजना	11.85	5.87	..	1.66	0.75	..
530506	अखिल भारतीय हस्तकला सप्ताह समारोह ..	1.25	..	..	0.25	..	..
	योग ..	70.00	37.27	..	0.41	0.85	
(6)	रेशम उद्योग						
530601	शहतूत वृक्षों का लगाना ..	..					
530602	रेशम कीट बीज संघटन ..	..					
530603	रेशम कीट पालन संघटन ..	..	..	..			
530604	प्रशिक्षण कार्यक्रम ..	..	47.00	13.85	1.00	5.70	1.00	1.00
530605	संरक्षण तथा परिरक्षण केन्द्र ..	..					
530606	तागा बनाने के संघटन का प्रसार	..					
530607	विज्ञापन एवं प्रचार ..	..					
530608	टसर रेशम कीट पालन ..	..	3.00	..	..	0.50	..	..
	योग ..	50.00	13.85	1.00	6.20	1.00	1.00

मद 5.—उद्योग एवं खनिकर्म

वर्ग 5.3—ग्राम तथा उद्योग (समाप्त)

(लाख रुपयों में)

संकेत सं०	वर्ग/योजना	चौथी योजना			1960–70		
		कुल परिव्यय	पूंजी परिव्यय	विदेशी मुद्रा	कुल परिव्यय	पूंजी परिव्यय	विदेशी मुद्रा
1	2	3	4	5	6	7	8
	(7) खादी एवं ग्राम उद्योग						
530701—खादी तथा ग्रामोद्योग परिषद को, नियंत्रण कर्मचारिवर्ग सहित, राज्य का अंशदाता		25.00	—	—	4.50	—	—
530702—हाथ से कागज बनाने की योजना ..		—	—	—	—	—	—
		25.00	—	—	4.50	—	—
योग 5.3.— ग्राम तथा लघु उद्योग ..		2010.00	1,338.87	1.00	205.00	114.75	1.00

मद 6--परिवहन तथा संचार साधन

वर्ग 6.1--सड़क

(लाख रुपयों में)

संकेत सं०	वर्ग/योजनायें	चौथी योजना			1969-70		
		कुल परिव्यय	पूंजी परिव्यय	विदेशी मुद्रा	कुल परिव्यय	पूंजी परिव्यय	विदेशी मुद्रा
1	2	3	4	5	6	7	8
	पुनर्निर्माण और सुधार						
610101	चालू योजनायें	353.00	353.00	..	131.00	131.00	..
610102	नयी योजनायें	800.00	800.00	..	27.50	27.50	..
	नयी सड़कों का निर्माण						
610103	चालू योजनायें	609.00	609.00	..	206.50	206.50	..
610104	नयी योजनायें	1095.00	1095.00	..	7.00	7.00	..
	पुल						
610105	चालू योजनायें	292.00	292.00	..	87.50	87.50	..
610106	नयी योजनायें	291.00	291.00	4.00	2.50	2.50	0.50
	अन्य निर्माण-कार्य						
610107	चालू योजनायें	222.00	222.00	..	10.00	10.00	..
610108	नयी योजनायें	170.00	170.00	..	3.00	3.00	..

	अधिष्ठान						
610109	चालू योजनायें	400.00	400.00	..	49.00	49.00	..
610110	नयी योजनायें						
610111	उत्तर प्रदेश की तराई पट्टी में सड़क संबंधी संचार साधनों का विकास (चालू योजना)	622.00	622.00	..	60.00	60.00	..
610112	चार पूर्वी जिलों में त्वरित सड़क विकास कार्यक्रम (चालू योजना)	146.00	146.00	..	41.00	41.00	..
	कुल योग 6.1—सड़क	5000.00	5000.00	4.00	625.00	625.00	0.50

राज्य योजनाओं के लिए परिव्यय

मद 6—परिवहन तथा संचार साधन

वर्ग 6.2—सड़क परिवहन

(लाख रुपयों में)

संकेत सं०	वर्ग/योजनाएं	चौथी योजना			1969–70		
		कुल परिव्यय	पूंजी परिव्यय	विदेशी मुद्रा	कुल परिव्यय	पूंजी परिव्यय	विदेशी मुद्रा
1	2	3	4	5	6	7	8
620101	राष्ट्रीयकृत रोड ट्रांस्पोर्ट	500.00	500.00	3.00	100.00	100.00	1.00

मद 6--परिवहन तथा संचार साधन

वर्ग 6.3--पर्यटन

(लाख रुपयों में)

संकेत सं०	वर्ग/योजनाएं	चौथी योजना			1969-70		
		कुल परिव्यय	पूंजी परिव्यय	विदेशी मुद्रा	कुल परिव्यय	पूंजी परिव्यय	विदेशी मुद्रा
1	2	3	4	5	6	7	8
630101	पर्यटक गमनागमन योजनायें	50.00	..	..	10.78	..	..

मद 7 --समाज सेवाय

वर्ग 7.1--सामान्य शिक्षा

(लाख रुपयों में)

संकेत सं०	वर्ग/योजनाएं	चौथी योजना			1969-70		
		कुल परिव्यय	पूंजी परिव्यय	विदेशी मुद्रा	कुल परिव्यय	पूंजी परिव्यय	विदेशी मुद्रा
1	2	3	4	5	6	7	8
	1--प्रारम्भिक शिक्षा						
710101	राजकीय बालिका दीक्षा विद्यालयों में पूर्व प्राथमिक कक्षाओं का खोला जाना।	3.57	1.00	..	0.90	0.20	..
710102	असहायिक प्री-प्राइमरी विद्यालयों को अनुदान	7.76	..	..	2.03	..	..
710103	ग्रामीण क्षेत्रों में जूनियर बेसिक स्कूल खोले जाने के लिए अनुदान।	211.96	..	..	22.00	..	..
710104	ग्रामीण क्षेत्रों के प्राथमिक विद्यालयों में अतिरिक्त अध्यापकों की नियुक्ति हेतु अनुदान।	1714.30	..	..	195.56	..	..
710105	नगर क्षेत्रों में प्राथमिक विद्यालय खोलने के हेतु अनुदान	182.10	..	..	9.77	..	..
710106	नगर क्षेत्रों के प्रारम्भिक विद्यालयों में अतिरिक्त अध्यापकों की नियुक्ति।	85.25	..	..	2.62	..	..
710107	स्वावलम्बी विद्यालय को एक मुश्त अनुदान ..	4.50	..	..	1.80	..	..
710108	ह्रास एवं अवरोध को कम करना ..	2.50	..	..	0.50	..	..
710109	ग्रामीण क्षेत्रों में स्कूल भवनों का सुधार ..	20.00	..	..	1.40	..	..
710110	ग्रामीण क्षेत्रों के भवन-रहित जूनियर बेसिक स्कूलों को भवन निर्माणार्थ अनुदान।	25.00	..	..	3.75	..	..
710111	प्रति उप-विद्यालय --निरीक्षकों की नियुक्ति ..	10.80	..	..	0.50	..	..
710112	सहायक बालिका विद्यालय निरीक्षिकाओं की नियुक्ति	7.00	..	..	0.26	..	..

710113	उप बालिका विद्यालय निरीक्षिकाओं के पदों का सृजन	6.87	..	..	0.43	..	..
710114	ग्रामीण क्षेत्रों में चुने हुए बालिकाओं के जूनियर बेसिक स्कूलों में क्रमोत्तर कक्षा खोलने हेतु अनुदान।	37.73	..	..	3.13	..	..
710115	ग्रामीणों क्षेत्रों के मिश्रित जूनियर बेसिक स्कूलों में स्कूल माताओं की नियुक्ति हेतु अनुदान।	8.00	..	..	0.20	..	..
710116	ग्रामीण क्षेत्रों के मिश्रित जूनियर बेसिक स्कूलों में बालिकाओं के लिए सेनेटरी ब्लाक्स का निर्माण	1.50	..	..	..	..	..
710117	ग्रामीण क्षेत्रों में जिला परिषद् द्वारा बालकों के वर्तमान जूनियर बेसिक स्कूलों का उच्चीकरण करने हेतु या नये सीनियर बेसिक स्कूलों को खोलने हेतु अनुदान।	306.10	..	..	49.00	..	..
710118	ग्रामीण क्षेत्रों में बालिकाओं के उच्च आधारिक विद्यालय खोलने तथा वर्तमान् मिश्रित जूनियर बेसिक स्कूलों का सीनियर बेसिक स्कूल स्तर पर उच्चीकरण।	280.40	..	..	28.07	..	..
710119	प्रदेश के नगर क्षेत्रों में समस्त नगर पालिकाओं और महापालिकाओं द्वारा बालिकाओं के अवर आधारिक विद्यालयों का उच्चीकरण अथवा नये उच्चधारिक विद्यालयों को खोलने हेतु अनुदान।	104.20	..	..	11.90	..	..
710120	असहायक स्थायी मान्यता प्राप्त पूर्व माध्यमिक विद्यालयों को प्रारम्भिक अनुदान देकर अनुदान सूची पर लाना	127.90	..	..	9.00	..	..
710121	ऐसे क्षेत्रों में जहां शिक्षण की सुविधा नहीं है खुले हुए पूर्व माध्यमिक विद्यालयों को एडहाक अनावर्तक अनुदान।	10.00	..	..	1.00	..	..
710122	जिला परिषदों के सीनियर बेसिक स्कूलों में अतिरिक्त अध्यापकों की नियुक्ति।	99.50	..	..	4.47	..	..
710123	नगरपालिकाओं के उच्चाधारिक विद्यालयों में अतिरिक्त अध्यापकों की नियुक्ति हेतु अनुदान।	8.34	..	..	0.60	..	..

मद 7--समाज सेवायें

वर्ग 7.1--सामान्य शिक्षा (क्रमश:)

(लाख रुपयों में)

संकेत सं०	वर्ग/योजनाएं	चौथी योजना			1969-70		
		कुल परिव्यय	पूंजी परिव्यय	विदेशी मुद्रा	कुल परिव्यय	पूंजी परिव्यय	विदेशी मुद्रा
1	2	3	4	5	6	7	8
710124	बालिकाओं के लिये राजकीय सीनियर बेसिक विद्यालयों का खोला जाना उन क्षेत्रों में जहां शिक्षा संबंधी सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं।	48.81	39.30	..	2.36	1.50	..
710125	स्थानीय निकायों तथा निजी प्रबन्धकों द्वारा संचालित उच्च आधारिक विद्यालयों में सामान्य विज्ञान विषय के समावेश हेतु अनुदान।	87.99	..	..	18.16	..	..
710126	उच्चाधारिक स्तर पर कृषि शिक्षा का सुधार ..	8.25	..	..	0.70	..	..
710127	निर्धन छात्राओं के हेतु पुस्तकालय में पाठ्य पुस्तकों के अनुभाग की स्थापना के लिए बालिकाओं के पूर्व माध्यमिक विद्यालयों को अनुदान	2.50	..	..	0.50	..	..
710128	प्रारम्भिक विद्यालयों के अध्यापकों को अपनी शैक्षिक योग्यता बढ़ाने हेतु प्रोत्साहन	2.00	..	..	0.15	..	..
	स्पिलओवर योजनायें--						
710129	ग्रामीण क्षेत्रों में तथा छोटे कस्बों में बालिकाओं के राजकीय सीनियर बेसिक स्कूलों में हास्टल का निर्माण	0.62	0.62	..	0.62	0.62	..
710130	राजकीय सीनियर बेसिक स्कूलों के खोले जाने के सम्बन्ध में भवनों का निर्माण	31.34	31.34	..	6.00	6.00	..
	योग, 1 ..	3446.79	72.26	..	377.38	8.32	..

2—माध्यमिक शिक्षा

710201	कुछ राजकीय जूनियर हाई स्कूलों (बालकों के) को हाई स्कूल में क्रमोन्नति तथा राजकीय हाई स्कूलों (बालकों) के कक्षा (६–१०) का खोलना।	28.49	20.00	..	1.66	0.50	..
710202	कुछ राजकीय बालिका जूनियर हाई स्कूलों का हाई स्कूल स्तर पर क्रमोन्नति।	23.73	12.50	..	2.50	0.75	..
710203	बालक एवं बालिकाओं के कतिपय राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों को इण्टर मीडिएट स्तर पर उच्चीकरण।	46.98	25.00	..	4.44	2.00	..
710204	बालक तथा बालिकाओं के राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में अतिरिक्त अनुभाग (कक्षा 6–12) खोलने तथा नये विषयों को समावेश करना।	21.50	..	..	2.93	..	..
710205	मान्यता प्राप्त असहायक उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों को प्रारम्भिक अनुदान।	163.30	..	..	7.50	..	..
710206	प्रदेश के पहाड़ी जिलों तथा पिछड़े क्षेत्रों में स्थित सहायता प्राप्त अशासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों को उदारतापूर्वक अनुदान।	7.50	..	..	1.00	..	..
710207	नवीन अशासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय खोलने हेतु तदर्थ (एडहाक) अनुदान।	6.25	..	..	0.71	.	..
710208	राजकीय एवं अराजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में पाठ्यपुस्तकालयों की व्यवस्था।	2.50	..	..	0.26	..	..
710209	अतिरिक्त छात्र संख्या हेतु सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों को अनुदान।	15.00	..	..	2.60	..	..
710210	बालिकाओं के स्कूलों के लिए बस अनुदान। ..	8.50	..	..	..	..	..
710211	राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों का अतिरिक्त छात्र संख्या हेतु सुदृढ़ीकरण।	73.57	40.00	..	7.85	4.75	..

मद—समाज सेवायें

वर्ग 1 7—सामान्य शिक्षा (क्रमशः) (लाख रुपयों में)

संकेत सं०	वर्ग/योजनाएं	चौथी योजना			1969–70		
		कुल परिव्यय	पूंजी परिव्यय	विदेशी मुद्रा	कुल परिव्यय	पूंजी परिव्यय	विदेशी मुद्रा
1	2	3	4	5	6	7	8
710212	राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों (बालक एवं बालिका) में विज्ञान अध्ययन और नवीन प्रयोगशालाओं के निर्माण की व्यवस्था ।	126.27	116.40	..	8.05	4.00	..
710213	ए० एन० सा राजकीय इन्टर कालेज रुद्रपुर (नैनीताल) के कृषि फार्म का विकास ।	3.10	..	..	0.95	..	..
710214	सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में विज्ञान विषय को अधिक सुव्यवस्थित करने हेतु विज्ञान प्रयोगशाला तथा विज्ञान उपकरण अनुदान ।	32.00	..	..	5.15	..	..
710215	यूनीसेफ की विज्ञान सम्बन्धी योजनाओं के हेतु शिक्षा निदेशालय में एक विज्ञान सेल का सृजन ।	7.64	..	..	..	..	..
710216	राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में पुस्तकालयों का सुधार ।	7.00	..	..	0.50	..	..
710217	सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के पुस्तकालयों का सुधार ।	19.51	..	..	0.80	..	..
710218	सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों की दक्षता अनुदान ।	5.00	..	..	1.00	..	..
710219	बालकों तथा बालिकाओं के अशासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में खेल के मैदानों की व्यवस्था करने में सहायता देना ।	3.09	..	..	0.18	..	..

710220	राजकीय कन्या विद्यालयों हेतु बसों की व्यवस्था	16.89	..	..	1.62	..	..
710221	बालकों के विद्यालयों में पढ़ने वाली बालिकाओं को विशेष सुविधा ।	3.96	..	..	0·51	..	..
710222	राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों (बालिकाओं) में छात्रावास का निर्माण ।	1.50	1.50	..	0.15	0.15	..
710223	राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों (बालक-बालिकाओं) के भवनों में सुधार व निर्माण।	50.00	50.00	..	2.50	2.50	..
710224	उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के अध्यापकों को शैक्षिक योग्यता प्राप्त करने के लिये प्रोत्साहन ।	1.50	..	..	0.15	..	..
710225	चुने हुये विद्यालयों में अध्ययन करने के लिये आये प्रतिभाशाली छात्रों को सहायता ।	2.54	..	..	0.12	..	..
710226	विद्यालयों के अध्यापकों को कार्यकुशलता सम्बन्धी एवार्ड का प्राविधान ।	1.57	..	..	0.63	..	..
710227	शिक्षा निदेशालय का सुदृढ़ीकरण ..	12.21	..	..	2.06	..	..
710228	शिक्षा मुख्यालय के लिये भवनों का निर्माण ..	15.00	15.00	..	1.00	1.00	..
710229	मुख्यालय तथा जिला कार्यालयों में सांख्यिकीय इकाइयों का सुदृढ़ीकरण ।	2.50	..	..	0.22	..	..
710230	शिक्षा निदेशक के मुख्यालय में स्पेशल आडिट इकाई का सुदृढ़ीकरण ।	10.75	..	..	1.09	..	..
710231	सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों को लेखा आडिट करने के लिये अनुमान ।	25.00	..	..	..	..	..
710232	पाठ्य पुस्तकों के छापने के संगठन का सुधार तथा सुदृढ़ीकरण ।	9.50	5.00	..	1.60	0.50	..
710233	माध्यमिक शिक्षा परिषद्, इलाहाबाद का सुदृढ़ीकरण ।	40.00	20.00	..	4.63	3.00	..
710234	प्रबन्धक विभागीय परीक्षायें, इलाहाबाद के कार्यालय का सुदृढ़ीकरण	5.00	..	..	1.00	..	..

मद 7—समाज सेवायें

वर्ग 7.1—सामान्य शिक्षा (क्रमश:)

(लाख रुपयों में)

संकेत सं०	वर्ग/योजनाएं	चौथी योजना			1969–70		
		कुल परिव्यय	पूंजी परिव्यय	विदेशी मुद्रा	कुल परिव्यय	पूंजी परिव्यय	विदेशी मुद्रा
1	2	3	4	5	6	7	8
710235	झांसी और फैजाबाद में बालिकाओं के दो मण्डलों का सृजन ।	4.70	..	..	..	..	..
710236	जिला तथा मण्डलीय स्तरों पर शैक्षिक संगठनों का सुदृढ़ीकरण।	8.60	..	..	0.98	..	..
710237	जिला विद्यालय निरीक्षिकाओं के पदों का सृजन ..	6.26	..	..	0.89	..	..
710238	उर्दू मीडियम विद्यालयों के उप विद्यालय निरीक्षक के पदों का सृजन ।	0.79	..	..	0.11	..	..
710239	क्षेत्रीय स्तर पर विज्ञान प्रोत्साहन अधिकारियों की नियुक्ति ।	10.72	..	..	..	..	..
710240	क्षेत्रीय, जिला व निदेशालय के अधिकारियों के लिये जीप गाड़ियों की व्यवस्था ।	8.99	..	..	1.13	..	..
710241	जिला विद्यालय निरीक्षकों उत्तर प्रदेश शैक्षिक सेवा कनिष्ठ वेतन क्रम से ज्येष्ठ वेतन क्रम में उच्चीकरण ।	1.45	..	..	0.14	..	..
710242	सह जिला विद्यालय निरीक्षक/निरीक्षिका उत्तर प्रदेश शैक्षिक सेवा कनिष्ठ वेतन क्रम के पदों का सृजन उन जिलों के लिये जहां उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों की संख्या अधिक है।	8.00	..	..	1.00	..	..

710243	कक्षा 7–8 में अतिरिक्त छात्रवृत्तियां देने हेतु प्राविधान।	10.00	..	..	..	..	..
710244	कक्षा 9–10 में अतिरिक्त छात्रवृत्तियां देने हेतु प्राविधान।	10.00	..	..	..	..	..
	हेतु स्पिलओवर योजनाएं—						
710245	कतिपय राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय जहां इन्टर की कक्षाएं हैं विज्ञान को चालू करना।	1.61	1.61	..	1.61	1.61	..
710246	बालिकाओं के राजकीय जूनियर हाई स्कूलों को हाई स्कूल स्तर तक उच्चीकरण।	1.13	1.13	..	1.00	1.00	..
710247	बालकों के राजकीय जूनियर हाई स्कूल को हाई स्कल स्तर तक उच्चीकरण।	2.36	2.36	..	0.50	0.50	..
710248	राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में नये विषयों का प्रारम्भ करना तथा अतिरिक्त अनुभाग खोलना।	1.09	1.09	..	0.80	0.80	..
710249	बालकों तथा बालिकाओंके वर्तमान राजकीय माध्यमिक विद्यालयों के हेतु भवनों का निर्माण।	27.05	27.05	..	3.00	3.00	..
710250	राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के भवनों का विस्तार तथा विद्युतीकरण।	1.29	1.29	..	1.05	1.05	..
710251	वाराणस्सेय में उन भवनों के जो वाराणस्सेय संस्कृत विश्वविद्यालय को हस्तान्तरित कर दिये गये हैं, स्थान पर भवनों का निर्माण।	0.59	0.59	..	0.59	0.59	..
710252	राजकीय हाईस्कूलों का इन्टर स्तर तक उच्चीकरण	9.46	9.46	..	3.50	3.50	..
710253	बहुधंधी विद्यालयों के विकास की योजना के अन्तर्गत विज्ञान प्रयोग–शालाओं का निर्माण।	0.22	0.22	..	0.22	0.22	..
710254	माध्यमिक विद्यालयों में बालिकाओं के लिये हास्टल भवनों का निर्माण।	4.66	4.66	..	0.66	0.66	..

मद 7--समाज सेवायें

वर्ग 7.1--सामान्य शिक्षा (क्रमशः)

(लाख रुपयों में)

संकेत सं०	वर्ग /योजनाएं	चौथी योजना			1969-70		
		कुल परिव्यय	पूंजी परिव्यय	विदेशी मुद्रा	कुल परिव्यय	पूंजी परिव्यय	विदेशी मुद्रा
1	2	3	4	5	6	7	8
710255	बालक तथा बालिकाओं के राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के लिये भवनों का निर्माण और 9 विद्यालयों के लिये भूमि को प्राप्ति करना ।	6.18	6.18	..	1.00	1.00	..
	योग (2) ..	924.00	361.04	..	83.54	33.08	..
	(III) विश्वविद्यालय शिक्षा--						
710301	नैनीताल विश्वविद्यालय की स्थापना ..	60.00	..	..	1.00	..	..
710302	विश्वविद्यालयों को विकास अनुदान ..	135.00	..	..	20.00	..	..
710303	नये डिग्री कालेजों एवं नई संकायों (शिक्षा संकाय सम्मिलित करके) को अनुरक्षण अनुदान ।	87.00	..	..	12.00	..	..
710304	अशासकीय डिग्री कालेजों को विकास अनुदान ..	135.00	..	..	6.00	..	..
710305	डिग्री तथा पोस्ट ग्रेजुएट कक्षाओं में विज्ञान वालिकायों को विशेष सुविधाएं ।	15.00	..	..	1.50	..	..
710306	वर्तमान शासकीय डिग्री कालेजों का सुदृढ़ीकरण तथा नये कालेजों का खोला जाना ।	55.00	30.00	..	8.00	0.50	..

710307	डिग्री कालेजों को योग्यता अनुदान ..	3.75	..	..	0.75	..	..
710308	ग्रामीण संस्थान	5.00	..	..	1.00	..	..
710309	डिग्री कालेजों के अध्यापकों को योग्यता बढ़ाने के लिए प्रोत्साहन ।	1.25	..	..	0.25	..	..
710310	विज्ञान में उच्च शिक्षा प्राप्ति करने के लिये .. बाहर जाने वाले विद्यार्थियों को ऋण ।	2.50	2.50	..	0.50	0.50	..
710311	विदेश में अध्ययन करने हेतु यात्रा अनुदान ..	1.25	..	..	0.25	..	..
710312	अन्तर राष्ट्रीय कांग्रेस, सेमीनार और सिम्पोजियम में उपस्थिति के लिये आमन्त्रित व्यक्तियों को अनुदान ।	1.25	..	..	0.35	..	..
710313	उपाधि महाविद्यालयों में शारीरिक शिक्षा के .. अधीक्षक के लिये अनुदान ।	10.00	..	..	0.50	..	..
710314	विश्वविद्यालयों तथा कालेजों में सहकारी उधार देने वाले पुस्तकालय ।	10.00	..	..	1.00	..	..
710315	विश्वविद्यालय स्तर की पुस्तकों को हिन्दी में प्रस्तुत करने हेतु एक स्वायत्त निगम की स्थापना—	23.00	..	..	3.90	..	..
710316	नये राजकीय डिग्री कालेजों की स्थापना तथा वर्त- .. मान डिग्री कालेजों का विस्तार ।	8.51	8.51	..	2.00	2.00	..
	योग (3) ..	553.51	41.01	..	59.00	3.00	..
	(4) शिक्षकों का प्रशिक्षण—						
	(क) प्रारम्भिक—						
710401	प्रशिक्षण विद्यालयों के स्तर का उन्नयन ..	12.29	..	..	1.51	..	..
710402	राजकीय दीक्षा विद्यालयों एवं सेवारत प्रशिक्षण केन्द्रों के लिये अतिरिक्त सज्जा एवं उपकरण की व्यवस्था ।	3.60	..	..	1.80	..	..
710403	तीनों राजकीय जूनियर बेसिक प्रशिक्षण कालेजों की वार्षिक प्रवेश संख्या में वृद्धि ।	15.26	5.70	..	..	..	..

मद 7—समाज सेवायें

वर्ग 7·1—सामान्य शिक्षा (क्रमश:)

(लाख रुपयों में)

संकेत सं०	वर्ग/योजनाएं	चौथी योजना			1969–70		
		कुल परिव्यय	पूंजी परिव्यय	विदेशी मुद्रा	कुल परिव्यय	पूंजी परिव्यय	विदेशी मुद्रा
1	2	3	4	5	6	7	8
710404	राजकीय महिला प्रशिक्षण महाविद्यालय, लखनऊ तथा मोदी नगर (मेरठ) की वार्षिक प्रवेश संख्या में वृद्धि ।	6.95	..	..	0.55	..	..
710405	बालकों तथा बालिकाओं के विज्ञान और गणित शिक्षकों हेतु राजकीय सी० टी० प्रशिक्षण कालेजों का खोलना ।	15.39	..	..	..	..	..
710406	प्रारम्भिक विद्यालयों के शिक्षकों का विज्ञान में प्रशिक्षण ।	0.72	..	..	0.72	..	..
	स्पिल ओवर योजनाएं—						
710407	राजकीय दीक्षा विद्यालयों तथा प्रशिक्षण सुविधाओं के विस्तार के सम्बन्ध में भवनों का निर्माण ।	68.98	68.98	..	6.00	6.00	..
710408	वर्तमान प्रारम्भिक शिक्षकों के राजकीय प्रशिक्षण संस्थाओं के भवनों का विस्तार ।	17.68	17.68	..	4.00	4.00	..
710409	वर्तमान राजकीय दीक्षा विद्यालयों के भवनों का निर्माण तथा विस्तार ।	1.21	1.21	..	1.00	1.00	..
	योग (क) ..	142.08	93.57	..	15.58	11.00	..

(ख) माध्यमिक

710410	शैक्षिक अनुसंधान तथा अध्ययन के शोध पत्रों के प्रकाशन की व्यवस्था ।	2.50	..	..	0.25	..	..
710411	राजकीय महिला प्रशिक्षण विद्यालय, इलाहाबाद का सुदृढ़ीकरण ।	3.52	2.50	..	0.39	0.10	..
710412	राजकीय गृह विज्ञान महाविद्यालय, इलाहाबाद में एल० टी कोर्स का प्रारम्भ करना ।	1.40	..	..	..	..	..
710413	राजकीय केन्द्रीय अध्ययन विज्ञान संस्थान, इलाहाबाद का औपचारिक शिक्षा हेतु सुदृढ़ीकरण ।	4.42	1.50	..	0.60	..	..
710414	अंग्रेजी भाषा प्रशिक्षण इन्स्टीट्यूट का सुदृढ़ीकरण ।	2.63	1.50	..	0.16	..	..
710415	विस्तार सेवा केन्द्र	2.80	..	..	0.56	..	..
710416	कैरियर मास्टर के प्रशिक्षण के लिये मनोविज्ञानशाला का सुदृढ़ीकरण ।	1.56	..	..	0.17	..	..
710417	शिक्षक प्रशिक्षार्थियों के अन्तर प्रदेशीय शिक्षा संबंधी दौरों के हेतु अनुदान ।	0.50	..	..	..	..	..
710418	राजकीय बेसिक ट्रेनिंग कालेज, वाराणसी का सुदृढ़ीकरण ।	3.00	3.00	..	0.15	0.15	..
710419	राजकीय कानस्ट्रक्टिव ट्रेनिंग कालेज लखनऊ का सुदृढ़ीकरण ।	3.00	2.00	..	0.20	..	..
710420	राज्य प्रारम्भिक शिक्षा संस्थान का सुदृढ़ीकरण	1.69	..	..	0.13	..	..
710421	यूनिसेफ की विज्ञान-शिक्षा योजना के अन्तर्गत राज्य विज्ञान संस्थान एवं अन्य चार संस्थाओं का "की इन्स्टीट्युशनों" के रूप में संवर्धन तथा विज्ञान अध्यापकों प्रशिक्षकों तथा विज्ञान अध्यापकों का प्रशिक्षण ।	15.06	..	..	2.65	..	..

मद 7--समाज सेवायें

वर्ग 7.1—सामान्य शिक्षा (क्रमश:)

(लाख रुपयों में)

संकेत सं०	वर्ग/योजनायें	चौथी योजना			1969–70		
		कुल परिव्यय	पूंजी परिव्यय	विदेशी मुद्रा	कुल परिव्यय	पूंजी परिव्यय	विदेशी मुद्रा
1	2	3	4	5	6	7	8
	स्पिल ओवर योजनाएं						
710422	राजकीय गृह विज्ञान महाविद्यालय, इलाहाबाद का एल० टी० स्तर तक क्रमोन्नति ।	5.52	5.52	..	0.75	0.75	..
	योग (ख) ..	47.60	16.02	..	6.01	1.00	..
	योग (4) ..	189.68	109.59	..	21.59	12.00	..
	(5) समाज शिक्षा						
710501	प्रौढ़ शिक्षा व क्रियात्मक शिक्षा ..	30.77	..	..	4.00	..	..
710502	शहरी क्षेत्रों में चुने हुये सार्वजनिक पुस्तकालयों को अनुदान ।	10.00	..	..	0.50	..	..
710503	राजकीय केन्द्र पुस्तकालय का सुदृढ़ीकरण ..	2.50	1.50	..	..	..	..
	योग (5) ..	43.27	1.50	..	4.50	..	..
	(6) अन्य शिक्षा संबंधी कार्यक्रम						
	(क) शिक्षा विभाग						
710601	एन० सी० सी० का विकास ..	2.50	..	..	0.25	..	.
710602	शारीरिक शिक्षा तथा युवक कल्याण कार्यक्रम की प्रोन्नति ।	10.00	..	..	1.75	..	..
710603	भारत स्काउट तथा गर्ल गाइड का विकास ..	5.00	..	..	0.50	..	..
710604	प्राच्य शिक्षण संस्थाओं को विकास अनुदान ..	10.00	..	..	0.75	..	..

710605	प्राच्य शिक्षण संस्थाओं को प्रारम्भिक अनुदान ..	5.00	..	..	0.25	..	..
710606	संस्कृत पाठशालाओं के इन्स्पेक्ट्रेट का सुदृढ़ीकरण	1.27	..	..	..	..	..
710607	हिन्दी शिक्षण इन्स्टीट्यूट की स्थापना ..	11.80	5.00	..	..	..	..
710608	हिन्दुस्तानी एकेडेमी इलाहाबाद को अनुदान ..	0.75	..	..	0.15	..	..
710609	लखनऊ में स्थित दक्षिण भारतीय भाषाओं के विद्यालय को अनुदान।	0.75	..	..	0.22	..	..
	स्पिल ओवर योजनायें						
710610	वर्त्तमान राजकीय संस्कृति पाठशालाओं के भवनों का निर्माण	0.37	0.37	..	0.20	0.20	..
	योग (क) ..	47.44	5.37	..	4.07	0.20	..
	(ख) सूचना विभाग						
710620	हिन्दी में पुस्तकों का प्रकाशन ..	10.00	..	..	3.00	..	..
	(ग) सामुदायिक विकास विभाग						
710621	खेलकूद तथा शारीरिक संवर्द्धन क्रियाओं का विकास	30.00	..	..	2.00	..	..
	योग (6) ..	87.44	5.37	..	9.07	0.20	..
	(7) सांस्कृतिक कार्यक्रम						
710701	उत्तर प्रदेश राज्य अभिलेख का विस्तार ..	2.00	..	0.37	0.15	..	0.07
710702	राजकीय कला तथा शिल्प महाविद्यालय लखनऊ का पुनस्संगठन।	4.00	1.70	..	0.60	0.45	..
710703	पुरातत्व का पुनस्संगठन	3.40	1.20	..	0.40	..	..
710704	ललित कला अकादमी	3.50	..	..	0.60	..	..
710705	भातखंडे हिन्दुस्तानी संगीत महाविद्यालय ..	3.40	1.22	..	0.40	..	..

मद 7—समाज सेवायें

वर्ग 7.1—सामान्य शिक्षा (समाप्त)

(लाख रुपयों में)

संकेत सं०	वर्ग/योजनाएं	चौथी योजना			1969–70		
		कुल परिव्यय	पूंजी परिव्यय	विदेशी मुद्रा	कुल परिव्यय	पूंजी परिव्यय	विदेशी मुद्रा
1	2	3	4	5	6	7	8
710706	उत्तर प्रदेश राज्य वेधशाला, नैनीताल ..	24.80	6.37	16.55	12.50	5.00	7.41
710707	उत्तर प्रदेश संगीत नाटय भारती लखनऊ के विकास हेतु अनुदान	3.30	..	..	0.50	..	..
710708	संग्रहालयों का पुनस्संगठन	5.00	..	..	0.85	..	..
710709	सांस्कृतिक कार्यक्रम के निदेशालय की स्थापना..	0.60	..	..	..	..	..
	योग (7) ..	50.00	10.49	16.92	16.00	5.45	7.48
	योग, 7.1—सामान्य शिक्षा ..	5294.69	601.26	16.92	571.08	62.05	7.48

मद 7--समाज सेवायें

वर्ग 7.2--प्राविधिक शिक्षा

(लाख रुपयों में)

संकेत सं०	वर्ग/योजनाएं	चौथी योजना			1969-70		
		कुल परिव्यय	पूंजी परिव्यय	विदेशी मुद्रा	कुल परिव्यय	पूंजी परिव्यय	विदेशी मुद्रा
1	2	3	4	5	6	7	8
	चालू योजनाएं						
720101	रुड़की विश्वविद्यालय	26.00	..	5.00	6.00	..	1.00
720102	एम० एम० एम० इंजीनियरिंग कालेज, गोरखपुर	44.00	..	9.00	15.00	..	1.00
720103	एच० बी० टी० आई०, कानपुर ..	80.00	..	15.00	20.00	..	3.00
720104	राजकीय केन्द्रीय वस्त्रोद्योग संस्थान, कानपुर ..	5.00	1.00	2.00	1.70	0.20	1.00
720105	पन्त कालिज आफ इंजीनियरिंग टेकनालाजी ..	100.00	..	11.00	26.00	..	3.00
720106	राजकीय बहुधंधी संस्थानों का एकीकरण ..	112.34	28.00	6.00	18.67	3.62	1.00
720107	गैर सरकारी बहुधंधी संस्थानों को सहायक अनुदान	73.00	..	10.00	17.00	..	2.00
720108	गवर्नमेन्ट लेदर इंस्टीट्यूट, आगरा ..	10.00	3.00	0.40	1.80	1.30	0.20
720109	रीजनल स्कूल आफ प्रिंटिंग (पार्ट टाइम सहित)	11.00	3.00	0.60	1.56	0.10	0.20
720110	सेकेन्डरी टेक्नीकल स्कूल एडनट (आठ) ..	40.00	10.00	..	3.00	2.00	..
720111	सेकेन्डरी टेक्नीकल स्कूल स्वतंत्र (पांच) ..	3.00	3.00	..	3.00	3.00	..
720112	राजकीय महिला बहुधंधी संस्थान, लखनऊ ..	8.00	0.50	..	1.00	..	..

मद 7—समाज सेवायें

वर्ग 7.2—प्राविधिक शिक्षा (समाप्त)

(लाख रुपयों में)

संकेत सं०	वर्ग/योजनाएं	चौथी योजना			1969–70		
		कुल परिव्यय	पूंजी परिव्यय	विदेशी मुद्रा	कुल परिव्यय	पूंजी परिव्यय	विदेशी मुद्रा
1	2	3	4	5	6	7	8
720113	केमिकल आपरेशन कोर्स (तीन केन्द्र) ..	37.00	13.50	2.50	2.79	0.80	..
720114	तृतीय योजना में नई स्वीकृत संस्थाएं जो अभी चालू नहीं हुई	60.00	20.00	8.00	..	..	..
	नई योजनाएं						
720201	डिग्री कोर्सिस का पुनर्गठन और डिग्रीस्तर पर सैंडविच कोर्सिस का गठन ।	35.00	..	3.60	2.00	..	..
720202	डिप्लोमा कोर्सिस् का डाइवरसीफिकेशन, कामर्स कोर्सिस का प्रारम्भ करना तथा सैंडविच कोर्सिस का संगठन ।	80.00	4.04	4.00	5.00	0.53	..
720203	माध्यमिक शिक्षा का बोकशनलाइजेशन ..	47.24	15.00	8.00	..	..	..
720204	स्टाफ क्वार्टर्स	30.00	9.86	..	5.00	1.86	..
720205	अध्यापकों के प्रशिक्षण प्रोग्राम को सम्मिलित करते हुए फैकल्टी विकास ।	30.00	..	..	2.80	..	..
720206	पुरानी संस्थाओं की साज सज्जा का बदलना ..	30.00	..	..	5.00	..	..
720207	इंस्टीट्यूट आफ पेपर टेकनालाजी, सहारनपुर	20.00	..	3.00	1.25	..	..

720208	छात्रवृत्तियां	12.00	3.00	..	3.00	..	..
720209	प्राविधिक शिक्षा ऋण (छात्रवृत्तियां) ..	100.00	100.00	..	25.00	25.00	..
720210	प्राविधिक शिक्षा निदेशालय तथा स्टेट बोर्ड आफ टेकनिकल इजूकेशन	8.00	0.14	..	1.49	0.14	..
720211	बहुधंधी संस्थाओं में विद्यार्थियों के लिये सुविधाएं	9.00	1.00	..	..	..	..
720212	टेकस्ट बुक लोन स्कीम	1.00	..	..	..	..	..
720213	डेवलपमेंट प्रोडक्शन आफ टीचिंग एडस् ..	4.00	..	..	..	..	..
720214	राजकीय पालिटेकनीक कानपुर फैजाबाद तथा मिर्जापुर में छात्रावासों का निर्माण	5.69	5.69	..	3.55	3.55	..
720215	राजकीय पालिटेकनीक मुरादाबाद, गोंडा, बस्ती, आजमगढ़ तथा श्रीनगर (गढ़वाल) में छात्रावासों का निर्माण ।	16.21	16.21	..	4.10	4.10	..
720216	एस० टी० सा० बरली, लखनऊ, फैजाबाद, मिर्जापुर, गोंडा, गोरखपुर, मुरादाबाद तथा आजमगढ़ में छात्रावासों का निर्माण ।	5.52	5.52	..	1.98	1.98	..
720217	मोतीलाल नेहरू रीजनल इंजीनियरिंग कालेज, इलाहाबाद ।	5.00	..	0.40	2.00	..	..
	योग 7.2—प्राविधिक शिक्षा ..	1048.00	239.46	88.50	180.00	48.49	12.40

राज्य योजनाओं के लिये परिव्यय

मद 7—समाज सेवायें

वर्ग 7.4—स्वास्थ्य और परिवार नियोजन

(लाख रुपयों में)

संकेत सं०	वर्ग/योजना	चौथी योजना			1969–70		
		कुल परिव्यय	पूंजी परिव्यय	विदेशी मुद्रा	कुल परिव्यय	पूंजी परिव्यय	विदेशी मुद्रा
1	2	3	4	5	6	7	8
	(1) शिक्षा कार्यक्रम						
740101	कानपुर मेडिकल कालेज की आवश्यकताओं के लिये प्राविधान।	123.59	59.34	..	15.21	8.10	..
740102	सरोजनी नायडू मेडिकल कालेज, आगरा की आवश्यकताओं के लिये प्राविधान।	103.79	29.90	..	11.95	2.25	..
740103	मोतीलाल नेहरू मेडिकल कालेज, इलाहाबाद के लिये प्राविधान।	104.77	47.74	..	9.12	3.95	..
740104	आगरा एवं इलाहाबाद मेडिकल कालेजों के अपूर्ण निर्माण-कार्यों के लिये प्राविधान।	36.20	36.20	..	12.50	12.50	..
740105	लखनऊ मेडिकल कालेज की आवश्यकताओं के लिये प्राविधान।	102.32	..	..	20.52	..	..
740106	लखनऊ मेडिकल कालेज के दन्त विभाग में स्नातक शिक्षा की सुविधा एवं प्रसार।	0.35	..	..	..	.9	..
740107	झांसी और गोरखपुर मेडिकल कालेजों की स्थापना के लिये प्राविधान।	485.00	400.00	..	44.20	34.00	..
740108	मेरठ में एक मेडिकल कालेज की स्थापना और ६०० शैय्याओं की व्यवस्था।	315.98	253.01	..	49.00	40.00	..

740109	पर्वतीय ग्रामीण क्षेत्र में एक मेडिकल कालेज खोलने की व्यवस्था ।	..	..	..	..	..	..
740110	बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय को अस्पताल एवं शैय्याओं के रख-रखाव के लिये अनुदान ।	22.00	..	..	1.20	..	..
740111	चिकित्सा अनुसंधान	5.00	..	..	1.00	..	..
740112	सरकारी डाक्टरों के लिये स्नातक शिक्षा की व्यवस्था ।	1.00	..	..	0.20	..	..
740113	मेडिकल कालेजों 200 अतिरिक्त छात्रों की प्रवेश क्षमता बढ़ाने के लिये व्यवस्था ।	..	..	..	..	..	..
	योग (1) ..	1300.00	826.19	..	164.90	100.80	..
	(2) प्रशिक्षण कार्यक्रम						
740201	डेन्टल कालेज लखनऊ में डेन्टल हाईजिनिस्ट का प्रशिक्षण ।	2.24	..	..	1.02	..	..
740202	परिचारिकाओं का प्रशिक्षण ..	110.23	65.75	..	1.22	0.60	..
740203	दाइयों के तीन प्रशिक्षण केन्द्र खोलने एवं भवन निर्माण के लिये व्यवस्था ।	11.85	5.22	..	0.74	0.20	..
740204	गणेश शंकर विद्यार्थी स्मारक मेडिकल कालेज, कानपुर में फार्मेसी डिप्लोमा पाठ्यक्रम ।	1.60	..	..	0.20	..	..
740205	एप्लाइड न्यूट्रिशन कार्यक्रम का प्रसार ..	..	..	..	..	..	..
740206	मेरठ एवं इलाहाबाद मेडिकल कालेज में फार्मेसी डिप्लोमा पाठ्यक्रम ।	13.10	11.00	..	0.10	0.10	..
740207	प्रयोगशाला एवं एक्सरे प्रविधत्र (टेक्निशियन्स) का प्रशिक्षण ।	4.10	..	..	1.43	..	..
740208	छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान करना ..	4.80	..	..	0.28	..	..
740209	अनिवार्य रोटेटिंग इंटर्नशिप योजना ..	15.68	..	..	0.15	0.15	..
740210	कानपुर एवं इलाहाबाद मेडिकल कालेज में उप चिकित्सा (Para-Medical) कर्मचारियों का प्रशिक्षण	4.60	4.00	..	0.25	0.10	..

मद 7—समाज सेवायें

वर्ग 7.4—स्वास्थ्य और परिवार नियोजन (क्रमश:)

(लाख रुपयों में)

संकेत-संख्या	वर्ग/योजनायें	चौथी योजना			1969–70		
		कुल परिव्यय	पूंजी परिव्यय	विदेशी मुद्रा	कुल परिव्यय	पूंजी परिव्यय	विदेशी मुद्रा
1	2	3	4	5	6	7	8
740211	जन स्वास्थ्य एवं आधारिक कर्मचारियों का प्रशिक्षण	12.00	1.30	..	2.33	0.30	..
740212	क्षय रोग के सम्बन्ध में पुरुष स्वास्थ्य निरीक्षकों का प्रशिक्षण।	4.80	4.80	..	1.00	1.00	..
	योग (2) ..	185.00	99.07	..	8.72	2.45	..
	(3) चिकित्सालय और औषधालय						
740301	जिला एवं महिला चिकित्सालयों में शय्यायों की वृद्धि।	241.00	130.00	..	10.43	6.00	..
740302	वर्तमान चिकित्सालयों के लिये अतिरिक्त सुविधा की व्यवस्था।	383.14	12.21	..	45.26	0.61	..
740303	तीस जिला चिकित्सालयों में रक्त कोष की स्थापना।	7.20	..	..	0.44	..	..
740304	विकिरण के कुप्रभावों से रक्षा की व्यवस्था ..	3.00	..	..	0.80	..	..
740305	जिला एवं महिला चिकित्सालयों में आपत्तिकालीन सेवाओं की व्यवस्था।	10.00	..	..	0.80	..	..
740306	रोगी वाहनों की योजना	25.76	12.40	..	5.76	0.25	..

740307	ग्रामीण क्षेत्र में दस चिकित्सालयों की स्थापना एवं निर्माण।	18.24	13.63	..	0.81	0.50	..
740308	जिला एवं ग्रामीण क्षेत्रों के चुने हुये अस्पतालों का सुधार।	..	..	..	..	..	..
740309	परिचारिकाओं के आवास गृहों का निर्माण ..	48.35	48.35	..	2.00	2.00	..
740310	यूनिसेफ के द्वारा जिला अस्पतालों के शिशु विभाग को गाड़ी देने की व्यवस्था।	0.61	..	..	0.02	..	..
740311	जिला अस्पतालों को पोली क्लीनिक्स में बदलना						
	(अ) १७ स्थानों में परिचारिका योजना चालू करना	40.15	..	..	1.47	..	..
	(ब) रेडियोलाजी पैथालाजी की सुविधा ..	11.12	..	..	0.72	..	..
	(स) दन्त अनुभाग की स्थापना ..	26.55	8.00	..	2.26	0.40	..
	(डी) दस स्थानों पर शिशु चिकित्सा की सुविधा	6.40	2.52	..	0.50	0.13	..
	(ई) पांच स्थानों पर चिकित्सा शल्य सुविधा की व्यवस्था।	5.35	2.75	..	0.65	0.15	..
740312	लखनऊ में मस्तिष्क रोगियों के लिये कक्ष की स्थापना एवं आगरा मस्तिष्क अस्पताल की क्रमोन्नति।	31.53	11.50	..	3.00	1.00	..
740313	पन्द्रह अस्पतालों की जिसमें कुष्ठ एवं छुतहा अस्पतालों का प्रान्तीकरण।	15.00	..	..	0.80	..	..
740314	तहसील अस्पतालों में पांच स्थानों पर एक्सरे एवं नौ स्थानों पर चिकित्सा एवं शल्य की व्यवस्था।	196.25	173.00	..	9.45	5.45	..
740315	कानपुर के अस्पताल में एडवान्स कार्डोलाजिकल सुविधा की व्यवस्था।	26.00	4.00	9.00	5.43	..	3.50
740316	कानपुर में ऐडवान्स ऐन्टी कैन्सर की सुविधा की व्यवस्था।	30.00	4.00	15.00	5.15	0.15	3.00
740317	अपूर्ण योजनाओं के लिये व्यवस्था ..	76.52	76.52	..	12.38	12.38	..
	योग (3) ..	1202.17	498.88	24.00	108.13	29.27	6.50

मद 7—समाज सेवायें

वर्ग 7.4—स्वास्थ्य और परिवार नियोजन (क्रमशः)

(लाख रुपयों में)

संकेत-संख्या	वर्ग/योजनायें	चौथी योजना			1969–70		
		कुल परिव्यय	पूंजी परिव्यय	विदेशी मुद्रा	कुल परिव्यय	पूंजी परिव्यय	विदेश मुद्रा
1	2	3	4	5	6	7	8
	(4) प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र तथा आधारिक स्वास्थ्य सेवाएं						
740401	आधारिक स्वास्थ्य सेवायें	73.80	..	..	18.72	..	..
740402	यूनिसेफ की मदद से जण्डों में चिकित्सा सुविधा का सुधार एवं प्रसार।	128.64	..	..	7.90	..	..
740403	प्राथमिक स्वास्थ्य इकाइयों की स्थापना के संबंध में औषधालयों का निर्माण।	128.00	107.00	..	3.35	2.80	..
740404	अपूर्ण योजनाओं के लिये व्यवस्था ..	5.26	5.26	..	1.00	1.00	..
	योग (4) ..	335.70	112.26	..	30.97	3.80	..
	(5) संचारी रोगों का नियंत्रण						
740501	क्षय रोग अस्पतालों के लिये भवन निर्माण ..	54.72	35.50	..	1.57	0.15	..
740502	कुष्ठ रोग नियंत्रण कार्यक्रम	4.35	3.49	..	2.05	1.45	..
740503	हिन्दू कुष्ठ निवारण संघ, लखनऊ को सहायक अनुदान।	5.00	..	..	1.00	..	..

740504	राजकीय रक्षालय संस्थान, पटवाडागर, जिला नैनीताल के विस्तार।	24.05	1.00	..	2.11	0.10	..
740505	तीर्थ रास्तों में सुधार	5.00	..	..	1.00	..	..
740506	जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला का विस्तार ..	8.50	..	..	..	..	..
740507	वर्तमान छुतहा अस्पतालों का सुधार ..	8.50	3.50	..	..	..	..
740508	पन्द्रह जन स्वास्थ्य वाहनों का बदलना ..	10.50	..	..	2.80	..	..
740509	अपूर्ण योजनाओं के लिये प्राविधान ..	8.50	8.50	..	2.90	2.90	..
	योग (5)	129.12	51.99	..	13.43	4.60	..
	(6) परिवार नियोजन	केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना क्षेत्र में					
	(7) भारतीय चिकित्सा पद्धति						
740701	होम्योपैथिक मेडिकल कालेज एवं उनसे संबंधित अस्पतालों को अनुदान।	6.50	..	..	1.00	..	..
740702	अतिरिक्त दवाओं के लिये प्राविधान ..	0.50	..	..	0.10	..	..
740703	नेशनल होम्योपैथिक मेडिकल कालेज, लखनऊ का विस्तार।	8.02	4.65	..	1.00	0.73	..
740704	होम्योपैथिक औषधालयों की स्थापना ..	4.58	..	..	0.30	..	..
740705	होम्योपैथिक डाक्टरों एवं संस्थाओं को अनुदान ..	3.05	..	..	0.61	..	..
740706	होम्योपैथिक औषधालयों का निर्माण एवं शोध कार्यक्रम।	1.85	1.00	..	..	..	..
740707	वर्तमान आयुर्वेदिक/यूनानी औषधालयों का विस्तार।	26.50	..	..	2.20	..	..
740708	भारतीय चिकित्सा परिषद् द्वारा मान्यता प्राप्त आयुर्वेदिक विद्यालयों का सुधार एवं प्रसार और एक आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय की स्थापना।	32.50	..	..	5.50	..	..
740709	वाराणसी के शुद्ध आयुर्वेदिक कालेज का विस्तार..	15.00	..	..	4.90	..	..
740710	लखनऊ के राजकीय आयुर्वेदिक कालेज का विस्तार	0.50	..	..	0.10	..	..

मद 7—समाज सेवायें

वर्ग 7·4—स्वास्थ्य और परिवार नियोजन (क्रमशः)

(लाख रुपयों में)

संकेत-संख्या	वर्ग/योजनायें	चौथी योजना			1969-70		
		कुल परिव्यय	पूंजी परिव्यय	विदेशी मुद्रा	कुल परिव्यय	पूंजी परिव्यय	विदेशी मुद्रा
1	2	3	4	5	6	7	8
740711	राजकीय आयुर्वेदिक/यूनानी की लखनऊ निर्माण शाला का विस्तार	2.50	1.00	..	0.60	0.50	
740712	आयुर्वेदिक कार्यकलापों का प्रकाशन और पुरानी पुस्तकों को इकट्ठा करना व अनुवाद आदि।	1.00	..	..	0.20	..	..
740713	शहरी क्षेत्रों में आयुर्वेदिक/यूनानी अस्पतालों की स्थापना।	4.50	..	..	0.40	..	..
740714	आयुर्वेदिक परिचारिका एवं कम्पाउण्डरों का प्रशिक्षण और चिकित्सा अधिकारियों के ज्ञान को ताजा करने के पाठ्यक्रम को आरम्भ करना।	1.00	..	..	0.20	..	
740715	भारतीय चिकित्सा परिषद् के रख-रखाव के लिये अनुदान	1.00	..	..	0.20	..	..
740716	आयुर्वेदिक दवाओं एवं जड़ी बूटी आदि के उत्पादन की व्यवस्था।	1.00	..	..	0.10	..	..
740717	आयुर्वेदिक/यूनानी कालेजों के छात्रों को छात्रवृत्ति देने की व्यवस्था	1.50	..	..	0.10	..	
740718	आयुर्वेदिक/यूनानी संस्थाओं को एवं वैद्यों व हकीमों को अनुदान	2.00	..	..	0.40	..	..

740719	आयुर्वेदिक निर्देशालय एवं अधीनस्त कार्यालयों का सुदृढ़ीकरण	1.00	..	..	0.10	..	..
740720	अपूर्ण कार्यक्रमों के लिये व्यवस्था ..	0.50	0.50	..	..	..	..
	योग (7)	115.00	7.15	..	18.01	1.23	..
	(8) अन्य योजनायें						
740801	कर्मचारी राज्य बीमा योजना ..	15.20	..	..	1.57	..	..
740802	गैर-सरकारी एवं स्थानीय निकायों संस्थाओं को अनुदान	30.25	..	..	5.00	..	..
740803	स्वामी विवेकानन्द पोलीक्लिनिक को अनुदान..	20.00	..	..	4.00	..	..
740804	सीतापुर, अलीगढ़ तथा कानपुर के नेत्र चिकित्सालयों को अनुदान	25.00	..	..	5.00	..	..
740805	स्वास्थ्य निर्देशालय के स्टाफ का सुदृढ़ीकरण करना	22.50	..	..	2.50	..	..
740806	केन्द्रीय औषधि भण्डार एवं एक्सरे के प्लाट की मरम्मत के लिये भवन निर्माण ..	30.00	30.00	..	3.00	3.00	..
740807	सार्वजनिक स्वास्थ्य विभाग के अधीन एक केन्द्रीय कर्मशाला तथा फालतू पुर्जों के एक भण्डार की स्थापना	11.00	..	..	0.26	..	..
740808	ओवरसियर तथा अन्य कर्मचारियों के लिये व्यवस्था	3.50	..	..	0.58	..	..
740809	निर्देशालय में पुस्तकालय के लिये व्यवस्था ..	2.00	..	..	..	..	..
740810	गाड़ियों के रखरखाव के लिये कारखाने की स्थापना	16.51	2.00	..	3.01	0.12	..
740811	जन्म मरण आंकड़ों के पंजीयन और संग्रहण व्यवस्था में सुधार	30.72	..	..	5.84	..	..

मद 7—समाज सेवायें

वर्ग 7.4—स्वास्थ्य और परिवार नियोजन (समाप्त)

(लाख रुपयों में)

संकेत-संख्या	वर्ग/योजनायें	चौथी योजना			1969-70		
		कुल परिव्यय	पूंजी परिव्यय	विदेशी मुद्रा	कुल परिव्यय	पूंजी परिव्यय	विदेशी मुद्रा
1	2	3	4	5	6	7	8
740812	औषधि नियंत्रण संस्था का विस्तार ..	10.00	..	..	0.77	..	..
740813	जन स्वास्थ्य विश्लेषण प्रयोगशाला का विस्तार..	11.48	6.00	0.40	0.61	..	..
740814	तेरह स्थानों पर शवगाह का निर्माण ..	2.99	2.49	..	0.12	0.12	..
740815	राज्य स्वास्थ्य शिक्षा का प्रसार—						
	(अ) मुख्यालय	6.33	..	..	0.46	..	..
	(ब) खाद्य अपमिश्रण नियंत्रण ..	8.00	..	..	1.00	..	..
	(स) विद्यालय स्वास्थ्य सेवायें ..	16.12	..	..	..	..	..
	(द) उप निर्देशन (स्टेट वैकसीन पटुवाडांगर) के पद को निर्देशक के पद में परिवर्तित करने के लिए व्यवस्था ..	1.25	..	..	0.12	..	..
740816	परिचारिका प्रशिक्षण कक्ष की स्थापना ..	1.16	..	..	..	..	..
740817	दस स्थानों पर जिला स्वास्थ्य अधिकारियों के लिये कार्यालय भवन निर्माण । ..	14.00	14.00	..	..	..	..
740818	अपूर्ण कार्यक्रमों के लिये व्यवस्था ..	5.00	5.00	..	2.00	2.00	..
	योग (8)	283.01	59.49	0.40	35.84	5.24	..
	योग 7.4 स्वास्थ्य और परिवार नियोजन	3550.00	1655.03	24.40	380.00	147.39	6.50

मद 7—समाज सेवायें

वर्ग 7·5—जल सम्पूर्ति

(लाख रुपयों में)

संकेत संख्या	वर्ग / योजनायें	चौथी योजना			1969–70		
		कुल परिव्यय	पूंजी परिव्यय	विदेशी मुद्रा	कुल परिव्यय	पूंजी परिव्यय	विदेशी मुद्रा
1	2	3	4	5	6	7	8
750101	शहरी—						
	(क) जल पूर्ति ..	458.00	458.00	20.00	59.60	59.60	4.00
	(ख) मल निस्तारण ..	780.00	585.00	..	90.00	67.50	..
	(ग) वातावरण संबंधी स्वच्छता तथा जल-संपूर्ति योजना ..	2.00	..	..	0.40	..	..
	योग ..	1240.00	1043.00	20.00	150.00	127.10	4.00
750102	ग्रामीण—						
	(क) जल पूर्ति ..	454.50	27.50	..	148.00	11.25	.
	(ख) मल निस्तारण ..	5.50	4.12	..	2.00	1.50	..
	योग ..	460.00	31.62	..	150.00	12.75	..
750103	पर्वतीय क्षेत्र के लिये जल व्यवस्था ..	100.00	..	..	100.00	..	..
	योग—7.5 जल सम्पूर्ति ..	1800.00	1074.62	20.00	400.00	139.85	4.00

मद 7—समाज सेवायें

वर्ग 7.6—आवास तथा नगर विकास

(लाख रुपयों में)

संकेत-संख्या	वर्ग/योजनाएं	चौथी योजना			1969–70		
		कुल परिव्यय	पूंजी परिव्यय	विदेशी मुद्रा	कुल परिव्यय	पूंजी परिव्यय	विदेशी मुद्रा
1	2	3	4	5	6	7	8
760101	औद्योगिक श्रमिकों तथा जन समुदाय के आर्थिक-रूप से निर्बल वर्गों के लिये राज्य सहायता प्राप्त समेकित गृह निर्माण स्कीम।	340.00	283.00	..	27.00	21.00	..
760102	अल्प आय वर्ग आवास व्यवस्था योजना ..	230.00	230.00	..	16.00	16.00	..
760103	मलिन बस्ती सफाई योजना	65.00	41.50	..	7.00	5.00	..
760104	संभागीय नियोजन योजना	65.00	..	..	10.00	..	..
760105	मध्य आय वर्ग आवास व्यवस्था योजना ..	प्रतीक प्राविधान (Token provision)					
760106	भूमि अभ्याप्ति और विकास योजना ..						
	योग 7.6—आवास तथा नगर विकास	700.00	554.50	..	60.00	42.00	..

मद 7—समाज सेवायें

वर्ग 7.7—पिछड़ी हुई जातियों का कल्याण

(लाख रुपयों में)

संकेत संख्या	वर्ग/योजनाएं	चौथी योजना			1969–70		
		कुल परिव्यय	पूंजी परिव्यय	विदेशी मुद्रा	कुल परिव्यय	पूंजी परिव्यय	विदेशी मुद्रा
1	2	3	4	5	6	7	8
	1—अनुसूचित जन जातियां						
	शिक्षा						
770101	दसवीं कक्षा तक पढ़ने वाले छात्रों को छात्र वेतन	15.00	..	..	1.50	..	..
770102	अनुसूचित जन जाति के छात्रों को कक्षा 7 से १० तक निःशुल्क शिक्षा प्रदान करने से गैर सरकारी संस्थाओं को होने वाले घाटे की प्रतिपूर्ति	5.76	..	..	1.00	..	..
770103	अनुसूचित जन जातियों के शिल्प कौशल में प्रशिक्षण देने के लिये छात्र वेतन ..	0.50	..	..	0.07		..
770104	चिकित्सा, अभियंत्रण और औद्योगिक संस्थाओं में उच्च वैज्ञानिक शोध के लिये अनुसूचित जन जातियों के छात्रों को पुस्तक एवं साज-सज्जा क्रय करने के लिये सहायता ..	0.50	..	..	0.10	..	..
770105	अनुसूचित जन जाति के बालक एवं बालिकाओं के लिये आश्रम-पद्धति विद्यालयों की स्थापना	35.84	8.00	..	2.84	0.50	..
	योग ..	57.60	8.00	..	5.51	0.50	..

मद 7—समाज सेवाएं

वर्ग 7.7—पिछड़ी हुई जातियों का कल्याण (क्रमशः)

(लाख रुपयों में)

संकेत सं०	वर्ग / योजनाएं	चौथी योजना			1969–70		
		कुल परिव्यय	पूंजी परिव्यय	विदेशी मुद्रा	कुल परिव्यय	पूंजी परिव्यय	विदेशी मुद्रा
1	2	3	4	5	6	7	8
	आर्थिक उत्थान						
770106	कृषि उत्थान एवं बागवानी हेतु अनुदान ..	6.00	..	..	1.20	..	..
770107	कुटीर उद्योग के विकास हेतु अनुदान ..	6.00	..	..	1.20	..	..
770108	भूमि, उद्योग एवं कारखानों में पुनर्वासन ..	15.00	..	..	3.00	..	..
	योग ..	27.00	..	..	5.40	..	..
	स्वास्थ्य, आवास एवं अन्य योजनाएं						
770109	अनुसूचित जन जातियों के लिये पेय जल प्रायोजना इत्यादि के लिये अनुदान ..	10.00	..	..	2.00	..	..
770110	गृह निर्माण हेतु अनुदान ..	5.00	..	..	1.00	..	..
770111	अनुसूचित जन जातियों के कल्याण हेतु प्राविधिक संगठन तथा वाहन का प्राविधान ..	6.00	..	..	1.37	..	..
770112	अनुसूचित जन जातियों के कल्याणार्थ स्वैच्छिक संगठनों को अनुदान ..	0.50	..	..	0.10	..	..

770113	अनुसूचित जन जाति के लिये प्राख्यापन इकाई की स्थापना ..	1.00	..	..	0.50	..	..
	योग ..	22.50	..	..	4.97	..	..
	योग—(1)	107.10	8.00	..	15.88	0.50	..
	(2) अनुसूचित जातियां— शिक्षा						
770201	अनुसूचित जातियों के विद्यार्थियों को पूर्व मैट्रिक कक्षाओं में छात्र वेतन तथा अनावर्तक सहायता देना	165.00	..	..	23.63	..	..
770202	अशासकीय शैक्षिक संस्थाओं को शिक्षा-शुल्क की प्रतिपूर्ति	90.00	..	..	8.00	..	..
770203	हरिजन सहायक विभाग द्वारा सहाय्यित वर्तमान पुस्तकालयों, छात्रावासों और विद्यालयों का सुधार और विस्तार	8.00	..	..	0.50	..	..
770204	चिकित्सा अभियंत्रण और औद्योगिक संस्थाओं में उच्च वैज्ञानिक शोध के लिये छात्रों को अनावर्तक सहायता	5.00	..	..	0.25	..	..
770205	अनुसूचित जाति के मेधावी छात्रों को शैक्षिक एवं प्रावास हेतु विशेष छात्रवृत्ति ..	16.80	..	..	0.84	..	..
770206	अनुसूचित जातियों को शिल्प कौशल में प्रशिक्षण देने के लिये छात्र वेतन	25.00	..	..	1.00	..	..
	योग ..	309.80	..	..	34.22	..	..

मद 7—समाज सेवायें

वर्ग 7·7—पिछड़ी हुई जातियों का कल्याण—(समाप्त)

(लाख रुपयों में)

संकेत सं०	वर्ग / योजनायें	चौथी योजना			1969–70		
		कुल परिव्यय	पूंजी परिव्यय	विदेशी मुद्रा	कुल परिव्यय	पूंजी परिव्यय	विदेशी मुद्रा
1	2	3	4	5	6	7	8
	आर्थिक उत्थान						
770207	जी० बी० पन्त पालीटेक्निक, आर्य नगर, लखनऊ	15.65	10.40	..	0.50	0.50	..
770208	अनुसूचित जातियों को कृषि उन्नति हेतु अनुदान	51.00	..	..	1.00	..	..
770209	गांव एवं शहरी क्षेत्र में हरिजनों को कुटीर उद्योग के लिये अनुदान	58.45	..	..	2.00	..	..
770210	हरिजनों के लिये औद्योगिक संस्थानों की स्थापना	1.50	1.50	..	1.50	1.50	..
	योग ..	126.60	11.90	..	5.00	2.00	..
	स्वास्थ्य, आवास तथा दूसरी योजनायें						
770211	पेय जल संपूर्ति की सुविधाओं के लिये राज सहायता	75.00	..	..	2.00	..	..
770212	अनुसूचित जातियों को गृह निर्माण के लिये अनुदान	50.00	..	..	1.00	..	..
770213	सांख्यिकी इकाई की स्थापना ..	1.00	..	..	0.19	..	..
770214	अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों को नौकरी के संबंध में साक्षात्कार के लिये बुलाये जाने पर किराये का भुगतान	0.50	..	..	0.10	..	..
	योग ..	126.50	..	..	3.29	..	..
	योग—(2)	562.90	11.90	..	42.51	2.00	..

(3) दूसरी पिछड़ी हुई जातियां

—शिक्षा

770301	पूर्व दशम् कक्षाओं के अन्य पिछड़ी जातियों के विद्यार्थियों को छात्र वेतन एवं अनावर्तक सहायता	40.00	..	..	3.61	..	..
770302	शिल्प कला प्रशिक्षण हेतु अन्य पिछड़ी जातियों के छात्रों को छात्र वेतन	10.00	..	..	..	..	..
	योग—(3)	50.00	..	..	3.61	..	..
	योग 7.7—पिछड़ी हुई जातियों का कल्याण	720.00	19.90	..	62.00	2.50	..

मद 7—समाज सेवायें

वर्ग 7.8—समाज कल्याण

(लाख रुपयों में)

संकेत सं०	वर्ग / योजनाएं	चौथी योजना			1969–70		
		कुल परिव्यय	पूंजी परिव्यय	विदेशी मुद्रा	कुल परिव्यय	पूंजी परिव्यय	विदेशी मुद्रा
1	2	3	4	5	6	7	8
	(2) महिलाओं का कल्याण						
780201	कार्यरत महिलाओं के छात्रावास की स्थापना	2.25	..	..	0.24	..	.
780202	अनाथ महिलाओं के पुनर्वासन हेतु एक शेल्टर्ड वर्कशाप की स्थापना ..	3.75	..	..	..	..	..
	योग (2)	6.00	..	..	0.24	..	..
	(3) बाल कल्याण						
780301	बालिका निकेतन की स्थापना ..	2.37	..	..	..	..	..
780302	द्वितीय पंचवर्षीय योजना में स्थापित उद्धार गृह में शिशुशाला तथा बालबाड़ी की स्थापना	0.29	..	..	0.05	..	..
780303	बाल सदन के लिये भवन निर्माण ..	3.00	3.00	..	..	..	..
780304	फास्टर केयर गृह की स्थापना ..	1.40	..	..	..	..	..
	योग (3)	7.06	3.00	..	0.05	..	..
	(4) भिक्षा वृत्ति उन्मूलन						
780401	भिक्षा वृत्ति उन्मूलन हेतु एक पाईलेट प्रोजेक्ट की स्थापना	9.15	..	..	1.50	..	..
	योग (4)	9.15	..	..	1.50	..	..

(5) सामाजिक सुरक्षा

780501	दस अतिरिक्त जिलों में उत्तर प्रदेश बाल अधिनियम 1951, का कार्यान्वयन सुधार अधिकारियों तथा कर्मचारियों की नियुक्ति ..	4.24	..	..	0.20	..	..
780502	संवीक्षण गृहों की स्थापना ..	11.60	..	..	0.61	..	..
780503	एक अतिरिक्त राजकीय अनुमोदित विद्यालय की स्थापना ..	2.74	..	..	..	..	..
780504	राजकीय अनुमोदित विद्यालय के भवन का निर्माण	3.00	3.00	..	..	..	..
780505	अनैतिक व्यापार निरोधक अधिनियम, 1956 के कार्यान्वयन के लिये पांच अतिरिक्त तारण संगठनों की स्थापना ..	2.41	..	..	0.20	..	..
780506	द्वितीय पंचवर्षीय योजनाकाल में स्थापित संरक्षण गृह की क्षमता में विस्तार ..	0.84	..	..	0.16	..	..
780507	महिलाओं के लिये एक अतिरिक्त उत्तर रक्षा गृह की स्थापना ..	3.00	..	..	0.70		
780508	विभिन्न विभागीय संस्थाओं से मुक्त किये गये आश्रितों को पुनर्वासन हेतु सहायता ..	1.50	..	..	0.30	..	..
780509	द्वितीय पंचवर्षीय योजना काल में स्थापित 10 जिला शरण और प्रवेश केन्द्रों का विस्तार एवं सुधार	1.46	..	..	0.28	..	..
780510	उत्तर प्रदेश बालक अधिनियम, 1952 के अन्तर्गत स्थापित 16 संवीक्षण गृहों का विस्तार एवं सुधार	6.00	..	..	1.20	..	..
780511	उत्तर रक्षा गृह का भवन निर्माण ..	3.00	3.00	..	..	..	..
	योग, (5) ..	39.79	6.00	..	3.65	..	..

मद 7—समाज सेवायें

वर्ग 7.8—समाज कल्याण (क्रमशः)

(लाख रुपयों में)

संकेत-सं०	वर्ग/योजनाएं	चौथी योजना			1969–70		
		कुल परिव्यय	पूंजी परिव्यय	विदेशी मुद्रा	कुल परिव्यय	पूंजी परिव्यय	विदेशी मुद्रा
1	2	3	4	5	6	7	8
	(6) बाधितों का पुनर्वासन						
780601	शारीरिक रूप से अक्षम तथा विकलांग छात्रों को शिक्षा और व्यावसायिक तथा वृतिक प्रशिक्षण प्राप्त करने हेतु छात्र वृत्तियां ..	2.50	..	..	0.40	..	..
780602	कृत्रिम अंग, श्रवण सहाय तथा इसी प्रकार के अन्य उपकरण खरीदने हेतु शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्तियों को अनुदान	2.50	..	..	0.40	..	..
780603	मानसिक रूप से अविकसित बालक के लिये एक विद्यालय की स्थापना	3.00	..	..	0.65	..	..
780604	अंधों के लिये दो आश्रित कर्मशालाओं की स्थापना	4.50	..	..	0.50	..	..
780605	अंधों के लिये दो ब्रेल ब्रेल पुस्तकालयों की स्थापना	0.50	..	..	0.18	..	..
780606	राजकीय मूक वधिर विद्यालय, आगरा तथा बरेली का उन्नयन तथा प्रसार, प्रत्येक में 50 से 100 विद्यार्थियों की वृद्धि ..	2.00	..	..	0.20	..	..
780607	एक अतिरिक्त अन्ध विद्यालय की स्थापना ..	3.00	..	..	0.60	..	..
780608	एक अतिरिक्त मूक, वधिर विद्यालय की स्थापना..	2.50	..	..	..	..	..
780609	शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्तियों हेतु एक गृह तथा आश्रित कर्मशाला की स्थापना ..	3.00	..	..	..	..	..
780610	राजकीय अन्ध विद्यालय भवन का निर्माण ..	3.00	3.00	..	..	..	..
	योग, (6) ..	26.50	3.00	..	2.93	..	..

	(7) स्वेच्छिक संस्थाओं को सहायता						
780701	स्वेच्छिक संगठनों को विधवा आश्रमों एवं अनाथालयों के संचालनार्थ अनुदान ..	3.40	..	..	0.53	..	..
780702	मानसिक तथा शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्तियों के कल्याण की संस्थाओं को चलाने वाली स्वेच्छिक संगठनों एवं संस्थाओं को अनुदान..	1.85	..	..	0.24	..	..
780703	बन्धियों तथा प्रोबशनर्स के पुनर्वासन के लिये अनुदान	0.25	..	..	0.05	..	..
780704	बाल कल्याण कार्यक्रम के लिये स्वेच्छिक संगठनों को अनुदान	1.00	..	..	1.00	..	..
	योग (7) ..	6.50	..	..	1.82	..	..
	(8) प्रशिक्षण, शोध तथा प्रशासन						
780801	क्षेत्रीय कार्यकर्ताओं को सेवाकालीन प्रशिक्षण तथा मुख्यालय पर आवश्यक कर्मचारी वर्ग के लिये प्राविधान	3.00	..	..	0.50	..	..
780802	अनुसन्धान एवं सवक्षण के लिये प्राविधान ..	2.00	..	..	0.31	..	..
	योग, (8) ..	5.00	..	..	0.81	..	..
	कुल योग, 7.8—समाज कल्याण ..	100.00	12.00	..	11.00	..	..

मद 7—समाज सेवायें

वर्ग 7.9—शिल्पकार प्रशिक्षण एवं श्रम कल्याण

(लाख रुपयों में)

संकेत-संख्या	वर्ग/योजनाएं	चौथी योजना			1969–70		
		कुल परिव्यय	पूंजी परिव्यय	विदेशी मुद्रा	कुल परिव्यय	पूंजी परिव्यय	विदेशी मुद्रा
1	2	3	4	5	6	7	8
	(1) श्रम कल्याण और कल्याण प्रशासन						
790101	क्षय रोग क्लीनिक्स का पुनर्गठन और अतिरिक्त क्षय रोग अस्पतालों के लिये व्यवस्था ..	6.01	2.04	..	0.20	0.20	..
790102	श्रम कल्याण प्रशासन के क्षेत्रीय एवं मुख्यालय का सुदृढ़ीकरण	2.09	..	..	0.29	..	..
790103	श्रम कल्याण केन्द्रों में परिवार नियोजन कक्ष की स्थापना	0.52	0.32	..	0.06	0.06	..
	योग ..	8.62	2.36	..	0.55	0.26	..
	श्रम कानून को लागू करना						
790104	समझौता कार्य प्रणाली का विकेंद्रीकरण एवं प्रसार	7.80	..	..	1.77	..	..
790105	कारखाना निरीक्षण सेवाओं का सुदृढ़ीकरण ..	8.99	..	..	1.03	..	..
790106	न्यूनतम वेतन ऐक्ट एवं बोनस ऐक्ट को सुचारु रूप से लागू करने के कार्य-कलापों का सुदृढ़ीकरण ..	18.07	..	..	1.01	..	..
	योग ..	34.86	..	..	3.81	..	..

अन्य योजनायें

790107	सेवा अनुभाग का प्रसार एवं पुनर्गठन ..	5.03	..	..	1.09	..	..
790108	मुख्यालय एवं क्षेत्र के सांख्यिकी अनुभाग का सुदृढ़ीकरण	2.02	..	..	0.28	..	..
790109	विभागीय पुस्तकालयों के लिये पुस्तकें एवं समाचार पत्रों को खरीदने के लिये व्यवस्था ..	0.50	..	..	0.10	..	..
	योग (1) ..	7.55	..	..	1.47	..	..
	योग, 1—श्रम कल्याण ..	51.03	2.36	..	5.83	0.26	..

(2) जन शक्ति और सेवायोजन

790201	सेवायोजन सेवा का विस्तार ..	8.20	..	..	0.89	..	..
790202	सेवा योजन बाजार सूचना का संग्रह किया जाना	0.75	..	..	0.09	..	..
790203	यावसायिक पथ प्रदर्शन योजना ..	4.10	..	..	0.30	..	
790204	निदेशालय के सेवायोजन भाग का सुदृढ़ीकरण	1.60	..	..	0.19	..	..
790205	सेवायोजन केन्द्रों का सुदृढ़ीकरण ..	6.35	..	..	0.53	..	..
	योग (2) ..	21.00	..	..	2.00	..	..

मद 7--समाज सेवायें

वर्ग 7.9--शिल्पकार प्रशिक्षण और श्रम कल्याण (समाप्त)

(लाख रुपयों में)

संकेत-संख्या	वर्ग/योजनाएं	चौथी योजना			1969-70		
		कुल परिव्यय	पूंजी परिव्यय	विदेशी मुद्रा	कुल परिव्यय	पूंजी परिव्यय	विदेशी मुद्रा
1	2	3	4	5	6	7	8
	(3) शिल्पकार प्रशिक्षण						
790301	शिल्पकार प्रशिक्षण	225.00	175.00	..	90.55	60.56	..
790302	शिल्पकार प्रशिक्षण का केन्द्रीकरण ..	39.50	..	..	16.20	..	..
790303	अपरेनटिसशिप प्रशिक्षण ..	26.00	..	..	3.25	..	..
790304	औद्योगिक कार्यकर्ताओं के लिये अल्पकालीन कक्षाओं की व्यवस्था	1.00	..	..	..	..	..
	योग (3) ..	291.50	175.00	..	110.00	60.56	..
	योग, 7.9--शिल्पकार प्रशिक्षण और श्रम कल्याण ..	363.53	177.36	..	117.83	60.82	..

मद 8--विविध

वर्ग 8.1--सांख्यिकी

(लाख रुपयों में)

संकेत-संख्या	वर्ग/योजनाएं	चौथी योजना			1969-70		
		कुल परिव्यय	पूंजी परिव्यय	विदेशी मुद्रा	कुल परिव्यय	पूंजी परिव्यय	विदेशी मुद्रा
1	2	3	4	5	6	7	8
810101	खेती उत्पादन, व्यापार, यातायात, कैपिटल फ़ारमेशन, सेवायोजन, उपभोक्ता व्यय का क्षेत्रीय स्तर पर सर्वेक्षण	7.00	..	..	0.16	..	..
810102	जिला स्तर पर आय का अनुमान करना ..	2.50	..	..	0.06	..	..
810103	जिला सांख्यिक अभिकरण का सुदृढ़ीकरण ..	1.50	..	..	0.10	..	..
810104	सांख्यिक आंकड़ों में सुधार	1.32	..	..	0.13	..	..
810105	निर्देशालय के लिये एक जीप की व्यवस्था ..	0.67	..	..	0.33	..	..
810106	आवास कक्ष की स्थापना ..	1.31	..	..	0.22	..	..
810107	जिला सांख्यिक पुस्तक का तैयार करना ..	1.00	..	..	..	..	..
810108	उत्तराखण्ड मण्डल क्षेत्र की सामाजिक एवं आर्थिक आंकड़ों का संग्रह करना ..	3.00	..	..	..	..	..
810109	स्थानीय निकायों की सांख्यिक मैनुअल को तैयार करना	2.00	..	..	..	..	..
	योग, 8.1 सांख्यिकी ..	20.30	..	..	1.00	..	..

राज्य योजनाओं के लिये परिव्यय

मद 8—विविध

वर्ग 8.2—सूचना तथा प्रसार

(लाख रुपयों में)

संकेत-संख्या	वर्ग/योजनायें	चौथी योजना			1969-70		
		कुल परिव्यय	पूंजी परिव्यय	विदेशी मुद्रा	कुल परिव्यय	पूंजी परिव्यय	विदेशी मुद्रा
1	2	3	4	5	6	7	8
820101	प्रकाशन	5.00	..	..	1.00	..	..
820102	फिल्म एवं फोटोग्राफी	5.60	..	..	1.20	..	..
820103	किसान मेले तथा प्रदर्शनियां	5.10	..	..	1.10	..	..
820104	भाषायी समाचार पत्रों एवं विशेषज्ञों के लिए विज्ञापन	1.80	..	..	0.20	..	..
820105	सामुदायिक श्रवण योजना	2.50	..	..	0.50	..	..
	योग 8.2—सूचना तथा प्रसार ..	20.00	..	..	4.00	..	..

पद 8—विविध

वर्ग 8.4—पर्वतीय तथा सीमान्त क्षेत्र

(लाख रुपयों में)

क्रम-सं०	वर्ग/योजनाएं	चौथी योजना			1969–70		
		कुल परिव्यय	पूंजी परिव्यय	विदेशी मुद्रा	कुल परिव्यय	पूंजी परिव्यय	विदेशी मुद्रा
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1—उत्तराखण्ड—	2000.00	1430.17	11.48	349.96	251.60	1.45
2	2—पर्वतीय क्षेत्र				25.00*	..	..
		2000.00	1430.17	11.48	349.96	251.60	1.45
	योग, 8.4 पर्वतीय तथा सीमान्त क्षेत्र						

*योजना परिव्यय में समायोजित किया जायगा।

मद 8—विविध

वर्ग 8·5—मूल्यांकन संगठन

(लाख रुपयों में)

संकेत संख्या	वर्ग/योजनाएं	चौथी योजना			1969–70		
		कुल परिव्यय	पूंजी परिव्यय	विदेशी मुद्रा	कुल परिव्यय	पूंजी परिव्यय	विदेशी मुद्रा
1	2	3	4	5	6	7	8
850101	मूल्यांकन संगठन ..	2.81	..	..	0.77	..	..

मद 8—विविध

वर्ग 8.6—अन्य

(लाख रुपयों में)

संकेत संख्या	वर्ग / योजनाएं	चौथी योजना			1969–70		
		कुल परिव्यय	पूंजी परिव्यय	विदेशी मुद्रा	कुल परिव्यय	पूंजी परिव्यय	विदेशी मुद्रा
1	2	3	4	5	6	7	8
860101	विकास अन्वेषणालय के शोध कार्य संबंधी कार्य-कलाप ..	218.17	..	..	99.74	..	..
860201	ग्रामीण जन शक्ति योजना ..						
860301	दशमलव प्रणाली की बांट तथा माप योजना						
	योग 8.6—अन्य ..	218.17	..	..	99.74	..	..

तालिका 2--(क)

उत्तराखण्ड के लिये मदवार परिव्यय

(लाख रुपयों में)

विकास मद	चौथी योजना			1969--70		
	कुल परिव्यय	पूंजी	विदेशी मुद्रा	कुल परिव्यय	पूंजी	विदेशी मुद्रा
1	2	3	4	5	6	7
1.1--कृषि उत्पादन	104.000	36.224	..	22.500	7.840	..
1.2--अल्प सिंचाई	70.000	70.000	..	14.000	14.000	..
1.3--भूमि संरक्षण	20.000	..	..	3.750	..	..
योग 1 कृषि कार्यक्रम	194.000	106.224	..	40.250	21.840	..
2.1--पशु पालन	50.000	23.936	11.025	10.000	6.009	1.450
2.2--वन	200.000	80.810	..	36.000	13.000	..
योग 2 समवर्गी कार्यक्रम	250.000	104.746	11.025	46.000	19.009	1.450
योग 1 व 2 कृषि तथा समवर्गी कार्यक्रम	444.000	210.970	11.025	86.250	40.849	1.450
3.1--सहकारिता	25.000	11.833	..	5.960	2.763	..
3.2--सामुदायिक विकास	7.750	..	..	7.750	..	..
योग 3 सहकारिता तथा सामुदायिक विकास	32.750	11.833	..	13.710	2.763	..
4.3--विद्युत्	175.000	175.000	..	25.800	25.800	..
5.2--खनिज विकास	2.500	..	0.450	0.900	..	..
5.3--ग्रामीण एवं लघु उद्योग	54.000	8.660	..	9.600	3.400	..
योग 5 उद्योग एवं खनिज	56.500	8.660	0.450	10.500	3.400	..

(लाख रुपयों में)

विकास मद	चौथी योजना			1969—70		
	कुल परिव्यय	पूंजी	विदेशी मुद्रा	कुल परिव्यय	पूंजी	विदेशी मुद्रा
1	2	3	4	5	6	7
6.1—सड़क	740.000	679.430	..	112.000	109.730	..
6.5—पर्यटन	63.070	63.070	..	19.500	19.500	..
योग 6 परिवहन एवं संचार	803.070	742.500	..	131.500	129.230	..
7.1—सामान्य शिक्षा	225.000	134.860	..	32.000	18.340	..
7.4—स्वास्थ्य एवं परिवार नियोजन	100.000	50.964	..	18.000	11.823	..
7.5—जल सम्पूर्ति, जलोत्सारण एवं सफाई	130.000	95.386	..	27.000	19.395	.
7.7—पिछड़ी जातियों का कल्याण	25.000	..	..	3.500	..	..
7.8—समाज कल्याण ..	4.580	..	..	0.800	..	..
योग 7 समाज सेवायें	484.580	281.210	..	81.300	49.558	..
8.1—सांख्यकी	3.000	..	..	..	..	..
8.2—सूचना एवं प्रसार	4.100	..	..	0.900	..	..
योग 8	7.100	..	..	0.900	..	..
योग (मद 1—8)	2000.000	1430.173	11.475	349.960	251.600	1.450

तालिका 3

केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनाओं का मदवार परिव्यय

(लाख रुपयों में)

शीर्षक/विकास मद	चौथी योजना	1969–70
1	2	3
1.1—कृषि उत्पादन	440.34	68.96
1.3—भूमि संरक्षण	250.00	36.60
1.4—आयकट विकास	17.02	7.02
योग 1—कृषि कार्यक्रम	707.36	112.58
2.1—पशुपालन	13.30	1.41
2.3—वन	7.50	1.50
योग 2—समवर्गी कार्यक्रम	20.80	2.91
योग 1–2—कृषि एवं समवर्गी कार्यक्रम	728.16	115.49
3.1—सहकारिता	356.00	82.00
योग 3—सहकारिता एवं सामुदायिक विकास ..	356.00	82.00
4.3—विद्युत्	175.00	30.00
योग 4—सिंचाई तथा विद्युत्	175.00	30.00
5.3—ग्राम्य एवं लघु उद्योग	304.15	49.62
योग 5—उद्योग तथा खनिकर्म	304.15	49.62
6.1—सड़कें	1719.11	504.26
योग 6—परिवहन और संचार साधन	1719.11	504.26

तालिका 3 (समाप्त)

(लाख रुपयों में)

शीर्षक/विकास मद	चौथी योजना	1969–70
1	2	3
7.1—सामान्य शिक्षा	161.74	28.44
7.2—प्राविधिक शिक्षा	150.00	31.00
7.4—स्वास्थ्य और परिवार नियोजन	8657.66	1407.03
7.5—जल सम्पूर्ति	110.00	18.60
7.7—पिछड़ी हुई जातियों का कल्याण	1025.65	184.43
योग 7—समाज सेवाएं	10105.05	1669.50
8.1—सांख्यिकी	5.00	0.85
योग 8—विविध	5.00	0.85
कुल योग	13392.47	2451.72

तालिका 4

केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनाओं के लिए परिव्यय

(लाख रुपयों में)

क्रम सं०	योजनायें	चौथी योजना के लिये परिव्यय	1969–70 परिव्यय
1	2	3	4
	1.—कृषि कार्यक्रम—		
	1.1—कृषि उत्पादन		
	कृषि विभाग—		
1	मूंगफली का अधिकतम उत्पादन ..	44.92	9.29
2	कपास का अधिकतम उत्पादन ..	16.86	0.91
3	जूट की फ़सलों पर यूरिया तथा कीटनाशक दवाइयों का हवाई छिड़काव	2.15	0.50
4	जूट के पैकेज का विशेष कार्यक्रम ..	4.41	0.54
5	जूट तथा मेस्ता के सुधार का कार्यक्रम ..	2.82	1.24
6	समुन्नत जूट के बीजों का कम मूल्य पर वितरण	1.69	0.33
7	लाख के प्रसार का पैकेज कार्यक्रम	0.49	0.06
8	फ़सलों के अन्तर्गत क्षेत्रफल तथा उत्पादन के अनुमान लगाने के वर्तमान प्रणाली का पुनःसंगठन ।	14.35	2.70
9	ब्लाक स्तर पर कृषि उत्पादन का अनुमान लगाने के लिए न्यादर्श सर्वेक्षण	0.37	0.37
10	फ़सलों के कटाई के पूर्व उत्पादन का अनुमान लगाने के लिए अग्रगामी अध्ययन	1.57	0.32
11	फसलों की कटाई और संग्रहण में होने वाली क्षति का अनुमान लगाने के लिए अग्रगामी सर्वेक्षण	0.86	..
12	अधिक उपज वाली किस्मों के उत्पादन का अनुमान लगाने के लिए न्यादर्श सर्वेक्षण	9.71	..
13	प्रमुख खाद्यानों की फसलों का राष्ट्रीय प्रदर्शन	6.17	1.24
	योग कृषि विभाग ..	96.37	17.50
	सामुदायिक विकास (क) विभाग—		
14	व्यावहारिक पुष्टाहार कार्यक्रम ..	300.90	44.54
	सामुदायिक विकास (ख) विभाग—		
15	किसान प्रशिक्षण एवं शिक्षा (आडो विजुअल सेक्शन) ।	29.20	4.42
	फलोपयोग—		
16	खाद्य विज्ञान प्रशिक्षण संस्थान लखनऊ का सुदृढ़ीकरण	13.87	2.50
	योग 1.1—कृषि उत्पादन	440.34	68.96

केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनाओं के लिए परिव्यय (क्रमशः)

(लाख रुपयों में)

क्रम सं०	योजनाएं	चौथी योजना के लिए परिव्यय	1969–70 परिव्यय
1	2	3	4
	1.3—भूमि संरक्षण		
	वन विभाग		
1	रामगंगा के जलागम क्षेत्रों में नदी घाटी प्रायोजना	150.00	26.60
	कृषि विभाग		
2	खालों के पुनर्वापण की अग्रगामी प्रायोजना ..	100.00	10.00
	योग 1.3—भूमि संरक्षण ..	250.00	36.60
	1.4—आयकट विकास		
1	आजमगढ़ में स्वायल तथा वाटर मैनेजमेन्ट (आयकट विकास) पाइलेट प्रायोजना की स्थापना ..	17.02	7.02
2	समवर्गी कार्य-क्रम—		
	2.1—पशुपालन		
1	हिन्द नैपाल सीमा पर अतिरिक्त टीका लगाने के केन्द्रों की स्थापना	3.35	0.35
2	सांड़ों का संतति परीक्षण	9.95	1.06
	कुल योग 2.1—पशुपालन ..	13.30	1.41
	2.3—वन		
1	वन संसाधनों का सर्वेक्षण	7.50	1.50
	3.1—सहकारिता		
1	कृषीय ऋण स्थिरीकरण निधि ..	156.00	32.00
2	पी० सी० एफ० को उर्वरक व्यापारार्थ सीमान्त धन	200.00	50.00
	योग 3.1—सहकारिता ..	356.00	82.00
	4—सिंचाई एवं विद्युत्		
	4.1—विद्युत्		
1	अंतर्राज्यीय ग्रिड ..	175.00	30.00

केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनाओं के लिये परिव्यय (क्रमशः)

(लाख रुपयों में)

क्रम-संख्या	योजनायें	चौथी योजना के लिय परिव्यय	1969–70 परिव्यय
1	2	3	4
	5—उद्योग तथा खनिकर्म		
	5·3—ग्राम एवं लघु उद्योग		
1	ग्रामीण औद्योगीकरण कार्यक्रम	199.56	34.60
	विकास अन्वेषणालय		
2	ग्रामीण औद्योगिक प्रायोजना, फूलपुर (इलाहाबाद)	104.59	15.02
	योग 5.3—ग्रामीण एवं लघु उद्योग ..	304.15	49.62
	6—परिवहन तथा संचार साधन		
	6·1—सड़क		
1	भारत सरकार द्वारा बेकारी दूर करने की योजना का कार्यान्वयन	1.09‡	1.09‡‡
2	उत्तर प्रदेश में पौंता-राजभान-मीनस-रोहरु सड़क का विकास	3.00‡	1.00‡
3	उत्तर प्रदेश–तिब्बत सीमावर्ती क्षेत्र में सड़कों का विकास ..	.1.21*	0.70*
4	इलाहाबाद जिले में सोरों-फूलपुर-हंडिया सड़क का निर्माण ..	7.84*	5.00*
5	मिर्जापुर जिले में सिंगरौली-पिपरी सड़क का निर्माण ..	8.97†	8.97†
6	अन्तर्राज्य तथा आर्थिक महत्व की अन्य सड़कें तथा पुल (नयी प्रायोजना)	167.00‡	..
7	पार्श्विक सड़क परियोजना	775.00‡	425.00‡
	II—गंगा तथा रामगंगा पर पुल निर्माण कार्य—	600.00	62.00
	III—उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमा पर बक्सर में गंगा नदी पर पुल निर्माण	150.00‡	..
	IV—इनलैंड वाटर ट्रान्सपोर्ट परियोजना	5.00‡	0.50†
	योग 6.1—सड़क ..	1719.11	504.26

* राज्य सरकार का भाग सेंट्रल रोड फण्ड से पूरा किया जाता है।

† राज्य सरकार का भाग राज्य योजना में सम्मिलित है।

†† शत प्रतिशत केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित।

केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनाओं का परिव्यय (क्रमशः)

(लाख रुपयों में)

क्रम-संख्या	योजनायें	चौथी योजना के लिये परिव्यय	1969-70 परिव्यय
1	2	3	4
	7—समाज सेवायें		
	1·7—शिक्षा		
1	विश्वविद्यालय स्तर पर हिन्दी साहित्य के प्रकाशनार्थ एक स्वायत्त निगम की स्थापना ..	133.00	24.00
2	पूर्व-व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना ..	19.54	3.44
3	राष्ट्रीय भावात्मक एकता की प्रोन्नति (अध्यापकों का अन्तर्राज्य-आदान प्रदान)।	9.20	1.00
	योग 7.1—शिक्षा ..	161.74	28.44
	7·2—प्राविधिक शिक्षा		
1	मोतीलाल नेहरू रीजनल इंजीनियरिंग कालेज ..	50.00	15.00
2	रीजनल इंजीनियरिंग कालेज, इलाहाबाद में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम	35.00	6.00
3	राज्य सरकार द्वारा सीधे प्रशासित संस्थाओं में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम	65.00	10.00
	योग 7.2. प्राविधिक शिक्षा ..	150.00	31.00
	7·4—स्वास्थ्य और परिवार नियोजन		
	(1) शिक्षा कार्यक्रम		
1	गणेश शंकर विद्यार्थी स्मारक मेडिकल कालेज कानपुर में उच्च स्नातक चिकित्सा शिक्षा की सुविधा ..	10.00	0.11
2	सरोजिनी नायडू मेडिकल कालेज, आगरा में पैथालोजी विषय के उच्च स्नातक विभाग की व्यवस्था जिसमें माईक्रोबाईलोजी और बिरोलोजी अनुभाग भी शामिल है और छात्रावास एवं पशुशाला के लिये भवन निर्माण	10.00	1.70
3	सरोजिनी नायडू मेडिकल कालेज, आगरा में शारीरिक विज्ञान के विषय में उच्च स्नातक विभाग की व्यवस्था ..	10.00	..

केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनाओं के लिए परिव्यय (क्रमशः)

(लाख रुपयों में)

क्रम-संख्या	योजनाएं	चौथी योजना के लिए परिव्यय	1969–70 परिव्यय
1	2	3	4
	7.4—स्वास्थ्य और परिवार नियोजन (क्रमशः)		
4	मोतीलाल नेहरू मेडिकल कालेज, इलाहाबाद में सर्जरी का स्नातकोत्तर विभाग	10.00	..
5	मोतीलाल नेहरू मेडिकल कालेज, इलाहाबाद में शारीरिक विषय पर उच्च स्नातक विभाग की व्यवस्था	10.00	..
6	लखनऊ मेडिकल कालेज में शल्य चिकित्सा विषय पर उच्च स्नातक विभाग की व्यवस्था	10.00	1.50
7	लखनऊ मेडिकल कालेज में निरोध चिकित्सा विषय पर उच्च स्नातक विभाग की व्यवस्था	10.00	4.20
8	लखनऊ मेडिकल कालेज में प्लास्टिक शल्य चिकित्सा विषय पर उच्च स्नातक विभाग की व्यवस्था	10.00	3.10
9	दन्त विद्यालय, लखनऊ में ओरथोडोनशिया, पिरोडोनशिया, मौखिक शल्य चिकित्सा विषय पर उच्च स्नातक शिक्षा के विभाग की व्यवस्था	10.00	2.00
10	सरोजिनी नायडू मेडिकल कालेज आगरा में चिकित्सा विषय पर उच्च स्नातक विभाग की व्यवस्था	10.00	..
	योग (1) ..	100.00	12.61
	(2) प्रशिक्षण कार्यक्रम		
1	लखनऊ मेडिकल कालेज में फिजोथेफिस्ट्स अकूपेशनलथ्रे फिस्ट्स पाठ्यक्रम की व्यवस्था	4.03	0.60
	योग (2) ..	4.03	0.60
	(3) चिकित्सालय और औषधालय		
1	मस्तिष्क रोग के क्लीनिक्स की स्थापना	13.50	0.38
	योग (3) ..	13.50	0.38
	(4) प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र तथा आधारिक स्वास्थ्य सेवायें		
1	आधारिक स्वास्थ्य सेवाओं का प्रसार	900.00	150.00
	योग (4) ..	900.00	150.00

केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनाओं का परिव्यय (क्रमशः)

(लाख रुपयों में)

क्रम-संख्या	योजनाएं	चौथी योजना के लिये परिव्यय	1969-70 परिव्यय
1	2	3	4
	7.4—स्वास्थ्य और परिवार नियोजन—(समाप्त)		
	(5) संचारी रोगों का नियंत्रण		
1	भारत सरकार के आदेशानुसार 36 क्षय रोग क्लीनिक्स क्रमोन्नति क्षय रोग निरोध दवाओं, भवन निर्माण और जिला अस्पतालों में 400 छूत शय्याओं की व्यवस्था आदि ..	238.14	22.34
2	राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम	1,280.59	222.42
3	राष्ट्रीय चेचक उन्मूलन कार्यक्रम	436.52	73.00
4	फ्रिज्ड ड्राईड वैक्सीन का निर्माण करने की व्यवस्था ..	88.00	13.27
5	कुष्ट रोग नियंत्रण जिसमें दस कुष्ट केन्द्रों की स्थापना और पचास सेट (Set) यूनिटों की क्रमोन्नति भी शामिल है ..	65.78	2.97
6	फाइलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम	60.80	13.72
7	ट्रेकोमा उन्मूलन कार्यक्रम	13.48	1.33
8	हैजा उन्मूलन कार्यक्रम	7.50	0.90
9	रतिज रोग नियंत्रण	15.00	3.00
	योग, (5) ..	2,205.81	352.95
	(6) परिवार नियोजन		
1	शहरी परिवार नियोजन केन्द्र	198.70	30.94
2	ग्रामीण परिवार नियोजन केन्द्र }		
3	उप केन्द्र .. } ..	2,220.92	318.37
4	परिवार नियोजन प्रशिक्षण	264.43	50.85
5	बन्ध्यकरण	744.96	116.16
6	लूप लगाने का कार्यक्रम	185.59	28.84
7	परिवार नियोजन कार्यक्रम को लोकप्रिय बनाने के लिये अन्य योजनायें	1,769.72	335.33
	योग (6) ..	5384.32	880.49
	(7) भारतीय चिकित्सा पद्धति		
1	भारतीय चिकित्सा पद्धति में उच्च शिक्षा प्रशिक्षण और शोध कार्य की व्यवस्था	50.00	10.00
	योग (7) ..	50.00	10.00
	योग 7.4—स्वास्थ्य और परिवार नियोजन ..	8657.66	1,407.03

केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनाओं का परिव्यय (क्रमशः)

(लाख रुपयों में)

क्रम-संख्या	योजनायें	चौथी योजना के लिये परिव्यय	1969–70 परिव्यय
1	2	3	4
	7.5—जल सम्पूर्ति		
1	दो क्षेत्रीय एवं सर्वेक्षण मण्डलों की स्थापना	110.00	18.60
	योग 7.5—जल संपूर्ति ..	110.00	18.60
	7.7—पिछड़ी हुई जातियों का कल्याण—		
	(अ) अनुसूचित जन जाति—		
	शिक्षा—		
1	दशमोत्तर कक्षाओं में पढ़ने वाले छात्रों को छात्रवृत्ति	12.50	1.50
2	बालकों तथा बालिकाओं के लिये छात्रावास ..	5.00	1.00
	योग ..	17.50	2.50
	आर्थिक उत्थान—		
3	विशेष क्षेत्रीय प्रायोजनायें ..	20.00	4.00
4	सहकारिता— ..		
	(1) अनुदान तथा प्रबन्ध हेतु राज्य सहायता	36.50	2.00
	(2) कर्ज		3.50
	(3) प्रबन्धकीय तथा निरीक्षकीय कर्मचारी तथा वाहन हेतु		0.50
	योग ..	56.50	10.00
	स्वास्थ्य आवास एवं अन्य योजनायें—		
5	शोध और प्रशिक्षण/अग्रगामी प्रायोजना ..	7.00	2.50
6	प्रौढ़ साक्षरता तथा सामाजिक शिक्षा के लिये अग्रगामी कार्यक्रम	1.50	0.50
	योग ..	8.50	3.00
	योग वर्ग (अ) ..	82.50	15.50

केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनाओं के लिये परिव्यय (क्रमशः)

(लाख रुपयों में)

क्रम-संख्या	योजनाएं	चौथी योजना के लिये परिव्यय	1969–70 परिव्यय
1	2	3	4
	7.7—पिछड़ी हुई जातियों का कल्याण		
	(ब) अनुसूचित जातियां—		
	शिक्षा—		
1	दशमोत्तर कक्षाओं में केन्द्रीय छात्र-वृत्ति	800.00	140.00
2	अनुसूचित जाति के बालिकाओं के लिये छात्रावास की स्थापना	5.00	1.00
3	राज्य सेवाओं की प्रतियोग्यता परीक्षा में बैठने के लिये अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जन जाति के विद्यार्थियों के लिये पूर्व परीक्षा प्रशिक्षण केन्द्र	6.00	1.50
	योग ..	811.00	142.50
	आर्थिक उत्थान—		
	स्वास्थ्य, आवास एवं अन्य योजनायें—		
4	शहरी क्षेत्रों में मेहतरों के लिये गृह निर्माण ..	10.00	2.00
5	कमर या सिर पर मैले के ढोने की प्रथा का उन्मूलन	10.00	2.50
6	गन्दे कार्यों में लगे हुए अनुसूचित जाति के लोगों के लिये गृह निर्माण	7.50	1.00
7	गन्दे कार्य में लगे अनुसूचित जाति के लोगों को गृह स्थल भूमि प्राप्त करके या सीधे खरीदने हेतु अनुदान	2.50	0.50
	योग ..	30.00	6.00
	योग (ब) ..	841.00	148.50

केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना के लिए परिव्यय (क्रमशः)

(लाख रुपयों में)

क्रम-संख्या	योजनाएं	चौथी योजना के लिये परिव्यय	1969-70 परिव्यय
1	2	3	4
7.7—पिछड़ी हुई जातियों का कल्याण (क्रमशः)			
	स—विमुक्त जातियां		
	शिक्षा—		
1	विज्ञान, कृषि तथा अन्य तकनीकी विषयों को लेकर कक्षा 9 तथा 10 में पढ़ने वाले विमुक्त जाति के छात्रों को विशेष छात्रवृत्ति ..	2.50	0.50
2	पूर्वदशम कक्षाओं में छात्रवृत्ति ..	5.00	1.00
3	आश्रम पद्धति विद्यालय ..	34.00	6.31
	योग ..	41.50	7.81
	आर्थिक उत्थान		
4	शिल्प कला प्रशिक्षण हेतु छात्रवृत्ति ..	1.00	0.20
5	कृषि उत्थान हेतु राज्य सहायता ..	3.75	1.24
6	कुटीर उद्योग हेतु राज्य सहायता ..	5.00	1.50
7	भूमि, सेवायोजन, प्रायोजना या कारखाने क्षेत्रों में पुनर्वासन	3.50	1.00
	योग ..	13.25	3.94
	स्वास्थ्य, आवास एवं अन्य योजनाएं		
8	गृह निर्माण हेतु राज्य सहायता ..	5.00	1.00
	योग ..	5.00	1.00
	योग, (स) ..	59.75	12.75

केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनाओं के लिए परिव्यय (समाप्त)

(लाख रुपयों में)

क्रम-संख्या	योजनायें	चौथी योजना के लिये परिव्यय	1969–70 परिव्यय
1	2	3	4
	स—विमुक्त जातियां		
	शिक्षा—		
	(द) अन्य पिछड़ी जातियों, मुसलमान गूजर और गन्दे कार्यों में लगी वे जातियां जो हिन्दुओं के अतिरिक्त हैं, के लिए विशेष योजनाएं—		
	1—दशमोत्तर कक्षाओं में विमुक्त जाति, घुमक्कड़ जाति तथा अन्य कम आय के लोगों के छात्रों को छात्रवृत्ति ..	22.15	4.43
	2—मुसलमान गूजरों के लिये आश्रम पद्धति विद्यालय	8.00	1.20
	3—मुसलमान गूजर छात्रों के लिये छात्रवृत्ति ..	1.25	0.25
	4—मुसलमान मेहतरों के लिये गृह योजना ..	3.00	0.60
	योग, (द) ..	34.40	6.48
	(ई) सफाई मजदूर तथा मेहतरों के बच्चों के लिये आश्रम पद्धति विद्यालय	8.00	1.20
	योग, (ई)	8.00	1.20
	योग—7.7 पिछड़ी हुई जातियों का कल्याण ..	1,025.65	184.43
	8—विविध		
	8.1—सांख्यिकी		
	लघु उद्योग एवं गांवों का सर्वेक्षण	5.00	0.85

केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना के लिए परिव्यय (क्रमशः)

(लाख रुपयों में)

क्रम-संख्या	योजनाएं	चौथी योजना के लिये परिव्यय	1969-70 परिव्यय
1	2	3	4
	7·7—पिछड़ी हुई जातियों का कल्याण (क्रमशः)		
	स—विमुक्त जातियां		
	शिक्षा—		
1	विज्ञान, कृषि तथा अन्य तकनीकी विषयों को लेकर कक्षा 9 तथा 10 में पढ़ने वाले विमुक्त जाति के छात्रों को विशेष छात्रवृत्ति ..	2.50	0.50
2	पूर्वदशम कक्षाओं में छात्रवृत्ति ..	5.00	1.00
3	आश्रम पद्धति विद्यालय ..	34.00	6.31
	योग ..	41.50	7.81
	आर्थिक उत्थान		
4	शिल्प कला प्रशिक्षण हेतु छात्रवृत्ति ..	1.00	0.20
5	कृषि उत्थान हेतु राज्य सहायता ..	3 75	1.24
6	कुटीर उद्योग हेतु राज्य सहायता ..	5.00	1.50
7	भूमि, सेवायोजन, प्रायोजना या कारखाने क्षेत्रों में पुनर्वासन	3.50	1.00
	योग ..	13.25	3.94
	स्वास्थ्य, आवास एवं अन्य योजनाएं		
8	गृह निर्माण हेतु राज्य सहायता ..	5.00	1.00
	योग ..	5.00	1.00
	योग, (स) ..	59.75	12.75

केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनाओं के लिए परिव्यय (समाप्त)

(लाख रुपयों में)

क्रम-संख्या	योजनायें	चौथी योजना के लिये परिव्यय	1969-70 परिव्यय
1	2	3	4
	स—विमुक्त जातियां		
	शिक्षा—		
	(द) अन्य पिछड़ी जातियों, मुसलमान गूजर और गन्दे कामों में लगी वे जातियां जो हिन्दुओं के अतिरिक्त हैं, के लिए विशेष योजनाएं—		
	1—दशमोत्तर कक्षाओं में विमुक्त जाति, घुमक्कड़ जाति तथा अन्य कम आय के लोगों के छात्रों को छात्रवृत्ति ..	22.15	4.43
	2—मुसलमान गूजरों के लिये आश्रम पद्धति विद्यालय	8.00	1.20
	3—मुसलमान गूजर छात्रों के लिये छात्रवृत्ति ..	1.25	0.25
	4—मुसलमान मेहतरों के लिये गृह योजना ..	3.00	0.60
	योग, (द) ..	34.40	6.48
	(ई) सफाई मजदूर तथा मेहतरों के बच्चों के लिये आश्रम पद्धति विद्यालय	8.00	1.20
	योग, (ई)	8.00	1.20
	योग—7.7 पिछड़ी हुई जातियों का कल्याण ..	1,025.65	184.43
	8—विविध		
	8.1—सांख्यिकी		
	लघु उद्योग एवं गांवों का सर्वेक्षण	5.00	0.85

तालिका 5

भौतिक कार्य-क्रम

मद	इकाई	अनुमानित उपलब्धियां		
		1968-69	1969-70	1973-74
1	2	3	4	5
1—कृषि एवं वानकी				
वन के अन्तर्गत क्षेत्र				
(1) वर्क प्लान क्षेत्र	वर्ग कि०मी०	33,145	33,145	37,000
(2) जल्दी उगने वाले आर्थिक महत्व के वृक्षों के अन्तर्गत क्षेत्रफल	,,	1,238	1,458	2,338
(3) ईंधन प्रदान करने वाले वृक्षों का क्षेत्र	,,	26	39	91
(4) अन्य (रेवाइन शामिल करते हुए)	,,	1,630	1,726	2,222
(5) वर्क प्लान के बाहर का क्षेत्र	,,	6,173	6,173	2,318
योग (1) और (5) वन के अन्तर्गत क्षेत्र	,,	39,318	39,318	39,318
बागबानी क्षेत्र (फल)	'000 हैक्टेयर	145.69	157.83	206.39
शुद्ध फाड क्षेत्र	,,	17,402	17,450	17,645
समग्र फाड क्षेत्र	,,	23,433	23,811	25,487
सिंचित क्षेत्र	,,	8,049	8,801	12,311
प्रमुख फसलों के अन्तर्गत क्षेत्र				
क—खरीफ खाद्यान्न—				
चावल (क) क्षेत्र	लाख हैक्टेयर	43,99	44.60	47.23
(ख) सिंचित क्षेत्र	,,	8.30	9.71	16.39

*टिप्पणी— (1) और (5) में उपरोक्त (2), (3) एवं (4) के अन्तर्गत क्षेत्रफल भी सम्मिलित है।

भौतिक कार्यक्रम (क्रमशः)

मद	इकाई	अनुमानित उपलब्धियां		
		1968-69	1969-70	1973-74
1	2	3	4	5
(ग) उत्पादन	लाख मीट्रिक टन	32.00	35.43	52.57
ज्वार—				
(क) क्षेत्र	लाख हैक्टेयर	9.31	9.31	8.90
(ख) सिंचित क्षेत्र	,,	0.20	0.24	0.45
(ग) उत्पादन	लाख मीट्रिक टन	5.00	5.09	5.34
बाजरा—				
(क) क्षेत्र	लाख हैक्टेयर	10.93	10.52	10.12
(ख) सिंचित क्षेत्र	लाख हैक्टेयर	0.20	0.24	0.45
(ग) उत्पादन	लाख मीट्रिक टन	5.00	4.90	5.14
मक्का—				
(क) क्षेत्र	लाख हैक्टेयर	16.19	16.39	18.21
(ख) सिंचित क्षेत्र	,,	2.31	2.63	4.55
(ग) उत्पादन	लाख मीट्रिक टन	12.00	13.04	17.52
ख—रबी खाद्यान्न—				
गेहूं—				
(क) क्षेत्र	लाख हैक्टेयर	47.18	47.78	50.46
(ख) सिंचित क्षेत्र	,,	29.74	31.97	40.44
(ग) उत्पादन	लाख मीट्रिक टन	64.00	70.06	98.24
जौ—				
(क) क्षेत्र	लाख हैक्टेयर	16.19	16.59	17.47

भौतिक कार्यक्रम (क्रमशः)

मद	इकाई	अनुमानित उपलब्धियां		
		1968-69	1969-70	1973-74
1	2	3	4	5
(ख) सिंचित क्षेत्र—	लाख हैक्टेयर	9.81	10.25	13.35
(ग) उत्पादन	लाख मीट्रिक टन	17.38	17.68	19.86
ग—कुल दालें (खरीफ और रबी)				
(क) क्षेत्र	लाख हैक्टेयर	42.49	43.91	50.38
(ख) सिंचित क्षेत्र	,,	14.09	14.50	18.57
(ग) उत्पादन	लाख मीट्रिक टन	36.47	37.46	43.24
वाणिज्यिक फसलों का क्षेत्रफल—				
तिलहन				
(क) क्षेत्र	लाख हैक्टेयर	7.45	7.57	8.26
(ख) सिंचित क्षेत्र	,,	0.42	0.44	0.52
(ग) उत्पादन	लाख मीट्रिक टन	17.68	18.83	22.00
कपास				
(क) क्षेत्र	लाख हैक्टेयर	0.81	0.81	0.81
(ख) सिंचित क्षेत्र	,,	0.62	0.66	0.81
(ग) उत्पादन	लाख गांठें	0.60	0.65	1.00
गन्ना				
(क) क्षेत्र	लाख हैक्टेयर	14.23	14.47	15.43
(ख) सिंचित क्षेत्र	,,	8.71	9.55	13.71
(ग) उत्पादन (गुड़)	लाख मीट्रिक टन	50.00	52.00	67.50

भौतिक कार्यक्रम (क्रमशः)

मद	इकाई	अनुमानित उपलब्धियां		
		1968-69	1969-70	1973-74
1	2	3	4	5
जूट				
(क) क्षेत्र	लाख हैक्टेयर	0.23	0.24	0.24
(ख) सिंचित क्षेत्र	,,	--	--	--
(ग) उत्पादन	लाख गांठें	2.04	2.07	2.20
अधिक उत्पादन वाली फसलों का क्षेत्र				
(क) विदेशी एवं संकर किस्में				
मेक्सिकन गेहूं	लाख हैक्टेयर	12.14	14.57	26.30
ताई चुंग धान	,,	3.44	4.86	12.14
संकर मक्का	,,	1.42	2.02	4.05
संकर ज्वार	,,	0.20	0.24	0.40
संकर बाजरा	,,	0.20	0.24	0.40
	योग	17.40	21.93	43.29
(ख) उन्नतशील किस्मों का क्षेत्र (राजकीय अधिक उपज वाली किस्में)				
उत्तर प्रदेश धान	लाख हैक्टेयर	3.24	4.05	8.09
उत्तर प्रदेश मक्का	,,	2.02	4.05	6.07
उत्तर प्रदेश गेहूं	,,	8.09	8.09	14.16
योग (ख)		13.35	16.19	28.32
योग अधिक उत्पादन वाली फसलें		30.75	38.12	71.61
अन्य स्थानीय राजकीय उन्नतशील किस्में		100.29	97.50	82.30
उन्नत किस्म के बीजों के अन्तर्गत कुल क्षेत्र		131.04	135.62	153.91

भौतिक कार्यक्रम (क्रमशः)

मद	इकाई	अनुमानित उपलब्धियां		
		1968–69	1969–70	1973–74
1	2	3	4	5
क—अधिक उत्पादन वाली किस्मों के बीज का वितरण	लाख क्विंटल	0.94	0.73	1.38
ख—उन्नतिशील किस्मों के बीज का वितरण"		0.47	1.38	1.75
योग . .		1.41	2.11	3.13
उर्वरकों का वितरण				
नत्रजन (N)	लाख मीट्रिक टन	2.00	3.86	7.50
फास्फेटिक (P_2O_5)	,,	0.50	1.98	3.90
पोटाश (K_2O)	,,	0.36	1.44	2.70
हरी खाद के अन्तर्गत क्षेत्र	लाख हेक्टेयर	6.88	7.69	12.14
पौध संरक्षण के अन्तर्गत क्षेत्र				
(1) खाद्यान्न	,,	35.64	45.38	84.60
(2) वाणिज्यिक फसलें	,,	3.65	3.95	4.88
(3) बागबानी	,,	1.18	1.26	1.57
योग		40.47	50.59	91.05
कृषि भूमि पर भूमि संरक्षण (अतिरिक्त)	लाख हेक्टेयर	1.30	1.87	2.35
नदी घाटी प्रायोजनाओं के जलागम क्षेत्र में भूमि संरक्षण	लाख हेक्टेयर	0.34	0.42	0.79
जोतों की चकबन्दी	,,	89.08	93.49	115.38
बाजार नियंत्रण				
(क) सेल्फ सपोर्टिंग	संख्या	19	10	..
(ख) नान-सेल्फ सपोर्टिंग	,,	68	60	..

भौतिक कार्यक्रम (क्रमशः)

मद	इकाई	अनुमानित उपलब्धियां		
		196–69	1969–70	1973–74
1	2	3	4	5
उपलब्ध संग्रहण क्षमता				
(क) उर्वरकों के लिये				
(कृषि विभाग)	लाख मीट्रिक टन	1.40	1.83	2.48
(सहकारिता विभाग)	,,	3.15	3.15	4.15
योग		4.55	4.98	6.63
(ख) खाद्यान्न				
(सहकारिता विभाग)	,,	2.22	2.28	2.94
(खाद्य एवं रसद विभाग)	,,	0.73	0.90	1.10
योग	..	2·95	3.18	4.04
पशुपालन वेटेरिनरी अस्पताल / डिस्पेंसरियां (अतिरिक्त)	संख्या	...	8	5
कृत्रिम गर्भाधान केंद्र (अतिरिक्त)	संख्या	...	18	12
स्टाकमैन केंद्र (अतिरिक्त))	,,	2	140	100
चारे की फसलों के अन्तर्गत क्षेत्र जिसके लिये बीज कम दाम पर दिये जाते हैं	हैक्टेयर	14,080	11,320	11,908
की–विलेज ब्लाक	संख्या	...	...	...
पशु प्रजनन फार्म	,,	...	...	...
भेड़ प्रजनन फार्म	,,	...	...	...
भेड़ और ऊन विस्तार केन्द्र	,,	...	2	2
ऊन का वर्गीकरण	,,	...	1	...
क्रय–विक्रय केंद्र	,,	..	8	...

भौतिक कार्यक्रम (क्रमशः)

मद	इकाई	अनुमानित उपलब्धियां		
		1968-69	1969-70	1973-74
1	2	3	4	5
पशु जनित पदार्थों का निर्माण—				
(क) दूध की वस्तुयें	लाख कुंतल	495.46	507.50	558.52
(ख) गोश्त	लाख कि० ग्रा०	1,225.52	1,268.30	1,454.97
(ग) ऊन	,,	20.96	21.40	23.24
राजकीय कुक्कुट फार्म	संख्या	...	1	...
सहकारी कुक्कुट फार्म	संख्या	..	1	..
कुक्कुट पालने वाले कृषकों का प्रशिक्षण				
(क) अल्पकालीन कोर्स	संख्या	..	..	..
(ख) दीर्घकालीन कोर्स	,,	80	..	...
सघन अंडा एवम् कुक्कुट उत्पादन तथा मार्केटिंग केन्द्र	,,	,,	...	...
सघन कुक्कुट विकास खंड	संख्या	..	2	...
मत्स्य				
1—नावों का मशीनीकरण	संख्या	...	...	...
2—कोल्ड स्टोरेज	,,	...	...	...
3—सहकारी क्रय विक्रय समितियां	,,	...	...	...
4—अन्दरगाहों पर लेंडिंग और बेंडिंग सुविधा	,,	..	...	..
5—मछुए सहकारी समितियों को ऋण	लाख रुपये	..	0.30	0.20
6—अंगुलिकाओं का वितरण	लाख संख्या	273.00	86.00	204.50
7—मछली बीज फार्म	संख्या	8	8	..
2—सहकारिता				
(1) प्राइमरी सहकारी समितियां (कृषि ऋण)	संख्या	25,493	1,500	1,500
सदस्यता	संख्या लाख में	58.00	61.00	75.00
शेयर कैपिटल	करोड़ रुपये में	1.23	2.23	8.23
सदस्यों का डिपाजिट	,,	2.46	2.96	4.96
(2) कृषि ऋण				
(क) वर्ष के दौरान लघुकालीन ऋण ..	,,	45.00	50.00	80.00
वर्ष के अन्त में बाकी ऋण	,,	कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं है		

मौलिक कार्यक्रम (क्रमशः)

मद	इकाई	अनुमानित उपलब्धियां		
		1968–69	1969–70	1973–74
1	2	3	4	5
(ख) वर्ष के दौरान मध्यम कालीन ऋण	करोड़ रुपयों में	6.00	6.00	6.00
वर्ष के अन्त में बाकी ऋण		कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं है—		
(ग) वर्ष के दौरान दीर्घ कालीन ऋण	करोड़ रुपयों में	27.00	27.00	29.00
वर्ष के अन्त में बाकी ऋण	,,	45.96	कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं है	
(3) प्राइमरी मार्केटिंग समितियां	संख्या	203	203	213
वर्ष में व्यापार रकम	करोड़ रुपयों में	19.00	कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं है	
4—प्रोसेसिंग समितियां (लघु)				
1—समितियों की किस्में				
(अ) चावल मिलें—	संख्या	104	104	112
(ब) चीनी मिलें				
(स) अन्य (मूंगफली इत्यादि)				
(द) कपास ओटना—	संख्या	..	..	..
(य) खाद मिश्रण—		25	25	25
II—व्यापार की रकम	(लाख रुपयों में)			
(अ) चावल मिलें	,,	60.00	कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं है	
(ब) चीनी मिलें	,,	13.00	,,	
(स) अन्य	,,	35.00	,,	
(V) प्रोसेसिंग समितियां	..			
(i) हाइड्रोजेनेशन फैक्टरी	संख्या	..	1	1
(ii) उर्वरक मिश्रण यूनिट	,,	..	..	1

भौतिक कार्यक्रम (क्रमशः)

मद	इकाई	अनुमानित उपलब्धियां		
		1968-69	1969-70	1973-74
1	2	3	4	5
3—बड़ी और मध्यम सिंचाई				
सिंचाई के अन्तर्गत अनुमानित क्षेत्र	(हजार हेक्टेयर)			
(अ) क्षमता	,,	3,608.48	3,693.86	4,890.91
(ब) उपयोग	,,	3,539.61	3,584.13	4,270.08
4—विद्युत				
(स) अधिष्ठापित क्षमता	मेगावाट	1310.04	1,507.12	2479.49
(ii) उत्पादित विद्युत शक्ति	लाख किलो-वाट घंन्टे	53020	59520	101300
(iii) विद्युत विक्रय	,,	41400	47000	79000
(iv) ग्रामीण विद्युतीकरण				
(अ) ग्राम जहां विद्युत लगाई गई	संख्या	4852	5272	6952
(ब) निजी नलकूप और पंप सेटों का विद्युतीकरण	संख्या	65513	89513	208513
सामान्य कार्यक्रम में	,,	58049	74049	148049
उपभोक्ता डिपाजिट स्कीम में	,,	7464	15464	32464
5—परिवहन				
(I) समतल सड़कें	'000 किलो मीटर	29.21	29.46	31.90
(II) असमतल सड़कें	'000 किलो मीटर	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	
(III) ग्राम जो सड़कों से वंचित हैं।		सूचना उपलब्ध नहीं है		
6—सामान्य शिक्षा				
भर्ती				
(1) कक्षा I से V कुल	लाख में	99.35	102.11	110.68
आयु वर्ग में आबादी का प्रतिशत	प्रतिशत	85	85	85
बालिकायें	लाख में	36.45	37.48	40.82
आयु वर्ग में आबादी का प्रतिशत	प्रतिशत	65	65	65
(2) कक्षा VI—VIII में कुलभर्ती	(लाख में)	16.59	17.40	20.81
आयु वर्ग में आबादी का प्रतिशत	प्रतिशत	26·77	27·01	29·16
बालिकायें	लाख में ..	3·19	3·44	4·51
आयु वर्ग में आबादी का प्रतिशत	प्रतिशत ..	10·33	11·14	13·14

मौलिक कार्यक्रम (क्रमश)

मद	इकाई	अनुमानित उपलब्धियां		
		1968–69	1969–70	1973–74
1	2	3	4	5
(3) कक्षा-IX–XII	लाख में	9.30	9·90	12·30
कुल आयु वर्ग में आबादी का प्रतिशत	प्रतिशत	12·78	13·25	14·33
बालिकायें	लाख में	1·59	1·79	2·59
आयु वर्ग में आबादी का प्रतिशत	प्रतिशत	4.52	4·89	6·28
(4) विश्वविद्यालय/कालेज के विद्यार्थी कुल (कला विज्ञान और वाणिज्य)	लाख में	1·50	1.58	1·90
केवल विज्ञान	,,	0·33	0·35	0·43
अध्यापक				
(i) प्रारम्भिक स्कूलों में	संख्या	2,38,277	2,51,470	3,00255
प्रशिक्षित अध्यापकों का प्रतिशत	प्रतिशत	87	90	99
माध्यमिक स्कूलों में	संख्या	39,311	41,311	49,311
प्रशिक्षित अध्यापकों का प्रतिशत	प्रतिशत	88	90	96
प्राविधिक शिक्षा				
1—इंजीनियरिंग कालेज—				
(क) संस्थाओं की संख्या	संख्या	7	7	7
(ख) स्वीकृत वार्षिक प्रवेश की क्षमता	,,	930	1565	1565
(ग) उत्तीर्ण ..	,,	778	826	1260
2—डिप्लोमा संस्थायें—				
(क) संस्थाओं की संख्या	संख्या	34	34	36
(ख) स्वीकृत वार्षिक प्रवेश क्षमता	,,	5750	5970	6550
(ग) उत्तीर्ण	,,	2916	3400	3500

भौतिक कार्यक्रम (क्रमशः)

मद	इकाई	अनुमानित उपलब्धियां		
		1968–69	1969–70	1973–74
1	2	3	4	5
7—स्वास्थ्य				
(1) अस्पताल एवं औषधालय—				
(क) शहरी (अतिरिक्त)	संख्या	938	943	972
(ख) ग्रामीण	,,	2119	2136	2254
(2) शय्यायें (अतिरिक्त)				
(क) शहरी अस्पताल एवं औषधालय	,,	26761	27845	33390
(ख) ग्रामीण अस्पताल और औषधालय	,,	5981	6117	6847
(3) प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र—	,,	875	875	875
(4) नर्सों की प्रशिक्षण संस्थायें –	,,	11	11	12
वार्षिक भर्ती	,,	1085	085	1685
वार्षिक उत्तीर्ण	,,	160	190	200
(5) रोगों का नियंत्रण टी० बी० क्लीनिक	,,	22	29	58
कुष्ठ रोग नियंत्रण इकाइयां	,,	14	16	24
एस० ई० टी० यूनिट्स–अप ग्रेडिंग	,,	55	65	105
बी० डी० क्लीनिक्स	,,	10	12	20
फाइलेरिया यूनिट्स–अप ग्रेडिंग	,,	10	12	12
फाइलेरिया क्लीनिक्स	,,	..	4	16
(6) मातृत्व एवं शिशु कल्याण केंद्र	,,	3500	3500	3500
(7) मेडिकल कालेज				
(क) मेडिकल कालेज (अतिरिक्त)	,,	8	8	9
(ख) वार्षिक भर्ती	,,	874	874	974
(ग) वार्षिक उत्तीर्ण	,,	502	502	522

भौतिक कार्यक्रम (समाप्ति)

मद	इकाई	अनुमानित उपलब्धियां		
		1968–69	1969–70	1973–74
1	2	3	4	5
8—जल सम्पूर्ति एवं सफाई				
(क) नागरीय				
महानगरपालिकायें	दस लाख गैलन			
(1) संरक्षित जलपूर्ति की वृद्धि		150	160	185
(2) जन संख्या	(दस लाख)	3.03	3.03	3.03
अन्य कस्बे				
(1) जल पूर्ति के अन्तर्गत कस्बे	संख्या	74	74	76
(2) जल पूर्ति के अन्तर्गत जनसंख्या	(दस लाख)	7.486	7.486	8.576
(ख) ग्रामीण				
नल द्वारा जलपूर्ति				
(1) जल पूर्ति के अन्तर्गत ग्राम	संख्या	3,214	3,314	4.354
(2) जल पूर्ति के अन्तर्गत जन संख्या	(दस लाख)	1.22	1.28	1.7
साधारण कुएं				
(1) गांव जहां साधारण कुएं हैं	संख्या	..	..	..
(2) जहां साधारण कुएं हैं	(दस लाख)	..	..	..
9—आवास				
(1) औद्योगिक	आवासों की संख्या	480	432	1,216
(2) मलिन बस्ती निकासन	आवासों की संख्या	160	140	300
(3) अल्प आय वर्ग गृह निर्माण	,,	112	128	432
(4) ग्राम गृह निर्माण	,,	..	..	..
(5) भूमि अधिग्रहण एवं विकास	,	(उपलब्धि नहीं)		
10—शिल्पकारों का प्रशिक्षण				
(क) वर्तमान	संख्या	48	49	49
(ख) नवीन	,,	1	..	..

भौतिक कार्यक्रम (समाप्ति)

मद	इकाई	अनुमानित उपलब्धियां		
		1968–69	1969–70	1973–74
1	2	3	4	5
भर्ती	वर्तमान	24,784	24,784	24,847
उत्तीर्ण वर्तमान	संख्या	22,580	24,784	10,914
भर्ती (नवीन)	,,	550	..	..
उत्तीर्ण (नवीन)	,,	550	..	..
11 – पिछड़ी हुई जातियों का कल्याण				
(1) टी० डी० ब्लाक्स	संख्या	..	..	..
(2) वर्गवार प्रशिक्षण स्टाफ	,,	..	..	..
(3) पोस्ट मैट्रिक छात्र वृत्तियां		..	..	..
(क) सामान्य कोर्स		22,000	24,449	311,081
(ख) प्राविधिक एवं पेशेवार कोर्स		10,000	11,000	155,000

पी० एस० यू० पी०—ए० पी०— 16 जनरल (प्लान)—1969—1,000